

ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದುದು

ಸಂಪುಟ ೧೫೮ Volume 158

ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುರುವಾರ, ೦೯, ಫೆಬ್ರವರಿ, ೨೦೨೩(ಮಾಘ, ೨೦, ಶಕವರ್ಷ, ೧೯೪೪) BENGALURU, THURSDAY, 09, FEBRUARY, 2023 (MAGHA, 20, SHAKAVARSHA, 1944)

ಸಂಚಿಕೆ ೩೧ Issue 31

ಭಾಗ ೩

ಸರ್ಕಾರದ ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಐ 346 ಐಎಪಿ(ಇ) 2022

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ

ವಿಕಾಸಸೌಧ,

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 02.02.2023

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಭವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಯ ಗ್ರೂಪ್–ಎ (ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ) ಹುದ್ದೆಯಾದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವೃಂದದಲ್ಲನ ೦1 ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ: ೨೦.೦4.2೦19ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೇ: ಸಿಐ ೦1 ಐಎಪಿ (ಇ) ೨೦19 ರಲ್ಲ ಮೀಸಅರಿಸಿದ್ದು, ಆದರೆ ಗ್ರೂಪ್–ಎ (ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ) ಹುದ್ದೆಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ವೃಂದದಲ್ಲನ ೦1 ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

> ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲ

> > (ಎನ್. ಕುಮಾರ್)

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕೈ.ಅ),

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ.

PR-208

ಮುಂಬಡ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪದೋನ್ನತಿ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 1,2 ಹಾಗೂ ೩ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6(J)ರಲ್ಲಿ ೨೨ ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ನೌಕರರಿಗೆ 22 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ೩೯ನೇ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳ ದಿನಾಂಕ: 03-01-2021 ರಂತೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ (3) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ಆದೇಶವು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶ.

ಆದೇಶ

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 22 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: FD-12-SRP-2012(VIII) ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 14-06-2012ನ್ನು ಪ್ರತಿಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

- ಸಹಿ -ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು

PD-26

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण पंणंबूर, मंगलूर

सं. मुअ/अअ(सि-॥)/स्था/ एसओआर-राज/2022-23

टि. 25.01.2023

<u>अधिसूचना</u>

महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 (2021 का 1) की धारा 27 द्वारा उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नव मंगलूर पत्तन के लिए महापत्तन प्राधिकरण मंडल एतद द्वारा इसके दरमान(एसओआर) को पत्तन परिसर को पट्टे/लाइसेंस के आधार पर आवंटन के लिए अधिसूचित करता है और इसके साथ संलग्न आदेश में आरओडब्ल्यू अनुमित प्रदान करता है।

(ए. वी. हरिनाथ) मुख्य अभियंता(सिविल)प्र. नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण

नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण

<u>सं. मुअ/अअ(सि-॥)/स्था/ एसओआर-राज/2022-23</u> <u>मसौदा आदेश</u>

(दिसंबर 2022 के 13वें दिन पारित)

1. प्रस्ताव पट्टे/लाइसेंस के आधार पर पत्तन भूमि के आवंटन के लिए दरमान (एसओआर) के संशोधन की अधिसूचना और नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण की मार्ग अधिकार अनुमित प्रदान करने से संबंधित है।

2. पत्तन के पास उपलब्ध कुल क्षेत्रफल 2290.43 एकड़ है जो निम्न्लिखित है:

क्र. सं.	स्थान	भूमि एकड़ में	भूमि का उपयोग
1.	(i) तन्निरभावी (ii) पणंबूर, (iii) कस्टम बंधित क्षेत्र, (iv) मार्शलिंग यार्ड और (v) कमर्शियल यार्ड	1837.74	पत्तन
2.	(vi) कुडुपु	156.24	उत्खनन पत्थर
3.	(vii) बोंदेल	296.45	उत्खनन पत्थर

2क) कुडुपु और बोंदेल गांव की भूमि महापत्तन कार्यों जैसे ब्रेक वॉटर और बर्थ और जेटी के निर्माण के लिए पत्थर की खदान के उद्देश्य से अधिग्रहित की गई थी। ये पत्तन सीमा से क्रमशः 11 किलोमीटर और 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। वर्तमान में, ये भूमि पहाड़ी इलाके हैं और आज तक कोई विकास नहीं किया गया है। इस प्रकार, भूमि का वर्तमान में पत्तन द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है।

2ख) क्रम सं. 1 पर कुल 1837.74 एकड़ भूमि में से 565 एकड़ सुरक्षा परिसर की दीवार के भीतर है, 320 एकड़ जल लैगून क्षेत्र है और 952.74 एकड़ क्षेत्र परिसर की दीवार के बाहर है।

2ग) सुरक्षा परिसर की दीवार के भीतर और बाहर पत्तन उपयोग के तहत क्षेत्र 447.15 एकड़ है।

- 3. टीएएमपी ने आदेश सं. टीएएमपी/43/2017-एनएमपीटी दिनांक 14 मार्च 2018 के द्वारा 2017-2022 चक्रीय अविध के लिए लंबी अविध के पट्टे और अल्पाविध लाइसेंस पर पत्तन भूमि और कवर्ड स्थान के आवंटन के लिए एसओआर अधिसूचित किया था। इसे सरकारी राजपत्र में सं.126 दिनांक 28 मार्च 2018 को अधिसूचित किया गया था। उक्त एसओआर को 20.02.2017 से लागू किया गया था। आदेश के अनुसार, एसओआर 20 फरवरी 2017 से 19 फरवरी 2022 तक 5 वर्ष की अविध के लिए वैध है।
- 4. चूंकि चक्रीय अवधि 2017-2022 के लिए दरमान 19.02.2022 को समाप्त हो गया था, नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण के मंडल ने 4 मार्च 2022 को आयोजित अपनी बैठक में संकल्प सं. 10/2021-22 के माध्यम से मार्च 2018 में टीएएमपी द्वारा अनुमोदित दरमानों को अपनाने का संकल्प लिया। उक्त संकल्प के

अनुसार दरमान संशोधित दरमान 2022-2027 के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि तक वैध है। उक्त अविध के लिए दरमान इस प्रकार है:-

स्थान	संशोधित दरमान 2022-2027 के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि तक अवधि 20.02.2022 के लिए दरमान प्रति वर्ग मीटर प्रति माह					
	खुले क्षेत्रों के लिए	पक्के क्षेत्रों के लिए	ढके हुए स्थान के लिए			
पणंबूर	32.91					
	27.43					
	[लाइ्सेंस के आधार पर एक्ज़िम	50.77	89.00			
	कार्गों के भंडारण के लिए, पोत					
	से पोत]					
कस्टम बाउंड (10%	30.16	55.85	97.89			
सरचार्ज सहित)						
मार्शलिंग यार्ड	32.82	50.58	88.67			
कमर्शियल यार्ड	89.78	129.52	214.66			
तन्निरभावी	54.84	84.59	148.34			
कुडुपु	58.66	100.40	189.82			
बोंदेल	44.20	73.19	135.28			

- 5. पट्टे या लाइसेंस के आधार पर पत्तन परिसर के आवंटन के लिए दरमानों में संशोधन के लिए, भूमि प्रबंधन नीति दिशानिर्देश (पीजीएलएम) 2015 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पत्तन अपने परिसर के नवीनतम बाजार मूल्य का निर्धारण करेगा। इस संबंध में ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पत्तन ने मैसर्स एड्रोइट टेक्निकल सर्विसेज प्रा.लि.(एटीएसपीएल) को भूमि/भवन के मूल्यांकन के लिए वैल्यूएटर के रूप में नियुक्त किया था।
- 6. महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के पृष्ठ सं. 10 के पैरा 27 के अनुसार, प्रत्येक महापत्तन प्राधिकरण मंडल धारा 14 के अनुसार मंडल द्वारा इस संबंध में गठित सिमिति या सिमितियां (क) ऐसे मान बनाएंगे जिन दरों पर और शर्तों का विवरण जिसके तहत कोई भी सेवा प्रदान की जाएगी या उपलब्ध कराई जाएगी। (ख) दरमान जिस पर और शर्तों का विवरण जिसके तहत, मंडल द्वारा पत्तन परिसंपत्तियों तक पहुंच और उपयोग की अनुमित दी जा सकती है, (ग) ऐसी सेवा के किसी भी संयोजन के लिए समेकित दरमान तैयार करें या किसी भी उपयोगकर्ता के साथ सेवाएं या किसी का उपयोग करने की अनुमित या खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी भी पत्तन परिसंपत्तियों तक पहुंच।
- 7. नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण मंडल ने संकल्प सं. 103/2021-22 दिनांक 25 नवंबर 2021 के तहत दरमान तय करने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति में (i) उपाध्यक्ष समिति के अध्यक्ष के

रूप में और (ii) वि.स. एवं मु.ले.अ., (iii) उप संरक्षक, (iv) यातायात प्रबंधक, (v) मुख्य अभियंता (सिविल) और (vi) मुख्य यांत्रिक अभियंता इसके अन्य सदस्यों होंगे। इसके अलावा, मंडल ने अगली चक्रीय अवधि 2022-2027 के लिए एसओआर तैयार करने के आधार के रूप में मैसर्स एटीएसपीएल द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट को मंजूरी देने का भी संकल्प लिया।

- 8. वर्ष 2016 में, पूर्ववर्ती पत्तन न्यासी मंडल ने 28 जनवरी 2016 को आयोजित अपनी बैठक में संकल्प संख्या 104/2015-2016 के माध्यम से पत्तन के आसपास के क्षेत्रों में भूमि के मूल्यों का पता लगाने के लिए उन गांवों में भूमि के मूल्य के रूप में जो पत्तन सीमा के निकट पड़ते हैं। पत्तन द्वारा लगाए गए मूल्यांकक ने पत्तन के आसपास के गांवों की भूमि के मूल्यों का पता लगाया है और पट्टा किराया निकालने के लिए उस पर विचार किया गया है।
- 9. मंडल द्वारा गठित समिति ने भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए भूमि प्रबंधन नीति दिशानिर्देश 2015 में सूचीबद्ध कारकों में से विभिन्न कारकों पर विचार किया है।
 - 9.1 दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, सिमित ने पत्तन भूमि के बाजार मूल्य को निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देशों में सूचीबद्ध कारकों में से निम्नलिखित लागू कारकों को ध्यान में रखा है।
 - i. राज्य सरकार के तत्काल परिकलक के अनुसार, समान वर्गीकरण/गतिविधियों के लिए क्षेत्रों में भूमि मूल्य।

सिमिति ने पत्तन की भूमि और पत्तन से सटे भूमि के लिए कर्नाटक राज्य सरकार की तत्काल परिकलक दरों पर विचार किया है। मंगलूर नगर निगम से संबंधित अचल संपत्ति की तत्काल परिकलक संशोधित बाजार दर पर विचार किया गया है।

ii. पत्तन न्यास मंडल द्वारा अनुमोदित उचित वार्षिक वृद्धि दर के साथ पत्तन के आसपास के क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों में पंजीकृत वास्तविक प्रासंगिक लेनदेन की उच्चतम दर।

इस विकल्प के तहत, भूमि मूल्यांकन रिपोर्ट संबंधित पत्तन क्षेत्रों और अन्य आस-पास के गांवों को शामिल करते हुए वर्ष 2018-19 से 2020-2021 तक प्रत्येक वर्ष से संबंधित उप पंजीयक कार्यालय, मंगलूर के साथ पंजीकृत वास्तविक बिक्री विलेख के आधार पर भूमि का मूल्य देती है।

- iii. पत्तन न्यास मंडल द्वारा अनुमोदित वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर अद्यतन किए गए समान लेनदेन के लिए पत्तन भूमि की उच्चतम स्वीकृत निविदा सह नीलामी दर। इस विकल्प के तहत, भूमि मूल्यांकन रिपोर्ट पत्तन द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर समान लेनदेन के लिए पत्तन भूमि की नवीनतम निविदा-सह-नीलामी दर के आधार पर भूमि का मूल्य देती है।
- iv. आयकर नियम के अनुसार पत्तन द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा निर्धारित दर।
- v. कोई अन्य प्रासंगिक कारक जिसे पत्तन द्वारा चिह्नित किया जा सकता है।
 - 9.2 वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए उपर्युक्त 4 पद्धतियों के तहत भूमि के मूल्यांकन की एक तुलनात्मक स्थिति जैसा कि मूल्यांकक द्वारा माना गया है और मूल्यांकक द्वारा प्राप्त उच्चतम भूमि मूल्य निम्नलिखित है:

अंचल	पत्तन के आसपास/गाँव	सरकारी तत्क दर (रुपये पिछले 3 वर्षों में व्यष्टि उच्चतम	ाल परिकलन (हेक्टेयर) उच्चतम		देन पंजीकृत हेक्टेयर) उच्चतम	नीलामी के अनुसार उच्चतम भूमि दर (रुपये/हेक्टेय र)	उच्चतम अनुशंसित मूल्य (रुपये/हेक्टेय र)
पणंबूर	1.1 पणंबूर कोलिनी1.2 कस्टम बाउंड क्षेत्र1.3 बैकंपाडी	9,99,99,93 4 9,99,99,93 4 10,99,99,9 27	10,99,99,9 27	11,11,97,2 50 लागू नहीं 11,98,45,9 25	11,98,45,9 25	लागू नहीं	11,98,45,9 25
मार्शिलंग	2.1 कुलाई2.2 बैकंपाडीमीनाकल्या	9,99,99,93 4 7,99,99,94 7	9,99,99,93	लागू नहीं 11,11,97,2 50	11,11,97,2 50	3,08,83,20	11,11,97,2 50
कामर्शियल	3.1 एन एच- 66 के पास	9,99,99,93	9,99,99,93	11,11,97,2 50	11,11,97,2 50	8,61,88,80	11,11,97,2

	3.2 पडुकोडी	5,99,99,96		लागू नहीं		0	50
तन्निरभावी	4.1 तन्निरभावी	8,49,99,94	8,49,99,94	9,63,70,95	9,63,70,95	5,16,09,60	9,63,70,95
कुडुपु	5.1 कुडुपु	8,39,99,94 5	12,99,99,9	11,17,34,4 34	11,17,34,4	लागू नहीं	12,99,99,9
3 3 3	5.2 पदाऊ	12,99,99,9 14	14	लागू नहीं	34	C.	14
	6.1 मुडुशेडे	2,59,99,98		7,66,02,55			
	6.2 पडुशेड्डे	3,09,99,98		लागू नहीं	8,09,38,55		8,09,38,55
बोंदेल	6.3 पचनाडी	4,99,99,96 7	6,49,99,95	5,65,04,67 8	1	लागू नहीं	1
	6.4 मराकाडा	6,49,99,95 7		8,09,38,55			
	6.5 तिरुवेल	5,49,99,96 4		6,42,47,30 0			

9.3 पिछले 3 वर्षों (2018 से 2021) के लिए उच्चतम अनुशंसित भूमि मूल्य नीचे दी गई है:

परिक्षेत्र का नाम	भूमि का उच्चतम बाजार मूल्य (रुपये/हेक्टेयर)
पणंबूर गांव परिक्षेत्र	11,98,45,925
मार्शिलंग यार्ड परिक्षेत्र	11,11,97,250
कामर्शियल यार्ड परिक्षेत्र	11,11,97,250
तन्निरभावी परिक्षेत्र	9,63,70,950
कुडुपु	12,99,99,914
बोंदेल	8,09,38,551

9.4 पूंजीगत मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक

पत्तन के शीर्ष निकाय आईपीए के अनुसार, इस वित्त वर्ष में अप्रैल-दिसंबर के दौरान 12 महा पत्तनों में कार्गों यातायात 8.80 प्रतिशत घटकर 477.75 मिलियन टन (एमटी) हो गया, जबिक पिछले वित्त वर्ष की समान अविध में यह 523.84 मिलियन टन था। इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन के अनुसार, अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान इन पत्तनों पर संभाला गया अनंतिम ट्रैफिक वर्ष दर वर्ष 4.59% गिरकर 672.6 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। उपर्युक्त आँकड़े मौजूदा आर्थिक तनाव के कारण पत्तन परिसंपित उपयोगिता की गिरावट की प्रवृत्ति का एक स्पष्ट संकेत हैं। इन परिस्थितियों में भूमि प्रबंधननीतिगत दिशानिर्देशों-2015 के खंड 13 के आधार पर भूमि के उच्चतम बाजार मूल्य पर विचार करने से अंततः पत्तन परिसंपित्त की बिक्री में और कमी आ सकती है। इसलिए, उपर्युक्त वर्गों में मूल्यांकन की गई भूमि का उच्चतम बाजार मूल्य वर्तमान बाजार की स्थिति का सही प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। इस प्रकार, मूल्यांकक की सिफारिशों के आधार पर सिमिति ने निर्दिष्ट परिसंपित्तियों के उचित मूल्य का आकलन करने के लिए निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर कुछ उचित छूट/प्रीमियम पर विचार किया है।

- क) कोविड-19 महामारी: यह विश्व स्तर पर देखा गया है कि कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव ने समुद्री व्यापार को धीमा कर दिया है, शिपिंग मांग, पत्तन ट्रैफिक और टर्नओवर को कम कर दिया है। इसके अलावा, कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों ने लॉजिस्टिक श्रृंखला को बुरी तरह प्रभावित किया है और संबंधित उत्पादन और खपत श्रृंखला को बाधित किया है। वर्तमान कोविड-19 परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, मूल्यांकक ने पणंबूर गांव, मार्शिलंग यार्ड, कामर्शियल यार्ड, तिन्नरभावी, कुडुपु और बोंदेल परिक्षेत्र के लिए 15% छूट कारक पर विचार किया है।
- ख) भौतिक लक्षण: इनमें स्थान की गुणवत्ता, स्थलाकृति, पानी की उपलब्धता, सीवर लाइन आदि शामिल हैं। अधिक और बेहतर सुविधाओं का श्रेय भूमि की ऊंची कीमत को दिया जाता है। भौतिक विशेषताओं हेतु, छूट/प्रीमियम के लिए सामान्य परिपाटी 8% और 12% के बीच माना जाता है। मूल्यांकक ने निकट भविष्य में विकास को ध्यान में रखते हुए पणंबूर गांव, मार्शलिंग यार्ड, कामर्शियल यार्ड और तिन्नरभावी के लिए 10% औसत छूट कारक और बोंदेल परिक्षेत्र के लिए 10% प्रीमियम माना है।
- ग) आर्थिक गतिविधियों तक पहुंच: जितनी आसानी से आर्थिक गतिविधि सुलभ होती है, भूमि का मूल्य उतना ही अधिक होता है। आर्थिक गतिविधियों की पहुंच के लिए,

छूट/प्रीमियम के लिए सामान्य परिपाटी 10% और 15% के बीच माना जाता है। मूल्यांकनकर्ता ने निकट भविष्य में विकास को ध्यान में रखते हुए कामर्शियल यार्ड और तिन्नरभावी के लिए औसत प्रीमियम के रूप में 15% और कुडुपु और बोंदेल परिक्षेत्र के लिए 10% प्रीमियम माना है।

घ) भूमि का आकार: भूमि का आकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो संपत्ति की दरों पर प्रभाव डालता है। छोटे भूमि पार्सल की तुलना में बड़े क्षेत्र वाली संपत्ति को पट्टे पर देना मुश्किल है, जो सीधे संपत्ति के पट्टे के किराए को प्रभावित करता है। भूमि के आकार के लिए, छूट/प्रीमियम के लिए सामान्य परिपाटी 5% और 10% के बीच माना जाता है। मूल्यांकक ने पणंबूर गांव, मार्शलिंग यार्ड, कमर्शियल यार्ड और तिन्नरभावी के लिए 10% छूट और कुडुपु और बोंदेल परिक्षेत्र के लिए 5% छूट पर विचार किया है।

विभिन्न क्षेत्रों के लिए लागू छूट/प्रीमियम नीचे सारणीबद्ध हैं:

आधार वर्ष 2022 से 2023 तक, 2022-27 की चक्रीय अवधि के लिए प्रस्तावित एसओआर प्राप्त करने के लिए छूट कारक पर विचार किया गया।							
स्थान	भौतिक विशेषता एँ	आर्थिक गतिविधि की	भूमि का आका	कोविड- 19	शुद्ध छूट कारक		
		अभिगम्य ता	र				
पणंबूर गांव	10%		10%	15%	35%		
मार्शलिंग यार्ड	10%		10%	15%	35%		
कामर्शियल यार्ड	10%	-15%	10%	15%	20%		
तन्निरभावी	10%	-15%	10%	15%	20%		
कुडुपु	0%	-10%	5%	15%	10%		
बोंदेल	-10%	-10%	5%	15%	0%		

नोट:- (-)प्रीमियम को इंगित करता है, (+) छूट को इंगित करता है

9.5 भूमि प्रबंधन नीतिगत दिशानिर्देश-2015 के खंड 13 के आधार पर पत्तन भूमि के बाजार मूल्य पर शुद्ध छूट कारक लागू करने के बाद प्राप्त पत्तन भूमि का नवीनतम बाजार मूल्य नीचे सारणीबद्ध है: -

परिक्षेत्र	पीजीएलएम-खंड 13 (INR/हेक्टेयर) के अनुसार उच्चतम बाजार भूमि मूल्य रु.	शुद्ध छूट कारक	छूट प्राप्त उच्चतम बाजार भूमि मूल्य (आईएनआर/हेक्टेयर) रु.
पणंबूर	11,98,45,925	35%	7,78,99,851
मार्शलिंग यार्ड	11,11,97,250	35%	7,22,78,213
कमर्शियल यार्ड	11,11,97,250	20%	8,89,57,800
तन्निरभावी	9,63,70,950	20%	7,70,96,760
कुडुपु	12,99, 99,914	10%	11,69,99,923
बोंदेल	8,09,38,551	0%	8,09,38,551

9.6 भूमि के उच्चतम बाजार मूल्य के आधार पर, सिमित ने भूमि के उच्चतम बाजार मूल्य पर 6% प्रतिफल दर पर प्रस्तावित पट्टा किराया निर्धारित किया है। खुले क्षेत्र के लिए सिमित द्वारा अनुशंसित भूमि के बाजार मूल्य और प्रस्तावित पट्टा किराया का सारांश नीचे दिया गया है:-

आधार वर्ष 2022-23 के लिए पत्तन भूमि का एसओआर

क्र. सं.	परिक्षेत्र	(रुपये/वर्गमीट भूमि मूल्य के उ रियायती भूमि मूल्य रु./ हेक्टेयर में				टीएएमपी एसओआर 2017-22 के आधार पर 20.02.2022 को अद्यतन एसओआर रु.	(एफ)एवं (जी) के बीच उच्चतम दरें रु.
क	ख	ग	घ = ग/10,000	ड. = घ का ६%	च = ड./12	छ	ज
1	पणंबूर गांव	7,78,99,851	7789.99	467.4	38.95	32.91	38.95
2	मार्शलिंग यार्ड	7,22,78,213	7227.83	433.6 7	36.14	32.81	36.14
3	कामर्शियल यार्ड	8,89,57,800	8895.78	533.7 5	44.48	89.78	89.78
4	तन्निरभावी	7,70,96,760	7709.67	462.5 8	38.55	54.84	54.84
5	कुडुपु	11,69,99,92	11699	701.9 4	58.49	58.66	58.66

क्र. सं.	परिक्षेत्र	(रुपये/वर्गमीट भूमि मूल्य के र रियायती भूमि मूल्य रु./ हेक्टेयर में	र/माह) में रि आधार पर ख् भूमि मूल्य रु./ वर्गमीटर	ले क्षेत्र के एसओ आर रु. /वर्गमी टर/वर्ष (भूमि मूल्य	लिए दरमान रियायती उच्चतम बाजार भूमि मूल्य के आधार पर आधार वर्ष 2022 के	टीएएमपी एसओआर 2017-22 के आधार पर 20.02.2022 को अद्यतन एसओआर रु.	(एफ)एवं (जी) के बीच उच्चतम दरें रु.
				का ६%)	लिए एसओआर		
				3			

टिप्पणी:-

(2017-2022)रुपये 89.78/वर्गमीटर/माह से काफी कम है। इसलिए 89.78 रुपये/वर्गमीटर/माह के अद्यतन एसओआर को आधार अवधि 2022-23 के लिए संशोधित एसओआर माना गया है। प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न उपयोगकर्ताओं को उक्त जोन में निम्नलिखित प्रमुख भूमि आवंटन किए गए हैं;

क्र.सं.	पट्टा विवरण	20.02.2021 से 19.02.2022 तक लागू एसओआर	उद्धृत प्रीमियम (रुपये/वर्गमीटर/ माह)	कुल (1)+(2) (रुपये/ वर्गमीटर/माह)
		(1)	(2)	3= (1) + (2)
		रुप	ये/ वर्गमीटर/माह	
1	मैसर्स अदानी टोटल गैस	88.02	1.00	89.02
	लिमिटेड-2074 वर्गमीटर			
2	मैसर्स नायरा एनर्जी	88.02	1.00	89.02
	लिमिटेड -2079			
	वर्गमीटर			
3	मैसर्स हिंदुस्तान कोलास	88.02	6.05	94.07
	प्राइवेट लिमिटेड			
	(हिनकोलास) -10273			
	वर्गमीटर			
4	मैसर्स अदानी	88.02	1.05	89.07
	एंटरप्राइजेज लिमिटेड -			
	9726 वर्गमीटर			

क्र.सं.	पट्टा विवरण	20.02.2021 से 19.02.2022 तक लागू एसओआर	उद्धृत प्रीमियम (रुपये/वर्गमीटर/ माह)	कुल (1)+(2) (रूपये/ वर्गमीटर/माह)
		(1)	(2)	3= (1) + (2)
		रुप	ये/ वर्गमीटर/माह	
5	मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट	89.78	1.00	90.78
	लिमिटेड -14917			
	वर्गमीटर			

(ii) तित्ररभावी जोनः- भूमि की कीमत छूट के बाद पंजीकृत दर के अनुसार 7,70,96,760/-रुपये बनती है। यदि एसओआर पर पहुंचने के लिए समान मूल्य पर विचार किया जाता है, तो एसओआर 38.55 रुपये/वर्गमीटर/माह बनता है। यह रु.54.84/वर्गमीटर/माह के अद्यतन एसओआर से बहुत कम है और मैसर्स सीलॉर्ड कंटेनर लि. द्वारा भुगतान किए जा रहे रु.53.76/वर्गमीटर/माह (रु.10.00/वर्गमीटर/माह के प्रीमियम को छोड़कर) की उच्चतम लीज रेंट दर भी है। इसलिए, आधार अवधि 2022-23 के लिए रु. 54.84/वर्गमीटर/माह के अद्यतन एसओआर पर विचार किया गया है। प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न उपयोगकर्ताओं को उक्त परिक्षेत्र में निम्नलिखित प्रमुख भूमि आवंटन किए गए हैं।

क्र.सं	पट्टा विवरण	20.02.2021 से 19.02.2022 तक लागू एसओआर	उद्धृत प्रीमियम (रुपये/वर्गमी टर/माह)	कुल (1)+(2) (रुपये/वर्गमीटर / माह)
		(1)	(2)	3= (1) + (2)
		रुग	पये/वर्गमीटर/म	ाह
1	मैसर्स सीलॉर्ड कंटेनर्स लिमिटेड -85000 वर्गमीटर	53.76	10	63.76

9.7 पक्के क्षेत्र और कवर्ड स्थान के लिए दरमान में संशोधन

- क) विकास लागत:- (i) कठोर/लचीले फुटपाथ, (ii) टाइलड/एसी शीट/जीआई शीट की छत के साथ कवर्ड स्पेस और (iii) आरसीसी रूफ स्लैब के साथ कवर्ड स्पेस के निर्माण के लिए पत्तन द्वारा वहन की गई लागत को उनकी संबंधित विकास लागत के रूप में माना गया है।
- ख) वर्ष 2022 के लिए अद्यतन विकास लागत पर पहुंचने के लिए पिछले वर्षों के दौरान संबंधित संरचनाओं के विकास के लिए पत्तन द्वारा की गई विकास लागत को 10%

प्रति वर्ष की दर से बढ़ाया गया है। तत्पश्चात् अद्यतन विकास लागत छूट कारक के अधीन है जैसा कि मूल्यांकक द्वारा पोर्ट संरचना की नवीनतम विकास लागत प्राप्त करने के लिए सुझाया गया है।

- ग) संबंधित संरचनाओं के नवीनतम बाजार मूल्य को प्राप्त करने के लिए नवीनतम विकास लागत को भूमि के नवीनतम बाजार मूल्य में जोड़ा जाता है।
- घ) पत्तन संरचना के नवीनतम बाजार मूल्य के आधार पर पत्तन संरचना के मूल्य पर रिटर्न की 6% दर पर विधिवत विचार करते हुए एसओआर निकाला गया है।
- ङ) प्राप्त अद्यतन विकास लागत/वर्गमीटर निम्नानुसार है:-

	S')	प्राप्त अद्यान ।पप			<u> </u>			
क्र. सं.	कार्य का नाम	कुल लागत (रु.)	आरंभ तिथि	पूर्ण तिथि	20.02. 2022	20.02.2022 तक अद्यतन	कुल क्षेत्रफ	अद्यतन विकसित
					को दिनों में अवधि	लागत @ 10%प्रति वर्ष	ल (वर्गमी	लागत / वर्गमीटर
							ेटर)	
1	मौजूदा शौचालय	2,01,38,924.			697	2,39,84,63	15,98	1,500.92
	ब्लॉक		_			1	0	
	(डब्ल्यूबीएम		018	.021				
	सतह) से सटे)7-2	12-06-2021				
	केके गेट के पास		16-07-2019	12-0				
	ट्रक पार्किंग का		·	•				
	विकास							
	एसजे गेट के पास	9,80,14,708.			334	10,69,83,7	41,14	2,382.18
	बर्थ सं. 17 के		019)20		25	5	
	पीछे हाल ही में		9-20	3-20				
	विकसित यार्ड को		05-09-2019	04-08-2020				
	पीक्यूसी प्रदान		0	0				
	करना चरण- ।						()	4,101.08
						कुल लागत/	quilick	4,101.00
2	एनएमपी में	16,88,05,68			719	20,20,58,0	10,00	20,205.81
	गोदाम संख्या 31	4.				91	0	
	और 32 के पास		17	19				
	सुरक्षा परिसर की		12-05-2017	01-05-2019				
	दीवार के बाहर		2-05	1-05				
	दो कवर्ड स्टोरेज		1,	Ó				
	शेड का निर्माण।							

3	सुरक्षा परिसर की	30,12,222			181	31,61,595	100	31,615.95
	दीवार के बाहर							
	उर्वरक कार्गी		50	7				
	शेड के पास		.202	202				
	शौचालय ब्लॉक		10-10-2020	-04				
	का		10	-60				
	निर्माण(18.05.2							
	021)							

च) पक्के क्षेत्र के लिए विकास लागत का निर्धारण- आधार वर्ष अविध 2022-23

क्र. सं.	स्थान	विकास	मूल्यांकक	पक्का क्षेत्र	कुल	आधार वर्ष
		लागत	के अनुसार	की	मूल्य का	2022-23 के
		(रुपये/वर्ग	छूट के	रियायती	6%	लिए विकास
		मीटर)	कारक	लागत	(रु.)	लागत (रुपये/
				(₹.)		वर्गमीटर/ माह)
1	पणंबूर गांव	4101.08	35%	2666	159.96	13.33
2	मार्शलिंग यार्ड	4101.08	35%	2666	159.96	13.33
3	कमर्शियल यार्ड	4101.08	20%	3281	196.86	16.41
4	तन्निरभावी	4101.08	20%	3281	196.86	16.41
5	कुडुपु	4101.08	10%	3691	221.46	18.46
6	बोंदेल	4101.08	0%	4101	246.06	20.51

छ) कवर्ड स्थान मंगलूर-टाइल/शीट की छत के लिए विकास लागत का निर्धारण-आधार अविध 2022-23

क्र. सं.	स्थान	विकास	मूल्यांकक	टाइल/शीट	कुल	आधार वर्ष
		लागत	के अनुसार	की छत की	मूल्य का	2022-23 के
		(रुपये/वर्गमी	छुट के	रियायती	6%	लिए विकास
		टर)	कारक	लागत (रु.)	(₹.)	लागत (रुपये/
						वर्गमीटर/ माह)
1	पणंबूर गांव	20205.81	35%	13134	788.04	65.67
2	मार्शलिंग यार्ड	20205.81	35%	13134	788.04	65.67
3	कमर्शियल यार्ड	20205.81	20%	16165	969.9	80.83

4	तन्निरभावी	20205.81	20%	16165	969.9	80.83
5	कुडुपु	20205.81	10%	18185	1091.1	90.93
6	बोंदेल	20205.81	0%	20206	1212.4	101.03

ज) कवर्ड स्थान आरसीसी रूफिंग के लिए विकास लागत का निर्धारण- आधार अविध 2022-2023

	2022-2023					
क्र. सं.	स्थान	विकास	मूल्यांकक	आरसीसी	कुल	आधार वर्ष 2022-
		लागत (रुपये/वर्गमी	के अनुसार छुट के	छत की रियायती	मूल्य का	23 के लिए विकास
		(रुपप/पगमा टर)	छुट के कारक		6%	लागत (रुपये/
		(4)	पगरपग	लागत (रु.)	(₹.)	वर्गमीटर/ माह)
1	पणंबूर गांव	31615.95	35%	20550	1233	102.75
2	मार्शिलंग यार्ड	31615.95	35%	20550	1233	102.75
3	कमर्शियल यार्ड	31615.95	20%	25293	1518	126.5
4	तन्निरभावी	31615.95	20%	25293	1518	126.5
5	कुडुपु	31615.95	10%	28454	1707	142.25
6	बोंदेल	31615.95	0%	31616	1897	158.08

झ) पक्का क्षेत्र और आच्छादित क्षेत्र के लिए प्रस्तावित दरमान:

	खुले क्षेत्र के लिए रुपये/वर्ग मीटर/माह	पक्का क्षेत्र रुपये/वर्गमीटर/		कवर	∕वर्गमीटर⁄माह में			
स्थान	मूल दर	विकास लागत	कुल	विकास लागत		कु	ल	
	क	ख	क+ख	1	T	क-	+ग	
				शीट	आरसी सी	शीट	आरसी सी	
पणंबूर गांव	38.95	13.33	52.28	65.67	102.75	104.62	141.7	
मार्शलिंग यार्ड	36.14	13.33	49.47	65.67	102.75	101.81	138.8 9	
कामर्शियल यार्ड	89.78	16.41	106.1 9	80.83	126.5	170.61	216.2 8	
तन्निरभावी	54.84	16.41	71.25	80.83	126.5	135.67	181.3 4	
कुडुपु	58.66	18.46	77.12	90.93	142.25	149.59	200.9 1	
बोंदेल	44.20	20.51	64.71	101.03	158.08	145.23	202.2 8	

9.8 कस्टम बंधित परिक्षेत्र के लिए एसओआर में संशोधन

कस्टम बंधित परिक्षेत्र के एसओआर को निम्नलिखित पद्धित के अनुसार संशोधित किया गया है:

- i. 20.2.2022 से 19.02.2023 तक की अविध के लिए कस्टम बंधित जोन में खुले स्थान के लिए अद्यतन एसओआर 30.16/वर्गमीटर/माह है; 10% अधिभार सिहत।
- ii. पणंबूर गांव में खुले स्थान के लिए एसओआर में प्रतिशत वृद्धि 18.35% है, पक्के क्षेत्र के लिए 2.97% है और कवर्ड क्षेत्र के लिए 17.55% (शीट) और 59.21% (आरसीसी) है (नीचे तालिका (iv) देखें)।
- iii. कस्टम बंधित परिक्षेत्र के लिए एसओआर को पणंबूर परिक्षेत्र में एसओआर में प्रतिशत वृद्धि के अनुसार संशोधन किया गया है।
- iv. 2017- 2022 और 2022-2027 की अवधि के एसओआर का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित है:

क्षे परिक्षेत्र	वर्ग म	त्रों के लि गिटर प्रति (रु.)			ों के लिए प्रति माह			के लिए प्रा	ते वर्ग मीट	र प्रति माह (रु.)		
	टैम्प दरों से अपडे टेड एस ओआ र	आधा र वर्ष ²⁰²² के लिए तैयार किया	दर में % वृद्धि	टैम्प दरों से अपडेटे ड एसओ आर	आधा र वर्ष ²⁰²² के लिए तैयार किया	दर में % वृद्धि	टैम्प दरों से अपडे टेड एसओ आर	के लिए किय	आधार वर्ष 2022 के लिए तैयार किया गया एसओआर		गृद्धि %	
	20.02. 2022 के	गया एस ओ		20.02. 2022 के	गया एसओ आर		20.02. 2022					
	अनु सार	आर		अनुसार			अनुसा र	शीट	आरसी सी	शीट	आर सीसी	
पणंबूर	32.91	38.95	18.35	50.77	52.28	2.97	89.00	104.62	141.7	17.55	59.21	
कस्टम बाउंड परिक्षेत्र (10%	30.16	35.70	18.35	55.85	57.51	2.97	97.89	115.07	155.85	17.55	59.21	
अधिभार सहित)												

क्षे	परिक्षेत्र			ह लिए प्रति पक्के क्षेत्रों के लिए प्रति वर्ग ढके क्षेत्र के लिए प्रति व प्रति माह मीटर प्रति माह (रु.)					ते वर्ग मीट	र प्रति मा	ह (रु.)	
	AI VQIA	टैम्प दरों से अपडे टेड एस ओआ र 20.02. 2022 के	आधा र वर्ष ²⁰²² के लिए तैयार किया गया एस ओ	दर में % वृद्धि	टैम्प दरों से अपडेटे ड एसओ आर	आधा र वर्ष ²⁰²² के लिए तैयार किया गया एसओ आर	दर में % वृद्धि	टैम्प दरों से अपडे टेड एसओ आर	के लिए किया	आधार वर्ष 2022 के लिए तैयार किया गया एसओआर		ृद्धि %
		_{अनु} सार	आर		अनुसार	Ont		अनुसा र	शीट	आरसी सी	शीट	आर सीसी
	वाणिज्यि क यार्ड	89.78	89.78	0	129.52	N/A	N/A	214.66	N/A	N/A	N/A	N/A
	तण्णीरबा वी	54.84	54.84	0	84.59	71.25 84.59	-15.77	148.34	135.67 148.34	181.34	-8.54	22.25
	कुडुपु	58.66	58.66	0	100.40	77.12	-23.18	189.82	149.59	200.91	-21.19	5.84
=	बोंदेल	44.20	44.20	0	73.19	100.40 64.71 73.19	-11.58	135.28	189.82	202.28	7.35	49.52

नोट:

इसके अलावा एसओआर उपर्युक्त क्रूज टर्मिनलों के लिए लागू नहीं है।

10. मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड द्वारा 20.01.2022 को आयोजित अपनी **पहली बैठक** में गठित समिति ने आधार वर्ष 2022-2023 के लिए संशोधित एसओआर प्रस्तावित किया था, साथ ही उन शर्तों के विवरण के साथ, जिसके तहत पत्तन संपत्तियों तक पहुंच और उपयोग बोर्ड द्वारा पत्तन उपयोगकर्ता को अनुमित दी जा सकती है।

20.02.2022 से संशोधित एसओआर 2022-2027 के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि तक की अविध के लिए संकल्प संख्या 10/2021-22 द्वारा पत्तन प्राधिकरण मंडल द्वारा अनुमोदित एसओआर के बीच दर में % वृद्धि को दर्शाने के लिए एक तुलनात्मक विवरण और एसओआर की सिफारिश की गई सिमिति द्वारा नीचे सारणीबद्ध हैं:

समिति द्वारा	समिति द्वारा 20.01.2022 को आयोजित अपनी बैठक में प्रस्तावित आधार वर्ष 2022-23 के लिए एसओआर										
	खुला क्षेत्र		पक्का		ढके हुए क्षेत्र (शीट)		ढके हुए (आरर्स				
		(रुपये/वर्गमीटर/माह) या उसका भाग									
परिक्षेत्र	प्रस्ता वित एसओ	% वृद्धि	प्रस्तावि त एसओ	% वृद्धि	प्रस्तावि त एसओ	% वृद्धि	प्रस्तावि त एसओ	% वृद्धि			
	आर		आर		आर		आर				
पणंबूर	38.95	18.35	55.14	8.61	115.06	29.28	126.57	42.21			
कस्टम बंधित ज़ोन	35.70	18.37	60.66	8.61	126.55	29.28	139.21	42.21			
मार्शलिंग यार्ड	36.14	10.15	52.33	3.46	112.25	26.59	123.48	39.26			
कमर्शियल यार्ड	89.78	0.00	लागू नहीं	-	लागू नहीं	-	लागू नहीं	-			
तन्नीभावी	54.84	0.00	लागू नहीं	-	लागू नहीं	-	लागू नहीं	-			
कुडुपु	58.66	0.00	लागू नहीं	-	लागू नहीं	-	लागू नहीं	-			
बोंदेल	44.20	0.00	लागू नहीं	-	लागू नहीं	-	लागू नहीं	-			

समिति ने भूमि प्रबंधन-2015 के लिए नीतिगत दिशानिदेशों के रूप में पत्तन द्वारा जल क्षेत्र के लिए किराये की शुरुआत करने की भी सिफारिश की है, घाटों आदि के निर्माण के उद्देश्य के लिए तट शुल्क की परिकल्पना की गई है। दिशा-निदेशों के अनुसार, वाटरफ्रंट शुल्क, वाटरफ्रंट से सटी हुई भूमि का 50% होगा। यह दर सबमरीन पाइपलाइन बिछाने के लिए भी लागू है और शुल्क "राइट ऑफ वे" शुल्क के अनुसार होंगे। समिति की राय थी कि मौजूदा भूमि नीति दिशानिर्देशों में निर्धारित अन्य नियम और शर्तें लागू हैं

11. चक्र अवधि 2022-2027 के आधार वर्ष 2022-2023 के लिए सिमिति ने निम्नलिखित एसओआर की सिफारिश की थी:

चक्रीय अवधि 2022-2027 के आधार वर्ष 2022-2023 के लिए रुपये/वर्गमीटर/माह में एसओआर या उसका भाग									
परिक्षेत्र	खुला क्षेत्र	पक्का क्षेत्र	ढके हु। रु./बर्गमी चादर की छत	•					
पणंबूर	38.95	55.14	115.06	126.57					

चक्रीय अवधि 2022-202	चक्रीय अवधि 2022-2027 के आधार वर्ष 2022-2023 के लिए रुपये/वर्गमीटर/माह में										
एसओआर या उसका भाग											
परिक्षेत्र	खुला क्षेत्र	पक्का क्षेत्र	ढके हु रु./बर्गमी	ए क्षेत्र							
			चादर की	आरसीसी							
			छत	की छत							
पणंबूर - लाइसेंस के आधार पर एक्जिम कार्गो के लिए	35.70	60.66	126.55	139.21							
कस्टम बाउंड परिक्षेत्र	35.70	60.66	126.55	139.21							
मार्शलिंग यार्ड	36.14	52.33	112.25	123.48							
कमर्शियल यार्ड	89.78	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं							
तन्नीरभावी	54.84	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं							
कुडुपु	58.66	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं							
बोंदेल	44.20	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं							

(क) सिमति ने प्रस्तावित लीज रेंटल को नियंत्रित करने वाली निम्नलिखित शर्तों का प्रस्ताव किया है:

शर्तें

- (i) निर्धारित दरें ऐसी अधिसूचना के 30 दिनों से लागू होंगी।
- (ii) एन/ए इंगित करता है कि यह लागू नहीं है, क्योंकि पक्के/ढके हुए क्षेत्रसे संबंधित परिक्षेत्रों में कोई निर्माण मौजूद नहीं है, हालांकि यदि भविष्य में कोई विकास होता है तो भूमि के किराए पर विकास पर बढ़ा हुआ किराया लागू किया जाएगा।
- (iii) पट्टा किराया प्रभावी तिथि की वर्षगांठ से प्रति वर्ष 2% (कंपाउंडेबल) की दर से वृद्धि करेगा।
- (iv) उपर्युक्त तालिका में शामिल किए गए स्थान के लिए निर्दिष्ट दर भूतल के लिए लागू है। प्रथम तल में आरसीसी कवर्ड एरिया दर भूतल एरिया का 90% होगा।
- (v) कस्टम बांड क्षेत्र में एक्जिम कार्गो के लिए खुली जगह के लिए प्रस्तावित दर वाणिज्यिक क्षेत्र में पट्टे पर दिए गए क्षेत्रों के लिए लागू होगी जहां एक्जिम कार्गों को जहाज से जहाज के आधार पर संग्रहीत किया जाता है, जब तक कि क्षेत्र वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पट्टे पर नहीं दिया जाता है।
- (vi) 11 महीने तक के लाइसेंस पर अल्पाविध आवंटन के लिए एक महीने के लाइसेंस शुक्क के बराबर सुरक्षा जमा लागू होगा। भूमि के पट्टे के मामले में, दो वर्ष के पट्टे किराए के बराबर की वापसी योग्य सुरक्षा जमा राशि लागू होगी। एनएमपीए के कारण होने वाली किसी भी राशि को समायोजित करने के बाद भूमि को पूरी तरह से खाली करने के बाद सुरक्षा जमा राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

पाइपलाइन/सर्विस नलिका (ख). आदि बिछाने के लिए मार्ग अनुमति प्रभार

खुले क्षेत्र के लिए दर जैसा कि ऊपर तालिका में दी गई जगह के लिए पाइपलाइनों/सेवा नाली/कन्वेयर आदि के कब्जे वाले क्षेत्र के लिए लागू है।

उपर्युक्त अनुसूची ख पर ध्यान दें:

- (i) मार्ग अनुमति प्रभारों के प्रयोजन के लिए, एकल पाइपलाइनों के कब्जे वाले क्षेत्र की गणना उन पाइपलाइनों के व्यास और लंबाई के आधार पर की जानी चाहिए। मल्टी-लेयर पाइपलाइन स्टैक के मामले में, मल्टीलेयर पाइपलाइन स्टैक द्वारा कब्जा किए गए भौतिक क्षेत्र पर विचार किया जाना चाहिए और संबंधित उपयोगकर्ताओं को उस क्षेत्र से गुजरने वाली उनकी पाइपलाइनों के व्यास और लंबाई के आधार पर यथानुपात क्षेत्र के लिए बिल किया जाना चाहिए। जहां तक भूमिगत पाइपों का संबंध है, यदि उपयोगकर्ता यह सिद्द करते हैं कि भूमिगत क्रॉस-कंट्री पाइपलाइनों के ऊपर सतह क्षेत्र का कब्जा भौतिक रूप से उनके पास नहीं है, तो वे लीव शुल्क लगाने का उद्देश्य के लिए ऐसी पाइपलाइनों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र को व्यास और लंबाई के उत्पाद का 50% गिना जाना चाहिए।
- (ii) पाइपलाइन/कन्वेयर आदि बिछाने के लिए राइट ऑफ वे अनुमित जारी करने के नियम और शर्तें बोर्ड की नीति और समय-समय पर संशोधित नीति द्वारा शासित होंगी।

(ग). जल क्षेत्र शुल्क:

जेटी, सबमरीन पाइपलाइन आदि के निर्माण के लिए तट से सटे भूमि के लिए लाइसेंस शुल्क का 50% और वे लीव अनुमित के रूप में लिया जाएगा। सबमरीन पाइपलाइन के लिए, जल क्षेत्र शुल्क पाइपलाइन द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र के लिए होगा और उपर्युक्त अनुसूची ख के तहत नोट (ii) के आधार पर क्षेत्र का निर्धारण किया जाना चाहिए।

सामान्य शर्तें:

(i) यहां बताई गई सभी शर्तें/टिप्पणियां उस सीमा तक लागू होंगी, जो भूमि प्रबंधन के लिए नीतिगत दिशानिदेश-2015 में निर्धारित शर्तों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए बाद के स्पष्टीकरणों के साथ असंगत नहीं हैं। असहमति की स्थिति में भूमि नीति दिशा-निदेशों में सरकार द्वारा निर्धारित शर्ते मान्य होंगी।

(ii) आबंटन:

मासिक लाइसेंस के आधार पर नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण (एनएमपीए) की सुरक्षा परिसर की दीवार के बाहर या सुरक्षा परिसर की दीवार के भीतर अपने माल के भंडारण के लिए भूमि/स्थान के आबंटन की आवश्यकता वाले व्यक्ति लाइसेंस के लिए समय-समय पर एनएमपीए द्वारा निर्धारित प्रपत्र में लाइसेंस के लिए एनएमपीए को लिखित रूप में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यह एनएमपीए के विवेक पर होगा कि वह इस तरह के स्थान/भूमि को आबंटित करे या आबंटित करने से इंकार करे, अनुज्ञापित परिसर को सबलेट करने की अनुमित नहीं दी जाएगी।

(iii). लाइसेंसधारी की जिम्मेदारी:

माल/कार्गों के भंडारण के लिए भूमि/स्थान के लिए आवेदन करने में, भूमि/स्थान के लिए आवेदक इस प्रकार संग्रहीत/भंडारित माल के लिए सभी जोखिम और जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे। एनएमपीए द्वारा लॉकिंग या सुरक्षा परिसर की दीवार के अंदर या बाहर लाइसेंसधारियों को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से आवंटित शेड को एनएमपीए को माल का अमानतदार बनाने के रूप में नहीं माना जाएगा, जब तक कि एनएमपीए द्वारा उन्हें इस संबंध में रसीद नहीं दी जाती है। खुली या आच्छादित भूमि/स्थान के कब्जे को लाइसेंस विलेख/परिमट/अनुबंध में पून: प्रस्तुत किया जाएगा।

एनएमपीए की भूमि पर अतिक्रमण या अनाधिकृत कब्जा और एनएमपीए के रेलवे ट्रैक, संयंत्र, उपकरण, संपर्क मार्ग आदि पर माल/कार्गों का ढेर लगाना, जिससे लाइसेंसधारी द्वारा यातायात की आवाजाही में बाधा उत्पन्न होती है, नीचे निर्दिष्ट दंडात्मक दर का भुगतान करने का दायित्व शामिल होगा एनएमपीए की परिसंपत्तियों को हुए नुकसान को ठीक करने की लागत के अलावा यदि लाइसेंसधारी ऐसा करने के लिए नोटिस के बावजूद अतिक्रमित क्षेत्र से माल हटाने में विफल रहता है, तो एनएमपीए द्वारा माल को कहीं और हटा दिया जाएगा और लाइसेंसधारी की लागत और निम्नलिखित दर पर इस प्रकार हटाए गए माल के कब्जे वाली भूमि पर दंडात्मक लाइसेंस शल्क लगाया जाएगा।

(क) पत्तन द्वारा खाली कब्जा प्राप्त करने तक सामान्य लाइसेंस शुल्क का तीन गुना या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोई अन्य भूमि नीति दिशानिर्देश

(iv). अन्य शर्ते:

- (क). लाइसेंस डीड/अनुज्ञा पत्र/करार के तहत स्टोर किए गए सामान का पूरा जोखिम और जिम्मेदारी लाइसेंसधारियों की होगी। एनएमपीए लघुचोरी, चोरी, आग या उसके नुकसान के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदारी नहीं लेगा। अनुज्ञप्तिधारी अपने आबंटित स्थान पर भंडारित माल की सुरक्षा के लिए तथा ऐसी भूमि/स्थान पर किसी अन्य द्वारा अनिधकृत कब्जा रोकने के लिए अपनी स्वयं की निगरानी तैनात करेंगे।
- (ख). अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति विलेख/ अनुज्ञा पत्र के अधीन अधिग्रहीत भूमि/ स्थान पर कोई स्थायी संरचना, भवन, निर्माण या सुविधा या कैंटीन का निर्माण नहीं करेगा। लाइसेंसधारी लाइसेंस परिमट के समय या समाप्ति पर भूमि/ स्थान को उसकी मूल स्थिति में बहाल करेगा और यदि लाइसेंसधारी विफल रहता है, तो एनएमपीए लाइसेंसधारी की लागत जोखिम और जिम्मेदारी पर ऐसी बहाली की व्यवस्था करेगा।

- (ग). लाइसेंस शुल्क या शुल्क का भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा आवंटन पत्र प्राप्त करने या लाइसेंसधारी द्वारा भूमि/स्थान पर कब्जा करने की तिथि से, जो भी पहले हो, एनएमपीए के दरमान में निर्धारित दरों के अनुसार किया जाएगा। लाइसेंस शुल्क प्रत्येक कैलेंडर माह के लिए बाद की अविध के लिए एनएमपीए को अग्रिम रूप से प्रेषित किया जाएगा अर्थात प्रत्येक माह की पहली तारीख से पहले देय तिथि से पहले भुगतान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, एसबीआई (एमसीएलआर) पर दंडात्मक ब्याज + 2% प्रति वर्ष लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त संचित बकाया पर समय-समय पर संशोधित किया जाता है। [दंडात्मक ब्याज सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिदेशों के अनुसार परिवर्तन का विषय है] [एमसीएलआर-सीमांत लागत उधार दर।।
- (घ) यदि लाइसेंस परिमट का नवीनतम नवीकरण नहीं किया जाता है तो लाइसेंसधारी अपने कब्जे वाली भूमि/स्थान को खाली कर देगा। यदि लाइसेंसधारी ऐसी संरचनाओं या निर्माण स्थल को हटाने के बाद प्रदान किए गए लाइसेंस/परिमट की समाप्ति की तिथि पर खाली कब्जे में भूमि/स्थान को सौंपने में विफल रहता है, तो एनएमपीए को ऐसे ढांचे और उसमें संग्रहीत सामान को हटाने का अधिकार होगा। ऐसी भूमि/स्थान को किसी अन्य वैकल्पिक भूमि/पत्तन के परिसर के किसी भी हिस्से में खुले या कवर किए गए स्थान की लागत और जोखिम और लाइसेंसधारियों की जिम्मेदारी और इसके अलावा, निम्नलिखित दरों पर जुर्माना लाइसेंस शुल्क लगाया जाएगा जो कि कब्जे वाले स्थान पर लगाया जाएगा।
 - (i) पत्तन द्वारा खाली कब्जा प्राप्त करने तक सामान्य लाइसेंस शुल्क का तीन गुना या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी अन्य भूमि नीति दिशानिर्देश।
 - (ii) आवंटन आदेश/पट्टा/लाइसेंस विलेख में निर्धारित नियम और शर्तें।
- (ड.) अनुज्ञा उस कैलेंडर माह की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जाएगी जिसके लिए इसे जारी किया गया है। एक्जिम कार्गो (सुरक्षा कंपाउंड दीवार के अंदर और बाहर दोनों) के भंडारण के लिए जहाज से जहाज के आधार पर लाइसेंस की अधिकतम अविध चार (4) महीने तक होगी और कार्गो के तटीय संचलन के लिए छह (6) महीने और लाइसेंस शुल्क लगाया जाता है। दरों की अधिसूचित अनुसूची के अनुसार। लाइसेंस के नवीनीकरण का कोई प्रावधान नहीं होगा। एक्जिम कार्गो (सुरक्षा परिसर की दीवार के अंदर और बाहर दोनों) के भंडारण के लिए जहाज से जहाज के आधार पर 4 महीने से अधिक भूमि / परिसर का कब्ज़ा और कार्गों के तटीय संचलन के लिए छह (6) महीने, बाद के आवंटन के बिना अनिधकृत कब्जे के रूप में माना जाएगा और मुआवजा

सामान्य लाइसेंस शुल्क का 3 गुना भुगतान कब्जा करने वाले द्वारा किया जाएगा और शुल्क एसबीआई (एमसीएलआर)+2% प्रति वर्ष (या) पट्टा/लाइसेंस विलेख/आवंटन आदेशों के अनुसार दंडात्मक ब्याज को आकर्षित करेगा। संचित बकाया पर और लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। किसी भी मामले में लाइसेंस शुल्क अग्रिम लाइसेंस शुल्क देय होने की तारीख से 15 दिनों से अधिक के लिए संचित नहीं होना चाहिए। [सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन दंडात्मक ब्याज]

(च). एनएमपीए की लिखित अनुमित के बिना कोई भी लाइसेंसधारी उसे/उन्हें आवंटित स्थान को निजी बंधुआ क्षेत्रों में परिवर्तित नहीं करेगा। एनएमपीए से पूर्व लिखित अनुमित प्राप्त करने में विफल रहने पर समय-समय पर प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(छ). सुरक्षा जमाराशि :

- (i). एक महीने के लाइसेंस शुक्क के बराबर सुरक्षा जमा जहाज से जहाज के लिए 11 महीने तक के लाइसेंस के लिए लागू होगा। एनएमपीए को देय किसी भी राशि को समायोजित करने के बाद भूमि को पूरी तरह से खाली करने के बाद बिना ब्याज के जमानत राशि वापस कर दी जाएगी।
- (ii). उपरोक्त (क) में उल्लिखित भूमि के अलावा अन्य भूमि के पट्टे के मामले में, दो साल के लीज रेंटल के बराबर की वापसी योग्य सुरक्षा जमा राशि लागू होगी।
- (iii). एनएमपीए के कारण होने वाली किसी भी राशि को समायोजित करने के बाद भूमि को पूरी तरह से खाली करने के बाद सुरक्षा जमा राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
- (iv). यदि भूमि/स्थान को अंतिम रूप से खाली करने और लाइसेंसधारी द्वारा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की तिथि से 20 दिनों के भीतर सुरक्षा जमा राशि वापस नहीं की जाती है, तो एनएमपीए एसबीआई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेसड लेंडिंग दर (एमसीएलआर) + ऐसे विलंबित रिफंड पर समय-समय पर संशोधित 2% प्रति वर्ष।
- (ज) एनएमपीए के पास किसी भी समय पूरी तरह या आंशिक रूप से भूमि/स्थान के कब्जे को फिर से शुरू करने का अधिकार होगा, जो पत्तन द्वारा आवश्यक है/लाइसेंसधारी द्वारा कब्जा नहीं किया गया है, जिस स्थिति में लाइसेंस शुल्क में आनुपातिक कमी की अनुमति दी जाएगी। किसी भी मामले में एनएमपीए एक्ज़िम कार्गों के लिए चार महीने से कम और तटीय संचलन कार्गों के लिए छह महीने से कम के लाइसेंस के मामले में 7 दिनों की नोटिस अवधि देगा। अनिधकृत कब्जे या अतिक्रमण या लाइसेंस अवधि की सामान्य समाप्ति के मामले में, ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा और पत्तन तुरंत पत्तन द्वारा आवश्यक भूमि/स्थान को वापस ले लेगा। भूमि के ऐसे पुनर्ग्रहण या कब्जे के मामले में, अनुज्ञप्ति ऐसे पुनर्ग्रहण या कब्जे

- के कारण किसी मुआवजे का दावा करने या भूमि पर उसके द्वारा किए गए सुधारों, यदि कोई हो, को हटाने और हटाने का हकदार नहीं होगा।
- (झ) लाइसेंसधारक को आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण के मंडल को भूमि की पुनरारंभ के खिलाफ अपील करने का अधिकार होगा और इसमें एनएमपीए के मंडल का निर्णय अंतिम होगा।
- (त्र) लाइसेंसधारी/आवंटी एनएमपीए द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी नियमों या निदेशों का पालन करने के लिए सहमत होंगे। यदि लाइसेंसधारी नियमों या निदेशों का पालन करने में उपेक्षा करता है, तो एनएमपीए लाइसेंस को समाप्त कर सकता है।
- (ट) लाइसेंसधारी/आवंटी इस बात से सहमत होंगे कि लाइसेंसधारी को आवंटित भूमिस्थान के / संबंध में पत्तन को देय किसी भी प्रकार के सभी भुगतान और व्यय एनएमपीए के दरमान में निर्धारित दरों पर वसूली योग्य होंगे।
- (ठ) लाइसेंसधारी/आवंटी सभी नियमों और विनियमों का पालन करेगा जो समय-समय पर लाइसेंस/अनुज्ञा के तहत स्थानीय अधिकारियों या विस्फोटकों के निरीक्षक, विस्फोटक विभाग, सीमा शुल्क आयुक्त और भारत सरकार या जो भी माल के भंडारण से संबंधित हो, जारी किया जा सकता है।
- 12. सम्पदा किराए के लिए एसओआर के संशोधन का प्रस्ताव पत्तन उपयोगकर्ताओं को परिचालित किया गया था और टिप्पणियों/विचारों की मांग के लिए 22.03.2022 को पत्तन वेबसाइट पर होस्ट किया गया था। 21.03.2022 को हितधारकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई और प्रस्तावित "एसओआर-2022-27" पर अतिरिक्त टिप्पणी प्रस्तुत करने की समय अवधि 28.03.2022 तक बढ़ा दी गई।
- 13. सिमिति ने 28.03.2022 को आयोजित अपनी **दूसरी बैठक** में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों की जांच की। सिमिति ने पत्तन उपयोगकर्ताओं की टिप्पणियों को नोट किया और उठाए गए बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया। उठाए गए बिंदु और उन बिंदुओं के उत्तर नीचे सारणीबद्ध हैं: -

नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण की अभियुक्तियां पत्तन उपयोगकर्ता की टिप्पणियाँ क्र.सं. एनएमपी यूजर वेलफेयर एसोसिएशन (पत्र संख्या एनएमपीयुडब्ल्यूए/001 दिनांक 21.02.2022 द्वारा 1(क) बिन्दु सं.1 से 4 तक एसोसिएशन ने प्रस्ताव पीजीएलएम-2015 के अनुसार है। अपनी चिंताओं को उठाया है कि हालाँकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कोविड-19 ने व्यापार को कितनी बुरी कोविड-19 महामारी ने वैश्विक समुद्रीय तरह प्रभावित किया है। व्यापार को प्रभावित किया है, भूमि प्रबंधन 2015 के लिए नीति दिशानिदेशों के खंड 13 के आधार पर मूल्यांकन किए गए पत्तन भूमि के बाजार मूल्य पर उपयुक्त छूट कारक पर विचार करते हुए संशोधित एसोसिएशन ने कहा है कि एसओआर तैयार किया गया है। निम्नलिखित कारणों से एनएमपी पर ii. प्रतिकूल कारकों को ध्यान में रखते हुए सामान्य कार्गो में कमी आई है। उपयुक्त छूट पर विचार किया गया है। □. मालभाडा दरों में 100% से 150% तक भारी वद्धि । एमएलओ द्वारा एक्जिम कार्गों के लिए कंटेनरों की आपूर्ति करना।

क्र.सं.	पत्तन उपयोगकर्ता की टिप्पणियाँ	नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण की अभियुक्तियां
	 कोई भी मदर वेसल पत्तन पर न आने के कारण, एक्जिम कंटेनरों को माल ढुलाई के अलावा 400 से 450 यूएसडी की अतिरिक्त ट्रांसशिपमेंट लागत पर कोलंबो के माध्यम से फिर से भेजा जाता है। 	
	 ा राज्य में खराब सड़क संपर्क के पिरणामस्वरूप पिरवहन लागत में वृद्धि हुई है। हुबली और मंगलूर के बीच रेलवे कनेक्टिविटी न होने के कारण 	iii. एसोसिएशन की अपील का जवाब
	कनाक्टावटा न होने के कारण एनएमपी के लिए कार्गो को गोवा के रास्ते एनएमपी तक पहुंचना पड़ता है, जिससे परिवहन लागत में वृद्धि होती है। साथ ही जेएनपीटी और एमपीटी के लिए कार्गो का दिक परिवर्तन भी हो रहा है।	 मदर वेसल्स को न बुलाने/कंटेनरों को रूटिंग के लिए कोलंबो/सिंगापुर के दक्षिण पूर्वी एशिया के ट्रांसशिपमेंट पत्तनों पर निर्भरता के संबंध में उठाया गया मुद्दा एक ऐसी घटना नहीं है जो केवल नव मंगलूर पत्तन पर ही प्रचलित है। भारत में अधिकांश पत्तन फीडर वेसल्स पर निर्भर
	iii. उपर्युक्त की दृष्टि में संघ ने निम्नलिखित अपील की है	हैं और अधिकांश कंटेनर एक्जिम व्यापार के लिए ट्रांसशिपमेंट पत्तन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, कंटेनरों के लिए
	क. जब तक मदर वेसल्स एनएमपी को न बुलाएं, तब	भंडारण प्रभार, जो प्रतिदिन प्रति टीईयू में एस्टेट एसओआर का सीमा नहीं है।
	तक जमीन का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा	 मंगलूर से बेंगलूर और कर्नाटक के अन्य उत्तरी भागों तक अच्छी सड़क/रेल कनेक्टिविटी स्थापित होने तक भूमि का किराया न बढ़ाने की
	ख. मंगलूर से बेंगलूर और कर्नाटक के अन्य उत्तरी भागों तक अच्छी सड़क/रेल कनेक्टिविटी स्थापित होने तक भूमि का किराया नहीं	अपील को समय की बात के रूप में नहीं माना जा सकता है जब दो घटनाओं को पूरा किया जाएगा और इस पर पत्तन का कोई नियंत्रण नहीं है।
	बढ़ाना। ग. पत्तन के आसपास के क्षेत्र में पंजीकृत भूमि के लेनदेन के आधार पर भूमि के किराये में वृद्धि नहीं करना।	 पत्तन के आसपास के क्षेत्र में पंजीकृत भूमि लेनदेन को एकमात्र कारक मानते हुए एसओआर को संशोधित नहीं किया गया है। प्रस्तावित एसओआर प्राप्त करते समय

क्र.सं.	पत्तन उपयोगकर्ता की टिप्पणियाँ	नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण की अभियुक्तियां
		विभिन्न कारकों द्वारा लगाए गए आर्थिक तनाव के कारण पत्तन संपत्ति उपयोगिता की घटती प्रवृत्ति के संकेत पर विचार किया गया है। यह विश्लेषण किया गया है कि पीजीएलएम-2015 के खंड 13 के आधार पर भूमि के उच्चतम बाजार स्थिति का सही प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। इसलिए अन्य कारकों पर विचार करते हुए जो भूमि के बाजार मूल्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे (i) भौतिक गुण (ii) आर्थिक गतिविधियों की उपलब्धिता (iii) भूमि का आकार (iv) कोविड-19 महामारी आदि, मूल्यांकनकर्ता द्वारा पीजीएलएम 2015- के खंड 13 के अनुसार निर्धारित पत्तन भूमि के बाजार मूल्य पर छूट कारक लागू किए गए हैं।
	घ. पीजीएलएम 2014 के अनुसार, हर 5 साल में टैरिफ में संशोधन	 पीजीएलएम-2015 के खंड 13 (सी (के अनुसार, प्रत्येक 5 साल में एक बार एसओआर को फिर से ठीक करना अनिवार्य है।
	अनिवार्य नहीं है। इसलिए टैरिफ में संशोधन वैकल्पिक है।	 जी हाँ। जैसा कि ऊपर कहा गया है, एसओआर तय करते समय कोविड- 19 के प्रभाव को विधिवत ध्यान में रखा गया है।
	ड. पत्तन के खंड सं.6 ने स्वीकार किया है कि12 महापत्तनों में संभाले जाने वाले कार्गो में कोविड-19 महामारी के कारण काफी गिरावट आई है।	 प्रस्ताव पीजीएलएम-2015 के प्रावधानों और बाद में मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए स्पष्टीकरणों/आदेशों पर आधारित है। इसका प्रत्याशित प्रभाव पड़ेगा।

क्र.सं.	पत्तन उपयोगकर्ता की टिप्पणियाँ	नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण की अभियुक्तियां
	 नए एसओआर को संभावित रूप से लागू करना और तदनुसार संबंधित अधिकारियों को निर्देश देना। 	छ.एनएमपी में 21.03.2022 को" पत्तन उपयोगकर्ता की सुनवाई" आयोजित की गई और पत्तन प्रबंधन ने उपयोगकर्ताओं की चिंताओं पर ध्यान दिया।
	 पत्तन प्रबंधन के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना। 	
1(ख)	न्यू मैंगलोर पोर्ट यूजर वेलफेयर एसोसिएश	न (दिनांक 28.03.2022 के पत्र द्वारा प्राप्त)
	चूंकि एनएमपी के भीतरी इलाकों के साथ अच्छी रेल और सड़क इंटरकनेक्टिविटी नहीं है, एनएमपी पर तार्किक और संचालन लागत पड़ोसी चेन्नई पत्तन की तुलना में अधिक है। इसके अलावा कोई भी मदर वेसल एनएमपीए को कॉल नहीं करता है, एनएमपी से कंटेनर कार्गी फीडर जहाजों के माध्यम से ट्रांसशिपमेंट पत्तन के माध्यम से चलता है, जिससे कंटेनर की लागत प्रति टीईयू यूएसडी 500/- बढ़ जाती है। उपर्युक्त को देखते हुए एसोसिएशन ने सड़क और रेल कनेक्टिविटी में सुधार होने, लॉजिस्टिक्स सस्ता होने और मुख्य जहाजों के एनएमपी पर कॉल करने तक जनरल कार्गी के लिए भूमि किराए कम करने का अनुरोध किया है।	पत्र दिनांक 21.02.2022 द्वारा पहले ही प्रस्तुत
2	एजिस इंडिया (21.02.2022 को ईमेल द्वारा प्र	ग्राप्त)
	 i. बिंदु सं. 6 पर, मैसर्स एजिस ने कहा है कि पणंबूर गांव और मार्शिलंग यार्ड क्षेत्र के मामले में, पत्तन ने वर्तमान बाजार प्रतिबिंबों को ध्यान में रखते 	5 कारकों में से उच्चतम को ध्यान में रखते हुए एसओआर तय किया जाएगा। इस क्षेत्र के लिए अद्यतन एसओआर 54.84 रुपये/वर्गमीटर/माह है।

क्र.सं.	पत्तन उपयोगकर्ता की टिप्पणियाँ	नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण की अभियुक्तियां
	हुए मूल्यक के मूल्यांकन को	इसके अलावा रु. 63.76/वर्गमीटर/माह (आरक्षित
	अपनाया है।	मूल्य रु. 53.76/वर्गमीटर/माह + टेंडर प्रीमियम
		रु. 10.00/वर्गमीटर/माह) की उच्चतम पट्टे किराए
	जहां तन्नीभावी क्षेत्र के मामले में,	THE COLUMN THE PROPERTY OF THE
	हालांकि मूल्यक ने मौजूदा बाजार	तण्णीरबावी में टेंडर किए गए प्लॉट के लिए
	प्रतिबिंबों के आधार पर 20% के शुद्ध	भुगतान की जा रही है।
	कटौती कारक की सिफारिश की थी,	इसलिए, आधार वर्ष 2022-23 के लिए 2% वार्षिक
	पत्तन ने मूल्यक द्वारा प्रस्तावित 38.55	वृद्धि के बाद 54.84 रुपये/वर्गमीटर/माह के
	रुपये/वर्गमीटर/माह के मूल्यांकन को	अद्यतन एसओआर पर विचार किया गया है।
	नहीं अपनाया है। लेकिन रुपये	
	54.84/वर्गमीटर/माह की दर को	
	बनाए रखा है।आर्थिक गतिविधि को	
	पुनर्जीवित करने के लिए पत्तन	
	उपयोगकर्ता के लिए समय पर	
	समर्थन प्रदान करने के संबंध में,	
	मैसर्स एजिस समूह ने पत्तन से	
	अनुरोध किया है कि वे तन्नीभावी क्षेत्र	
	के लिए मूल्यांकनकर्ता द्वारा	
	अनुशंसित शुद्ध छूट कारक पर भी	
	विचार करें।	
3	सूरज एग्रो (पत्र दिनांक 21.02.2022 द्वारा प्रा	प्त)
	i. एसओआर के संशोधन के दौरान	i. मार्शलिंग यार्ड क्षेत्र के लिए संबंधित
	मूल्यांकनकर्ता ने भूमि के मूल्यांकन	पहलुओं पर विचार करना, जैसा कि पणंबूर
	पर 35% मूल्यहास की सिफारिश की	गांव क्षेत्र के मामले में माना जाता है।
	है। लेकिन पत्तन ने ऐसा नहीं माना है।	
		ii. मूल्यांकनकर्ता द्वारा अनुशंसित 20% छूट
	ii. कमर्शियल यार्ड क्षेत्र के लिए समान	कारक लागू करने के बाद वाणिज्यिक क्षेत्र
	छूट कारक पर विचार करना, जैसा	के आसपास के क्षेत्र में लेनदेन पंजीकृत दर
	कि पणंबूर गांव क्षेत्र के मामले में	के अनुसार भूमि का मूल्य 8,89,57,800/-
	माना जाता है।	रुपये बनता है। यदि एसओआर निर्धारित
		करने के लिए समान मूल्य पर विचार किया

क्र.सं.	पत्तन उपयोगकर्ता की टिप्पणियाँ	नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण की अभियुक्तियां
		जाता है, तो एसओआ 44.48 रुपये/वर्गमीटर/माह बनता है। यह रु/89.78.वर्गमीटर/माह के अद्यतन एसओआर से काफी कम है और मैसर्स हिनकोल द्वारा भुगतान किए जा रहे रु/95.83.वर्गमीटर/माह के उच्चतम पट्टा किराया दर से भी कम है।) रु . /89.78वर्गमीटर/माह का आरक्षित मूल्य और6.05 /वर्गमीटर/ माह का निविदा प्रीमियम। इसलिए आधार अविध 2022-23 के लिए रु.89.78/वर्गमीटर/माह के अद्यतन एसओआर पर विचार किया गया है। मौजूदा पट्टा किराया दरों के निर्धारण के लिए विचार किए जाने वाले कारकों में से
		एक है।
4	मगलूर एसइजड लामटड (पत्र स.एमएसइ) 21.02.2022 द्वारा प्राप्त)	जेडएल/एनएमपीटी/2022/टीएएमपी/01 दिनांक
	i. पणंबूर गांव में, 20.02.2022 को अद्यतन एसओआर 32.91/वर्गमीटर/माह है। जबिक रियायती उच्चतम बाजार भूमि मूल्य पर आधारित एसओआर 38.95 रुपये/वर्गमीटर/माह है। पणंबूर गांव में पणंबूर कॉलोनी, कस्टम बाउंड क्षेत्र और बैकंपाडी क्षेत्र शामिल हैं। विचार की गई दर बैकंपाडी क्षेत्र पर आधारित है, जो मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र में निर्मित है। चूंकि मैसर्स एसईजेड (केआईओसीएल कंपाउंड दीवार के	i. पीजीएलएम-2015 के खंड 13(क)(ii) के अनुसार, पत्तन के आसपास के क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों में पंजीकृत वास्तविक लेनदेन की उच्चतम दर उपयुक्त वार्षिक वृद्धि के साथ पत्तन भूमि के नवीनतम बाजार मूल्य को निर्धारित करने वाले कारकों में से एक है। इसलिए जैसा कि यह देखा गया कि पणंबूर गांव के निकटतम इलाके में पंजीकृत लेन-देन बैकंपाडी क्षेत्र में था, इसे पणंबार गांव में भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए एक प्रतिनिधि नमूने के रूप में माना गया है। उपयोगिता कारकों के आधार पर क्षेत्रों को वर्गीकृत

क्र.सं.	पत्तन उपयोगकर्ता की टिप्पणियाँ	नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण की अभियुक्तियां
	बाहर 2.395 एकड़) को आवंटित क्षेत्र	करने के उपयोगकर्ता के सुझाव पर इस
	विचार किए गए संदर्भ क्षेत्र	समय विचार नहीं किया जा सकता है।
	(बैकम्पाडी) से बहुत दूर है,	
	उपयोगकर्ता ने पत्तन से अनुरोध	
	किया है कि पहुंच और क्षेत्र की सीमा	
	के संदर्भ में उपयोगिता कारक के	ं नार्यक्र क्या मं २ (:) में बनाए गए
	आधार पर क्षेत्र को और वर्गीकृत	ii. उपर्युक्त क्रम सं .3 (ii) में बताए गए कारणों के लिए तन्नीभावी क्षेत्र के लिए
	किया जाए।	
		एसओआर का प्रस्ताव करते समय
	ii. मूल्यांकनकर्ता द्वारा तन्नीभावी क्षेत्र के	मूल्यांकनकर्ता द्वारा अनुशंसित 20% की
	लिए अनुशंसित छूट कारक को	शुद्ध छूट कारक पर विचार नहीं किया गया कै
	वर्तमान दरों को दर्शाते हुए नकार	है।
	दिया गया है। रियायती उच्चतम	
	बाजार मूल्य दर के अनुसार,	
	एसओआर 38.55	
	रुपये/वर्गमीटर/माह है। जबकि	
	टीएएमपी एसओआर 2017-22	
	(2021-22 के एसओआर पर 2%	
	वृद्धि (के आधार पर पत्तन द्वारा	··· गर्वः : ज्यार निम्म गाम जागोगरूजी के
	58.84/वर्गमीटर/माह का एसओआर	iii. एवं iv. ऊपर दिए गए उपयोगकर्ता के
	प्रस्तावित किया गया है।	अनुरोध को ध्यान में रखते हुए पणंबूर गांव
	iii. इस संबंध में फर्म ने टीएएमपी	के लिए एसओआर को 20.02.2022 तक
	एसओआर 2017-22 के आधार पर	अद्यतन एसओआर तक कम करने के
	20.02.2022 तक पणंबूर गांव के लिए	लिए,(यानि रु.32.91/वर्गमीटर/माह) और
	एसओआर को अद्यतन एसओआर	छूट कारक लागू करके तन्नीभावी क्षेत्र के
	तक कम करने का अनुरोध किया है	लिए एसओआर को कम करने पर विचार
	यानि ३८.९५ रुपये/वर्गमीटर/माह के	नहीं किया जा सकता है।
	बजाय ३२.९१ रुपये/वर्गमीटर/माह।	
	iv. टीएएमपी एसओआर 2017-22 (2021-	
	22 के एसओआर पर 2% वृद्धि) के	
	आधार पर 20.02.2022 को एसओआर	
	के सापेक्ष तन्निरभावी परिक्षेत्र के लिए	

क्र.सं.	पत्तन उपयोगकर्ता की टिप्पणियाँ	नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण की अभियुक्तियां
	संशोधित एसओआर निकालने के लिए वैल्यूएटर द्वारा अनुशंसित छूट कारक पर विचार करना	
5 (da)	गैमर्म दिनकोलाम दीगेल दिनांकित २१ ०२ २०२	ु दाग गाप्त
5 (Φ)	i. वाणिज्यिक क्षेत्र और मार्शिलेंग यार्ड क्षेत्र के रूप में वर्गीकरण के लिए बेंचमार्क के रूप में अपनाए गए पैरामीटर क्या हैं। महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 25 के अनुरूप तैयार किए गए एनएमपीटी मास्टर प्लान की प्रति प्रदान करें। ii. वाणिज्यिक यार्ड क्षेत्र के मामले में, भूमि के बाजार मूल्य का 6% वार्षिक किराया लागू नहीं होता है। जबिक यह 6% के दोगुने से भी ज्यादा माना जाता है। इसलिए 30 वर्षों की अविध में वार्षिक किराये के रूप में शुद्ध वसूली भूमि के बाजार मूल्य से कहीं अधिक होगी।	i. एनएच-66 के दोनों तरफ 50 मीटर के परिक्षेत्र में आने वाले जमीनी क्षेत्र को वाणिज्यिक परिक्षेत्र माना गया है। माल्या द्वार से केके द्वार तक पत्तन सुरक्षा दीवार और सर्विस सड़क /समुद्र तटीय सड़क के बीच मौजूद भूमि क्षेत्र की पट्टी को शामिल करने के लिए वाणिज्यिक क्षेत्र को और बढ़ा दिया गया है; पत्तन की अनुमोदित भूमि उपयोग योजना के आधार पर। ii. वाणिज्यिक यार्ड परिक्षेत्र के लिए एसओआर प्रस्तावित करते समय भूमि के बाजार मूल्य के 6% पर वार्षिक किराये पर विचार नहीं किया गया है, वाणिज्यिक परिक्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में लेनदेन पंजीकृत दर के अनुसार भूमि का मूल्य 8,89,57,800/-रुपये बनता है। मूल्यांकनकर्ता द्वारा अनुशंसित 20% छूट कारक लागू करने के बाद । यदि एसओआर निर्धारित करने के लिए समान मूल्य पर विचार किया जाता है, तो एसओआर 44.48 रुपये/वर्गमीटर/माह बनता है। यह रु.89.78/वर्गमीटर/माह के अद्यतन एसओआर से बहुत कम है और मैसर्स हिनकोलास द्वारा भुगतान किए जा रहे रु.95.83/वर्गमीटर/माह के उच्चतम पट्टा किराए की दर से भी (89.78/वर्गमीटर/माह का आरक्षित मूल्य के साथ रु.6.05/वर्गमीटर/माह प्रीमियम का) इसलिए आधार अवधि 2022-23 के लिए

क्र.सं.	पत्तन उपयोगकर्ता की टिप्पणियाँ	नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण की अभियुक्तियां
	iii. मार्ग अनुमित प्रभारों को भूमि किराया दरों में टिप्पणी किए गए संशोधनों के अनुसार उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। iv. अन्य पत्तनों जैसे हल्दिया में भूमि का आवंटन अपफ्रंट प्रीमियम के आधार पर दो वर्ष के वार्षिक पट्टा किराया और 1 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से वार्षिक पट्टा किराया के रूप में किया जाता है। जबिक एनएमपीटी पर दो वर्ष के वार्षिक पट्टा किराया के बराबर सुरक्षा जमा नियमित वार्षिक पट्टा किराया के अलावा पट्टेदार से वसूल किया जाता है।	पर विचार किया गया है। iii. मार्ग अनुमित प्रभार पत्तन नियमों और विनियमों और समय-समय पर इसके संशोधन, यिद कोई, के अनुसार होंगे। iv. सुरक्षा जमा आवंटन के समय प्रचलित भूमि नीति दिशानिर्देश के अनुसार एकत्र किया जाता है। पट्टा किराया का भुगतान या तो अग्निम आधार पर या वार्षिक आधार पर किया जा सकता है। यिद पट्टेदार वार्षिक लीज रेंट का विकल्प देता है, तो पीजीएलएम 2015 के अनुसार सुरक्षा जमा के लिए दो वर्ष का पट्टा किराया वसूल किया जाता है।
5 (ख)	मैसर्स हिनकोलास (पत्र दिनांकित 21.02.2022 व	के द्वारा प्राप्त)
	i. बाजार भूमि मूल्य पर 35% छूट कारक को ध्यान में रखते हुए पणम्बूर और मार्शिलेंग यार्ड के लिए एसओआर निकाला गया है। जबिक वाणिज्यिक यार्ड परिक्षेत्र के लिए 20% डिस्काउंट फैक्टर पर विचार किया गया है। डिस्काउंट फैक्टर तय करने के लिए किसी मानक नियम का पालन नहीं किया गया है। जिसके कारण हालांकि पनमबुर ग्राम क्षेत्र में भूमि का बाजार मूल्य (रु.11.98 करोड़/हेक्टेयर) वाणिज्यिक यार्ड क्षेत्र (रु. 11.11 करोड़/हेक्टेयर) से अधिक है, पनमबुर/मार्शिलंग यार्ड क्षेत्र के लिए प्रस्तावित एसओआर वाणिज्यिक यार्ड क्षेत्र के लिए प्रस्तावित एसओआर वाणिज्यिक यार्ड क्षेत्र के लिए	i. भूमि के बाजार मूल्य को प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर मूल्यांकनकर्ता द्वारा शुद्ध छूट कारक की सिफारिश की गई है। अर्थात (i) भौतिक विशेषताएँ (ii) आर्थिक गतिविधियों तक पहुँच (iii) भूमि का आकार (iv) कोविड-19 महामारी आदि। संबंधित क्षेत्रों में व्यवसाय पर उपरोक्त कारकों द्वारा लगाए गए आर्थिक तनाव के आधार पर, मूल्यांकनकर्ता ने छूट कारकों की सिफारिश की है भूमि के उचित मूल्य का आकलन करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए भौतिक मापदंडों जैसे पोर्ट / एनएच -66 से निकटता, वर्तमान उपयोग (जैसे वाणिज्यिक स्थान, एक्जिम कार्गी के लिए स्टॉकयार्ड) आदि के आधार पर। इसलिए पणम्बूर/मार्शिलंग यार्ड के लिए 35% शुद्ध छूट कारक और वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए

क्र.सं.	पत्तन उपयोगकर्ता की टिप्पणियाँ	नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण की अभियुक्तियां
	और वाणिज्यिक यार्ड परिक्षेत्र के लिए	शुद्ध २०% छूट कारक की सिफारिश
	निर्धारित एसओआर क्रमशः 38.95	मूल्यांकनकर्ता द्वारा की गई है और चक्रीय
	रुपये/वर्गमीटर/माह, 36.14	अवधि 2022-27 के लिए एसओआर तैयार
	रुपये/वर्गमीटर/माह और	करने के लिए अपनाया गया है।
	89.78/वर्गमीटर/माह है। यह एक स्पष्ट	
	संकेत है कि प्रस्तावित एसओआर भूमि	
	के बाजार मूल्य के अनुरूप नहीं है और	
	इसलिए पीजीएलएम-2015 से विचलन	
	है।	
<mark>5(ग)</mark>	हिंदुस्तान कोलास प्राइवेट लिमिटेड (दिनांक 28	2
	i. फर्म ने वाणिज्यिक यार्ड परिक्षेत्र में उन्हें	9
	आवंटित भूमि क्षेत्र के निविदा दस्तावेज	द्वारा पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। लेकिन
	में निर्धारित आरक्षित मूल्य और निविदा	जैसा कि यह निविदा सह नीलामी प्रक्रिया के
	शर्तों और हाल ही में मार्शलिंग यार्ड	माध्यम से मैसर्स हिनकोलास को आवंटित भूखंड
	परिक्षेत्र में भूमि के आवंटन के लिए	से संबंधित एक शिकायत है और प्रस्तावित
	पत्तन द्वारा आमंत्रित भूमि आवंटन	एसओआर पर कोई टिप्पणी नहीं है, बिंदु को
	निविदा के संबंध में अपनी शिकायतें	संदर्भ से बाहर माना जाएगा और एक अलग
	व्यक्त की हैं।	फोरम में संबोधित किया जाएगा।
	ii. प्रस्तावित एसओआर में पणम्बूर	
	/मार्शिलिंग यार्ड के लिए भूमि के बाजार	ii. यह बिंदु फर्म द्वारा अपने पत्र दिनांक 21.02.2022
	मूल्य पर 35% के डिस्काउंट फैक्टर पर	द्वारा पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। उसी का
	विचार किया गया है और वाणिज्यिक	उत्तर दिया गया है।
	यार्ड में भूमि के बाजार मूल्य के लिए	
	केवल 20% के डिस्काउंट फैक्टर पर	
	विचार किया गया है। डिस्काउंट फैक्टर	
	को लागू करने के लिए किसी मानक	
	नियम का पालन नहीं किया गया है।	
	जिसके कारण वाणिज्यिक यार्ड परिक्षेत्र	
	की तुलना में पणम्बूर /मार्शलिंग यार्ड में	
	अधिक भूमि मूल्य कम हो गया, जिसके	
	परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों के लिए कम	
	एसओआर हो गया। पणम्बूर गांव और	
	मार्शलिंग यार्ड/वाणिज्यिक यार्ड में भूमि	
	का बाजार मूल्य क्रमशः 11.98 करोड़	

क्र.सं.	पत्तन उपयोगकर्ता की टिप्पणियाँ	नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण की अभियुक्तियां
Pr. NI.	रुपये और 11.11 करोड़ रुपये है। जबिक पणम्बूर गांव, मार्शिलंग यार्ड और वाणिज्यिक यार्ड के लिए प्रस्तावित एसओआर क्रमशः 38.95 रुपये/वर्गमीटर/माह, 36.14 रुपये/वर्गमीटर/माह है। इससे पता चलता है कि किराया भूमि के बाजार मूल्य के अनुसार नहीं है और इस तरह पीजीएलएम से विचलित होता है। मैसर्स हिनकोलास को आवंटित भूमि क्षेत्र और बीच सड़क के दूसरी तरफ भूमि क्षेत्र, जो पणम्बूर/मार्शिलंग यार्ड में मौजूद हैं, के समान फायदे हैं क्योंकि वे बीच सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। (यानि) आर्थिक गतिविधि, सड़क संपर्क आदि तक पहुंच। iii. इस एसओआर में भी पत्तन ने नवीनतम निविदा सह नीलामी दर का पालन किया और इसे 44.48 रुपये/वर्गमीटर/माह से बढ़ाकर 89.78/वर्गमीटर/माह कर दिया। यह तरीका पीजीएलएम के पैरा 18(क) के अनुरूप नहीं है।	iii. वाणिज्यिक यार्ड परिक्षेत्र में खुली जगह के लिए प्रस्तावित एसओआर को नवीनतम निविदा सह नीलामी दर के आधार पर तैयार नहीं किया गया है। लेकिन इसे अद्यतन एसओआर 2017-2022 के आधार पर तैयार किया गया है। वर्ष 2021-22 के लिए टीएएमपी द्वारा अधिसूचित एसओआर की तुलना में 2%
	iv. कोविड-19 स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, एनएमपी को हिनकोलास को आवंटित भूमि क्षेत्र के लिए अन्य परिक्षेत्रों के बराबर पट्टा किराया पर विचार करना चाहिए, जिसमें सभी पत्तन उपयोगकर्ताओं को समान अवसर प्रदान करने की दृष्टि से उनकी भूमि के लिए अवरोही संशोधन शामिल हैं।	वृद्धि को देखते हुए आधार वर्ष 2022-23 के लिए एसओआर प्रस्तावित किया गया है। iv. वाणिज्यिक यार्ड परिक्षेत्र में खुले स्थान के लिए प्रस्तावित एसओआर उच्चतम बाजार मूल्य के आधार पर तैयार नहीं किया गया है। वर्तमान आर्थिक दबाव को ध्यान में रखते हुए आधार वर्ष 2022-23 के लिए एसओआर को प्रस्तावित किया गया है, वर्ष 2021-22 के लिए टीएएमपी अधिसूचित एसओआर से 2% वृद्धि पर विचार किया गया है।

है।

पत्तन उपयोगकर्ता की टिप्पणियाँ नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण की अभियुक्तियां क्र.सं. v. हमें वाणिज्यिक परिक्षेत्र और मार्शिलंग v. यह बिंद् फर्म द्वारा अपने पत्र दिनांक 21.02.2022 द्वारा पहले ही प्रस्तृत किया जा यार्ड परिक्षेत्र के वर्गीकरण के लिए बेंचमार्क के रूप में अपनाए गए चुका है। उसी का उत्तर दिया गया है। मापदंडों को जानने की जरूरत है। vi. पीजीएलएम-2015 के प्रावधानों के अनुसार vi. परिक्षेत्र वार संशोधन वैज्ञानिक नहीं है एसओआर प्रस्तावित किया गया है। पत्तन संपदा में परिक्षेत्र बोर्ड द्वारा अनुमोदित भूमि वर्गीकरण क्योंकि परिक्षेत्र का उपयोग योजना पर आधारित हैं और किसी व्यावसायिक गतिविधि पर आधारित प्रतीत होता है। व्यावसायिक गतिविधि व्यावसायिक गतिविधि पर आधारित नहीं हैं। वास्तविक गतिविधि पर नहीं होती है। देर से कई व्यावसायिक गतिविधियां ऑनलाइन हो गई हैं। इसलिए, भूमि मुल्यों को तय करने के लिए एक संकेत मानदंड के रूप में व्यावसायिक vii. प्रस्तावित एसओआर पीजीएलएम-2015 के गतिविधि को नहीं लिया जा सकता है। अनुसार है। vii. भूमि के बाजार मूल्य के 6% को बेंचमार्क के रूप में लेने का आधार पत्तन के आसपास की जमीन की वास्तविक बिक्री के परिसर में है, जो बिल्कुल दुर्लभ है क्योंकि हर 5 वर्ष में स्वामित्व नहीं बदलता है। अतः यह आधार अवैज्ञानिक हमारे मामले में भूमि के बाजार मूल्य के 6% वार्षिक किराये पर विचार नहीं किया गया है और इसे 6% के दोगूने से अधिक लागू किया गया है। viii. अधिसूचित एसओआर आरओडब्ल्यू अनुमति viii. पट्टे पर दी गई भूमि के लिए किराए में के लिए लागू होगा। टिप्पणी किए गए परिवर्तनों के अनुसार मार्ग अनुमति प्रभार को उपयुक्त रूप से ix. पर्यवेक्षण शुल्क एसओआर का हिस्सा नहीं हैं। संशोधित करने का अनुरोध किया जाता हालांकि, यह पीजीएलएम-2015 के अनुसार है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित आरओडब्ल्यू नीति ix. आरओडब्ल्यू अनुमति के लिए एक बार के अनुसार प्रभार किया जाता है। पर्यवेक्षण शुल्क टीएएमपी दिशानिर्देशों की भावना के अनुरूप नहीं

क्र.सं.	पत्तन उपयोगकर्ता की टिप्पणियाँ	नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण की अभियुक्तियां
6 (ক)	नव मंगलूर पत्तन स्टीवडोर्स एसोसिएशन (शेर	बर पुजारी, अध्यक्ष एओएनएमपीएस का पत्र दिनांक
	10.02.2022)	
	एक्जिम कार्गो शुल्क: उक्त प्रस्ताव में एक्जिम कार्गो दर को गैर एक्जिम कार्गो दर से अत्यधिक बढ़ा दिया गया है। एमपीटी अधिनियम 1963 के अनुसार भंडारण स्थान प्रदान करना पत्तन का अनिवार्य कार्य है। एक्जिम कार्गो को संभालने के लिए कवर्ड, पक्के और खुले स्थान आवश्यक हैं और स्थान के आधार पर टैरिफ तय करते समय इसमें अंतर नहीं किया जाना चाहिए। i. एनएमपीटी भूमि नीति टैरिफ़ संशोधन को प्रत्येक 5 वर्ष में अधिदेशित नहीं करती है। इसलिए संशोधन वैकल्पिक है। ii. पत्तन के आसपास के क्षेत्र में पंजीकृत भूमि लेनदेन पर आधारित नहीं होना चाहिए। पत्तन ने वाणिज्यिक विक्रेताओं से भूमि नहीं खरीदी है, लेकिन प्रति एकड़ 2000 रुपये से कम का मुआवजा देकर सरकार द्वारा आम जनता से जमीन का अधिग्रहण किया है।	पनमबुर गांव में खुली जगह के लिए गैर एक्जिम कार्गों के लिए एसओआर 38.95/वर्गमीटर/माह है। जबिक एक्जिम कार्गों के लिए यह रु. 35.70/वर्गमीटर/माह है। एक्जिम कार्गों के लिए पह रु. 35.70/वर्गमीटर/माह है। एक्जिम कार्गों के लिए एसओआर गैर एक्जिम कार्गों के एसओआर से 8.3% कम है। पक्के क्षेत्र और आच्छादित क्षेत्र के लिए मानक अनुपात विकास और रखरखाव लागत के कारण अधिक है। i. पीजीएलएम-2015 के खंड 13 (ग) के अनुसार, प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार एसओआर को पुन: निर्धारित करना अनिवार्य है। ii. पत्तन के आसपास के क्षेत्र में पंजीकृत भूमि लेनदेन को एकमात्र कारक मानते हुए एसओआर को संशोधित नहीं किया गया है। प्रस्तावित एसओआर प्राप्त करते समय विभिन्न कारकों द्वारा लगाए गए आर्थिक तनाव के कारण पत्तन संपदा उपयोगिता की घटती प्रवृत्ति के संकेत पर विचार किया गया है। यह विश्लेषण किया गया है कि पीजीएलएम-2015 के खंड 13 के आधार पर भूमि के उच्चतम बाजार मूल्य पर विचार करना वर्तमान बाजार स्थिति का सही प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। इसलिए अन्य कारकों पर विचार करते हुए जो भूमि के बाजार मूल्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे (i) भौतिक गुण (ii) आर्थिक गतिविधियों तक पहुंच (iii) भूमि का आकार (iv) कोविड-19 महामारी आदि, छूट कारकों को पीजीएलएम-2015 के खंड 13 के अनुसार निर्धारित पत्तन भूमि के बाजार मूल्य पर मूल्यांकक द्वारा लागू किया गया है।

೧೮೦೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ೦೯, ಫೆಬ್ರವರಿ, ೨೦೨೩ पत्तन उपयोगकर्ता की टिप्पणियाँ क्र.सं. ाः। इनपुट लागत उपभोक्ताओं को अंतिम लागत में परिलक्षित होती है। इसलिए कृत्रिम रूप से लागत बढाने से बचना चाहिए। आयात/निर्यात लागत उचित स्तर पर बनी रहे. जिसे उपभोक्ता वहन कर सके, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा पत्तन को बहुत कम कीमत पर प्रमुख भूमि प्रदान की गई है। iv. एसओआर में प्रस्तावित वृद्धि 30% से 45% है, जो 2% की वार्षिक वृद्धि के अतिरिक्त है, जो 5 वर्षों की अवधि में 11% हो जाती है। इसके अलावा एनएमपीटी कस्टम बंधित परिक्षेत्र के अंदर आवंटन के लिए किराये पर 10% अधिभार भी वसुल करता है। नए टैरिफ आदेश में इन कारकों को वापस लिया जा सकता है। मात्र 3.46 प्रतिशत है। v. कर्नाटक में खराब सडकों की स्थिति जिससे मुख्य जहाज एनएमपी को नहीं

बुला रहे हैं, परिवहन और माल भाड़े में

वृद्धि अंतिम अधिसूचित दरों से 5%

vi. एक्ज़िम कार्गो के लिए एसओआर में

वृद्धि हुई है।

अधिक होगी।

नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण की अभियुक्तियां

एसओआर में संशोधन किया गया है। इसके अलावा, जहां भी लागू हो, भूमि के बाजार मूल्य पर प्रासंगिक कारकों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए छूट कारकों को लिया गया है। इसलिए लागत में कोई कृत्रिम वृद्धि नहीं की जाती है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि बाजार मूल्य का मूल्यांकन एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष के पेशेवर मुल्यांकक के माध्यम से किया गया था।

- iv. पणंबूर ग्राम परिक्षेत्र और कस्टम बंधित परिक्षेत्र में खुली जगह के लिए दरमान में प्रस्तावित वृद्धि केवल 18.35% है। जबकि मार्शिलंग यार्ड परिक्षेत्र में यह केवल 10.15% और वाणिज्यिक. तन्नीरभावी, बोंदेल और कुडुपु परिक्षेत्र में 0% है। पणंबुर ग्राम परिक्षेत्र और कस्टम बंधित परिक्षेत्र में पक्के क्षेत्र के लिए दरमान में प्रतिशत वृद्धि केवल 8.61% है। जबिक मार्शिलंग यार्ड परिक्षेत्र में यह
 - पणंबूर ग्राम परिक्षेत्र और कस्टम बंधित परिक्षेत्र में कवर्ड स्पेस के लिए एसओआर में प्रतिशत वृद्धि केवल 29.28% है। वहीं मार्शिलंग यार्ड परिक्षेत्र में मात्र २६.५९ प्रतिशत है।
 - संशोधन में कस्टम बंधित परिक्षेत्र के लिए संशोधित एसओआर पर कोई अतिरिक्त 10% अधिभार प्रस्तावित नहीं किया गया है।
- v. दरें पीजीएलएम-2015 के अनुसार प्रस्तावित हैं। हालांकि, कोविड-19, आर्थिक और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित वृद्धि को उपयुक्त रूप से कम कर दिया गया है।
- vi. पीजीएलएम-2015 के अनुसार एसओआर तैयार करने के लिए ऐसा कोई मानदंड नहीं है। पीजीएलएम में मापदंडों के अनुसार एसओआर को दृढता से तैयार किया गया है।

क्र.सं.	पत्तन उपयोगकर्ता की टिप्पणियाँ	नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण की अभियुक्तियां				
6(ख)	नव मंगलूर पत्तन स्टीवडोर्स एसोसिएशन	(शेखर पुजारी, अध्यक्ष एओएनएमपीएस दिनांक				
	18.02.2022 का पत्र)					
	i. एसोसिएशन ने पिछले वर्ष के एसओआर पर 2% की दर से 20.02.2022 से 19.02.2023 की अविध के लिए अनंतिम एसओआर के कार्यान्वयन को रोकने का अनुरोध किया है। एसोसिएशन ने एमपीए अिधनियम-2021 की धारा 53 के अनुसरण में सरकार द्वारा अिधसूचित महा पत्तन प्राधिकरण के लिए टैरिफ नीति 2021 के संचालन के लिए कार्यकारी दिशानिर्देशों के संदर्भ में अपने अनुरोध को उचित ठहराया है और महा पत्तनों के लिए टैरिफ नीति 2021 के खंड 1.5 के अनुपालन में। ii. मौजूदा दरों की वैधता 19.02.2022 को समाप्त हो गई है और (i) एमपीए अिधनियम -2021, (ii) महा पत्तनों के लिए टैरिफ नीति 2021 के लिए टैरिफ नीति 2021 के संचालन के लिए कार्य दिशानिर्देश तत्कालीन मौजूदा एमपीटी अिधनियम, नीति और दिशानिर्देशों को 3.11.2021 से बदल दिया है। टैरिफ और 19.02.2022 से पहले के दिशानिर्देश समाप्त हो गए हैं। इस प्रकार पत्तन के पास इस स्तर पर लाइसेंस शुल्क/किराये में 2% वार्षिक वृद्धि करने का कोई अधिकार नहीं है। iii. एसोसिएशन ने एक्जिम कार्गी/स्टीवडोर्स/एक्जिम व्यापार के लिए विशेष रियायती दरों की पेशकश करने का अनुरोध किया है।	अनुसार, प्रत्येक महा पत्तन प्राधिकरण का बोर्ड या महा पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा इस संबंध में गठित समिति पत्तन परिसंपत्तियों तक पहुंच और उपयोग के लिए एसओआर और शर्त का विवरण तैयार कर सकती है। इस संबंध में एनएमपी प्राधिकरण बोर्ड ने संकल्प संख्या 103/2021-22 के तहत एसओआर और नियमों और शर्तों को तैयार करने के लिए समिति गठित की है। ii. पोर्ट ने 20.02.2022 से नए एसओआर (2022-2027) की अधिसूचना की तारीख तक की अवधि के लिए जमीन के किराये में 2% वार्षिक वृद्धि को प्रभावी करने की मंजूरी दी है। अतीत में, जब एसओआर संशोधन के लिए लंबित था, पीजीएलएम के अनुसार 2% की वृद्धि लागू की गई थी।				

क्र.सं.	पत्तन उपयोगकर्ता की टिप्पणियाँ	नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण की अभियुक्तियां			
7	मैसर्स मैंगलोर लिक्किड इंपेक्स (एमएलआई)(ईंग्	मेल दिनांकित 17.02.2022 के द्वारा)			
		प्रस्तावित एसओआर पीजीएलएम-2015 के प्रावधानों			
	के लिए वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए 89.78	के अनुसार है			
	रुपये/वर्गमीटर/माह का प्रस्तावित एसओआर				
	पीजीएलएम-2014 (बाजार मूल्य/आरक्षित मूल्य)				
	के खंड 18 के अनुसार नहीं है।				
8 (क)	जेएसडब्ल्यू (श्री सतीश बाबू का ईमेल दिनांक 1				
	i. पणंबूर/कस्टम बंधित परिक्षेत्र और मार्शिलंग यार्ड परिक्षेत्र के लिए एसओआर में क्रमशः 18.35% और 10.15% की दर से प्रस्तावित वृद्धि उच्च है और कोविड-19 महामारी का प्रभाव के कारण समुद्री व्यापार में मंदी के वर्तमान परिदृश्य के तहत किसी भी पत्तन उपयोगकर्ता के लिए वहनीय नहीं	i. प्रस्तावित एसओआर पीजीएलएम-2015 के प्रावधानों के अनुसार है। हालाँकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कोविड-19 महामारी ने वैश्विक समुद्री व्यापार को प्रभावित किया है, भूमि प्रबंधन नीति दिशानिर्देश 2015 के खंड 13 के आधार पर मूल्यांकन किए गए पत्तन भूमि के बाजार मूल्य पर उपयुक्त छूट कारक पर विचार करते हुए संशोधित एसओआर			
	है। इस संबंध में उपयोगकर्ता ने एसओआर को न बढ़ाने का अनुरोध किया है क्योंकि इससे व्यापार पर और प्रभाव पड़ेगा।	तैयार किया गया है।			
8 (ख)		मडब्ल्यूएमसीटीपीएल/एमएलआर/2021-22/267			
	दिनांक 25.03.2022 द्वारा प्राप्त)				
	 रियायत समझौते के अनुसार लाइसेंस शुल्क का आवधिक संशोधन अनुमत नहीं है: दिनांक 27.01.2020 के रियायत समझौते के प्रावधानों के तहत जेएसडब्ल्यूएमसीटीपीएल को भूमि क्षेत्र आवंटित किया गया है। रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंस शुल्क पहले से ही तय किया गया है और इसलिए लाइसेंस शुल्क का आवधिक संशोधन अनुमत नहीं है। एमओपीएस एंड डब्ल्यू परिपत्र के अनुसार लाइसेंस शुल्क का आवधिक संशोधन अनुमत नहीं है। 	तहत आवंटित भूमि क्षेत्र के संबंध में, लाइसेंस शुल्क की गणना रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार			

पत्तन उपयोगकर्ता की टिप्पणियाँ	नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण की अभियुक्तियां
एमओपीएस एंड डब्ल्यू परिपत्र संख्या पीडी-13017/2/2014-पीडी IV दिनांक 5.11.2019 के अनुसार, रियायत समझौते के तहत आवंटित भूमि के लिए लाइसेंस शुल्क का आवधिक संशोधन अनुमत नहीं है . iii. रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार आवंटित अतिरिक्त भूमि: रियायत समझौते के खंड 9.3 के अनुसार अतिरिक्त भूमि क्षेत्र के लिए लाइसेंस शुल्क अतिरिक्त भूमि देने के समय लागू एसओआर का 1.2 गुना होगा। एसओआर में बोली दस्तावेज के अनुसार वृद्धि खंड भी शामिल हो सकता है, लेकिन एसओआर का आवधिक संशोधन लागू नहीं होगा। iv. हितधारकों को पत्तन उपयोग के लिए अल्पावधि/दीर्घावधि आधार पर भूमि आवंटन: चूंकि समुद्री व्यापार में महामारी के कारण आर्थिक तनाव, रसद लागत में समग्र वृद्धि, आदि के लिए यह विवेकपूर्ण होगा कि एसओआर	(iv) पंजीकृत सरकारी दस्तावेजों और अन्य अभिलेखों के आधार पर पीजीएलएम-2015 के प्रावधानों के अनुसार एसओआर का संशोधन किया गया है। इसके अलावा, जहां भी लागू हो, भूमि के बाजार मूल्य पर प्रासंगिक कारकों के प्रतिकूल प्रभाव को
समर्थन करने के लिए किराये में छूट की पेशकश की जाए।	
इंडियन पोर्ट्स वेयरहाउसिंग कंपनी (आईपीडव	ज्ल्यूसी) (पत्र दिनांकित 11.02.2022 द्वारा)
उपयोगकर्ता ने पत्तन से एसओआर में वृद्धि नहीं करने का अनुरोध किया है क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण पिछले दो वर्षों से व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है।	प्रस्तावित एसओआर पीजीएलएम-2015 के प्रावधानों के अनुसार है। हालाँकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कोविड-19 महामारी ने वैश्विक समुद्री व्यापार को प्रभावित किया है, भूमि प्रबंधन 2015 के नीति दिशानिर्देशों के खंड 13 के आधार पर मूल्यांकन किए गए पत्तन भूमि के बाजार मूल्य पर उपयुक्त छूट कारक पर विचार करते हुए संशोधित एसओआर तैयार किया
	एमओपीएस एंड डब्ल्यू परिपत्र संख्या पीडी-13017/2/2014-पीडी IV दिनांक 5.11.2019 के अनुसार, रियायत समझौते के तहत आवंटित भूमि के लिए लाइसेंस शुल्क का आवधिक संशोधन अनुमत नहीं है . iii. रियायत समझौते की शतों के अनुसार आवंटित अतिरिक्त भूमि: रियायत समझौते के खंड 9.3 के अनुसार अतिरिक्त भूमि क्षेत्र के लिए लाइसेंस शुल्क अतिरिक्त भूमि क्षेत्र के लिए लाइसेंस शुल्क अतिरिक्त भूमि देने के समय लागू एसओआर का 1.2 गुना होगा। एसओआर में बोली दस्तावेज के अनुसार वृद्धि खंड भी शामिल हो सकता है, लेकिन एसओआर का आवधिक संशोधन लागू नहीं होगा। iv. हितधारकों को पत्तन उपयोग के लिए अल्पावधि/दीर्घावधि आधार पर भूमि आवंटन: चूंकि समुद्री व्यापार में महामारी के कारण आर्थिक तनाव, रसद लागत में समग्र वृद्धि, आदि के लिए यह विवेकपूर्ण होगा कि एसओआर न बढ़ाया जाए, लेकिन व्यापार का समर्थन करने के लिए किराये में छूट की पेशकश की जाए। इंडियन पोर्ट्स वेयरहाउसिंग कंपनी (आईपीडक उपयोगकर्ता ने पत्तन से एसओआर में वृद्धि नहीं करने का अनुरोध किया है क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण पिछले दो वर्षों से व्यवसाय

क्र.सं.	पत्तन उपयोगकर्ता की टिप्पणियाँ	नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण की अभियुक्तियां
10	हसन हाजी एंड कंपनी (ईमेल दिनांकित 07.02.	
	कई एक्ज़िम संस्थाओं के व्यापार पर कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के कारण उपयोगकर्ता ने एक्ज़िम कार्गो के लिए एसओआर को नहीं बढ़ाने का अनुरोध किया है।	प्रस्तावित एसओआर पीजीएलएम-2015 के प्रावधानों के अनुसार है। हालाँकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कोविड -19 महामारी ने वैश्विक समुद्री व्यापार को प्रभावित किया है, भूमि प्रबंधन नीति दिशानिर्देश-2015 के खंड 13 के आधार पर मूल्यांकन किए गए पत्तन भूमि के बाजार मूल्य पर उपयुक्त छूट कारक पर विचार करते हुए संशोधित एसओआर तैयार किया गया है।
11(ক)	रफ़्तार टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड (पत्र दिनांवि	*
	i. विभिन्न परिक्षेत्रों के लिए भूमि के बाजार मूल्य पर छूट कारक को अवैज्ञानिक रूप से लागू किया गया है। वे क्षेत्र जो राष्ट्रीय राजमार्गों (पणंबूर और मार्शिलंग यार्ड) के बहुत निकट हैं, उन्हें कम आर्थिक पहुंच वाले क्षेत्रों के रूप में माना गया है। जबिक राष्ट्रीय राजमार्ग से 4 से 5 किलोमीटर दूर तन्निरभावी क्षेत्र, जहां कोई बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है, पर 20% शुद्ध छूट कारक लगाया जाता है। इस संबंध में उपयोगकर्ता ने तन्निरभावी परिक्षेत्र को पणंबूर और मार्शिलंग यार्ड परिक्षेत्र के बराबर मानने का अनुरोध किया है।	भूमि का मूल्य 20% के नेटडिस्काउटिंग फैक्टर पर छूट के बाद 7,70,96,760 /- रुपये बैठता है; जैसा कि वैल्यूएटर द्वारा सुझाया गया है। यदि एसओआर पर पहुंचने के लिए समान मूल्य पर विचार किया जाता है, तो एसओआर 38.55 /वर्गमीटर/माह बनता है । यह 54.84 रुपये/वर्गमीटर/माह के अद्यतन एसओआर से काफी कम है। इसके अलावा तन्निरभावी परिक्षेत्र में निविदा प्लॉट के लिए मैसर्स

पत्तन उपयोगकर्ता की टिप्पणियाँ नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण की अभियुक्तियां क्र.सं. वाणिज्यिक यार्ड, तन्निरभावी, कुडुपु और डिस्काउंट फैक्टर पणंबूर और मार्शलिंग यार्ड के लिए प्रस्तावित परिक्षेत्र के लिए माने गए डिस्काउंट फैक्टर से कम बॉन्डल परिक्षेत्र एसओआर को टीएएमपी एसओआर 2017-है। ii. और iii प्रस्तावित एसओआर पीजीएलएम-2015 के 2022 के आधार पर 20.02.2022 के अद्यतन एसओआर के साथ तुलना करते अनुसार है। हुए बनाया गया है। यह अनुचित है क्योंकि पीजीएलएम में इसकी तुलना पिछले एसओआर से करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, टीएएमपी एसओआर 2017-22 को व्यथित द्वारा न्यायालय में चुनौती दी जा रही है। इसलिए टीएएमपी एसओआर 2017-22 को प्रस्तावित एसओआर के आधार के रूप में मानना अमान्य और अनुचित है। इसलिए बोलीदाता ने मूल्यांकनकर्ता द्वारा अनुशंसित भूमि के बाजार मूल्य पर शुद्ध छूट कारक लागू करने के बाद एसओआर तय करने का अनुरोध किया है। iii. पीजीएलएम एसओआर में संशोधन का प्रावधान करता है। एसओआर का संशोधन हर संशोधन के लिए अधिक नहीं होना चाहिए। संशोधन का उद्देश्य निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार उचित दर लगाना होना चाहिए और पत्तन के साथ-साथ उपयोगकर्ता को पारस्परिक लाभ के उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। रफ़्तार टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड (पत्र दिनांक 26.03.2022 द्वारा प्राप्त 11(ख) i. पत्तन भूमि के पूंजीगत मूल्य को प्रभावित पंजीकृत सरकारी दस्तावेजों और अन्य अभिलेखों के करने वाले विभिन्न कारकों को ध्यान में आधार पर पीजीएलएम-2015 के प्रावधानों के अनुसार रखते हुए, वैल्यूएटर ने विभिन्न क्षेत्रों के एसओआर का संशोधन किया गया है। इसके अलावा, लिए भूमि मूल्य निकालने के लिए छुट जहां भी लागू हो, भूमि के बाजार मूल्य पर संगत और प्रीमियम बढ़ाया था। हालांकि, कारकों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए छूट रियायती बाजार मूल्य के आधार पर कारकों पर विचार किया गया है।

रुपये/वर्गमीटर/माह

38.55

क्र.सं.	पत्तन उपयोगकर्ता की टिप्पणियाँ	नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण की अभियुक्तियां
	एसओआर को तन्निरभावी क्षेत्र में खुली	
	जगह के लिए एसओआर प्रस्तावित	
	करने पर विचार नहीं किया गया है।	
	लेकिन टीएएमपी एसओआर 2017-	
	2022 के आधार पर 54.84	
	रुपये/वर्गमीटर/माह का एसओआर	
	प्रस्तावित किया गया है। हालांकि	
	मूल्यांकन करते समय, यह माना गया है	
	कि कोविड-19 महामारी के प्रभाव के	
	कारण व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ	
	है, 20.02.2022 को अद्यतन एसओआर	
	पर विचार करते हुए, तन्निरभावी क्षेत्र में	
	खुले स्थान के लिए प्रस्तावित एसओआर	
	के उद्देश्य को विफल कर देगा।	
	मूल्यांकक द्वारा दी गई छूट। इसलिए	
	तन्निरभावी परिक्षेत्र में खुली जगह के	
	लिए एसओआर को	
	54.84/वर्गमीटर/माह (एसओआर -	
	2017-2011 के आधार पर अद्यतन	
	एसओआर) के बजाय	
	38.55/वर्गमीटर/माह (छूट कारक के	
	आधार पर) के रूप में माना जा सकता	
	है।	
12	केआईओसीएल लिमिटेड (पत्र सीएंडपीसी/प	रसओआर/2021-22 दिनांक 21.03.2022 द्वारा प्राप्त)
	(i) एनएमपी ने टीएएमपी-एसओआर 2017-22	(i) पट्टा किराया की मांग पत्तन के बोर्ड द्वारा
	के संशोधन के दौरान केआईओसीएल	अनुमोदित परिक्षेत्रीय योजना के आधार पर की
	लिमिटेड को "कस्टम बंधित परिक्षेत्र टैरिफ"	जाती है। वर्तमान बोर्ड द्वारा स्वीकृत पत्तन की
	बढ़ाया था। अनुरोध है कि 2022-2027 के	परिक्षेत्रीय योजना के अनुसार, केआईओसीएल
	चक्रीय अवधि के लिए भी इसे जारी रखा	को पट्टे पर दिया गया भूमि क्षेत्र कस्टम बंधित
	जाए।	परिक्षेत्र में मौजूद है।
		(ii) दस्तावेजों और अन्य अभिलेखों के आधार पर
	(ii) आधार वर्ष 2022-2023 के लिए कस्टम	पीजीएलएम-2015 के प्रावधानों के अनुसार
	बाउंड क्षेत्र में खुली जगह के लिए प्रस्तावित	एसओआर का संशोधन किया गया है । इसके

क्र.सं.	पत्तन उपयोगकर्ता की टिप्पणियाँ	नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण की अभियुक्तियां
	संशोधित एसओआर 35.70 रुपये प्रति	अलावा, जहां भी लागू हो, भूमि के बाजार मूल्य
	वर्गमीटर प्रति माह बहुत अधिक प्रतीत होता	पर संगत कारकों के प्रतिकूल प्रभाव को कम
	है। पिछले चक्र की अवधि के लिए टीएएमपी	करने के लिए छूट कारकों पर विचार किया गया
	अधिसूचित एसओआर के आधार पर आधार	है।
	वर्ष 2022-2023 के लिए अद्यतन एसओआर	
	30.15/वर्गमीटर/माह बनता है। यह प्रभाव दर	
	में 18.35% की वृद्धि में है। चूंकि पोर्ट ने	
	केआईओसीएल को 95.42 एकड़ भूमि पट्टे	
	पर दी है, इसलिए मौजूदा दरों में 18.35% की	
	वृद्धि से कंपनी पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा।	
	इसलिए अनुरोध है कि प्रस्तावित संशोधित	
	एसओआर की समीक्षा की जाए।	(iii) पहले पत्तन पट्टेदारों को एनईएफटी/आरटीजीएस
	(iii) चूंकि केआईओसीएल लिमिटेड ने 95.42	आदि के माध्यम से सुरक्षा जमा को पत्तन बैंक
	एकड़ पत्तन भूमि पट्टे पर ली है, दो वर्ष के	खाते में भेजने के लिए जोर देता था। लेकिन बाद
	पट्टे किराए के बराबर सुरक्षा जमा का	में मंत्रालय ने पत्र संख्या पीडी-13017/1/2020-
	भुगतान बहुत अधिक होगा। इसलिए यह	पीडी दिनांक 27.04.2020 के माध्यम से भूमि
	अनुरोध किया जाता है कि केआईओसीएल	प्रबंधन नीतिगत दिशानिर्देश-2015 का
	लिमिटेड को सीपीएसयू मानते हुए सुरक्षा	स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें कहा गया है
	जमा को माफ कर दिया जाए।	कि यदि सुरक्षा जमा 1 करोड़ से कम है, तो इसे
		नकद में एकत्र किया जा सकता है और यदि यह
		1 करोड़ के बराबर या अधिक है, तो इसे बैंक
		गारंटी के रूप में एकत्र किया जा सकता है।
		इसलिए इस समय सुरक्षा जमा की छूट के
		अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है।
13		
		एमपीटी/010-2021-2022 दिनांक 25.03.2022 द्वारा प्राप्त)
	i. भूमि का किराया 2% प्रति वर्ष की दर से	पंजीकृत सरकारी दस्तावेजों और अन्य अभिलेखों के
	बढ़ाया जाएगा, जो 30 वर्षों की अवधि में	आधार पर पीजीएलएम-2015 के प्रावधानों के अनुसार
	60% वृद्धि के रूप में प्रभावी होगा।	एसओआर का संशोधन किया गया है। इसके अलावा,
	पणंबूर गांव में खुली जगह के लिए	जहां भी लागू हो, भूमि के बाजार मूल्य पर संगत
	प्रस्तावित वृद्धि 18.35% है और हर 5	कारकों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए छूट
	वर्ष के बाद यदि एसओआर को	कारकों पर विचार किया गया है।
	18.35% की दर से संशोधित किया जाता	

है, तो कुल वृद्धि 170% होगी। इससे पूरा

क्र.सं.	पत्तन उपयोगकर्ता की टिप्पणियाँ	नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण की अभियुक्तियां
	कारोबार प्रभावित होगा। इसलिए फर्म ने	
	2022-2027 की अवधि के लिए	
	एसओआर में वृद्धि नहीं करने का	
	अनुरोध किया है, राजस्व को देखते हुए	
	पत्तन को पोत संबंधित शुल्कों और अन्य	
	पत्तन संबंधित शुल्कों के रूप में लाभ	
	प्राप्त होगा।	
14	अदानी टोटल गैस लिमिटेड (पत्र सं. एटीजीए	र्ल/यूडीपी/एनएमपीटी/कंस्ट्रक्शन/2022/016 दिनांक
	28.03.2022 द्वारा प्राप्त)	
	कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न	2% की दर से वार्षिक वृद्धि पीजीएलएम 2015 के
	प्राधिकारियों से अनुमित देने में देरी हुई है,	अनुसार है।
	जिससे इच्छित सुविधा को चालू करने में देरी हुई	
	है। इस संबंध में यह अनुरोध किया जाता है कि	
	2022-2027 चक्रीय अवधि के लिए एसओआर	
	अधिसूचित होने तक पट्टे किराए में 2% वार्षिक	
	वृद्धि को माफ किया जाए।	

14. पत्तन उपयोगकर्ताओं के अनुरोध पर, सिमित ने 28.03.2022 को आयोजित अपनी दूसरी बैठक में पणंबू गांव, कस्टम बंधित परिक्षेत्र और मार्शिलंग यार्ड में खुले स्थान और आच्छादित स्थान के लिए एसओआर में 10.15% और 16.59% क्रमशः की दर से टीएएमपी एसओआर 2017-2022 के आधार पर निकाले गए अद्यतन एसओआर पर वृद्धि को मॉडरेट करने की सिफारिश की। सिमिति द्वारा प्रस्तावित एसओआर इस प्रकार है:-

समिति द्वारा दिनांक 28.03.2022 को आयोजित अपनी बैठक में प्रस्तावित आधार वर्ष 2022-23 के लिए एसओआर									
	खुल	। क्षेत्र	पक्का		ढके हुए स्थान (शीट)		ढके हुए स्थान (आरसीसी)		
	(रुपये/वर्गमीटर/माह) या उसका भाग								
परिक्षेत्र	प्रस्ता	%	प्रस्तावि	%	प्रस्तावि	%	प्रस्तावि	%	
	वित	बढ़ोत	त	बढ़ोत	त	बढ़ोत	त	बढ़ोत	
	एसओ	री	एसओ	री	एसओ	री	एसओ	री	
	आर		आर		आर		आर		
पणंबूर	36.25	10.15	55.14	8.61	103.77	16.59	114.15	28.2 5	
कस्टम बाउंड परिक्षेत्र	33.22	10.15	60.66	8.61	114.13	16.59	125.54	28.2 5	

समिति द्वारा दिनांक 28.03.2022 को आयोजित अपनी बैठक में प्रस्तावित आधार वर्ष 2022-23 के लिए एसओआर									
	खुला क्षेत्र		पक्का		ढके हुए स्थान (शीट)		ढके हुए स्थान (आरसीसी)		
			(रुपये/वग	मीिटर/म	ाह) या उस	ाका भाग			
परिक्षेत्र	प्रस्ता	%	प्रस्तावि	%	प्रस्तावि	%	प्रस्तावि	%	
	वित	बढ़ोत	त	बढ़ोत	त	बढ़ोत	त	बढ़ोत री	
	एसओ	री	एसओ	री	एसओ	री	एसओ	री	
	आर		आर		आर		आर		
मार्शलिंग यार्ड	36.14	10.15	52.33	3.46	103.38	16.59	113.72	28.2 5	
वाणिज्यिक यार्ड	89.78	0.00	लागू नहीं	-	लागू नहीं	-	लागू नहीं	-	
तन्निर्भावी	54.84	0.00	लागू नहीं	-	लागू नहीं	-	लागू नहीं	-	
कुडुपु	58.66	0.00	लागू नहीं	_	लागू नहीं	-	लागू नहीं	-	
बोंदल	44.20	0.00	लागू नहीं	-	लागू नहीं	-	लागू नहीं	-	

- 15. सिमिति द्वारा 2022-2027 चक्रीय अविध के लिए प्रस्तावित उपर्युक्त एसओआर को पत्तन प्राधिकरण मंडल के समक्ष 29.04.2022 को आयोजित बैठक में रखा गया था। मंडल ने हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर प्रस्ताव पर विचार किया कि कोविड-19 महामारी के वर्तमान परिदृश्य में, एसओआर में किसी भी वृद्धि का व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मंडल ने संकल्प सं. 15/2022-23 के माध्यम से विस्तृत चर्चा के बाद, हितधारकों के अभ्यावेदन के आधार पर और पत्तन के हित में प्रस्ताव की फिर से जांच करने के लिए सिमिति को निर्देश दिया।
- 16. सिमिति की 01.07.2022 को आयोजित इसकी तीसरी बैठक में, इसके अलावा, 28.03.2022 को आयोजित इसकी दूसरी बैठक में इसके द्वारा अनुशंसित एसओआर की जांच की। हितधारकों के अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, सिमिति ने लघु अविध के लाइसेंस के आधार पर आवंटन के लिए संशोधित एसओआर पर पहुंचने और अन्य आवंटन के लिए प्रस्तावित दरों को जारी रखने के लिए प्रस्तावित वृद्धि के 50% की छूट देने की सिफारिश की। सिमिति द्वारा प्रस्तावित एसओआर इस प्रकार है:-

	आधार वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित एसओआर									
	खुला क्षेत्र (रुपये/वर्गमीटर/माह) या उसका भाग		पक्का क्षेत्र (रुपये/वर्गमीटर/माह) या उसका भाग		आच्छादित क्षेत्र (रुपये/वर्गमीटर/माह) या उसका भाग					
					शी					
परिक्षेत्र	अल्पावधि लाइसेंस आधार आवंटन के लिए	अल्पावधि लाइसेंस आधार आवंटन के अलावा	अल्पाव धि लाइसेंस आधार आवंटन के लिए	अल्पावधि लाइसेंस आधार आवंटन के अलावा	अल्पावधि लाइसेंस आधार आवंटन के लिए	अल्पावधि लाइसेंस आधार आवंटन के अलावा	आरसीसी			
पणंबूर	34.58	36.25	52.95	55.14	96.39	103.77	114.15			
कस्टम बंधित परिक्षेत्र	31.69	33.22	58.24	60.66	106.02	114.13	125.54			
मार्शिलंग यार्ड	34.48	36.14	52.33	52.33	96.03	103.38	113.72			
वाणिज्यिक यार्ड	89.78	89.78	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं			
तन्निर्भावी	54.84	54.84	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं			
कुडुपु	58.66	58.66	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं			
बोंदल	44.20	44.20	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं			

- 17. एसओआर के संशोधन के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा 24.08.2022 को हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। बोर्ड ने फिर से लघु अविध के आवंटन के अलावा अन्य के लिए दरों को कम करने के प्रस्ताव पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया। विचार-विमर्श के बाद, बोर्ड ने संकल्प संख्या 72/2022-23 के माध्यम से समिति को उपर्युक्त तर्ज पर प्रस्ताव की फिर से जांच करने और सिफारिशें प्रस्तुत करने का सुझाव दिया।
- 18. सिमिति ने 26.09.2022 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में, प्रस्तावित दर के 50% की छूट को लंबी अविध के पट्टे के लिए भी विस्तारित करने के प्रस्तावित एसओआर की फिर से जांच करने के बाद मामले पर विचार किया। 20.02.2022 से संशोधित एसओआर 2022-2027 के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि तक की अविध के लिए संकल्प संख्या 10/2021-22 द्वारा पत्तन प्राधिकरण मंडल द्वारा अनुमोदित एसओआर के बीच दर में% वृद्धि को दर्शाने के लिए एक तुलनात्मक विवरण और एसओआर की सिफारिश की गई सिमिति द्वारा नीचे सारणीबद्ध हैं: -

	आधार वर्ष 2022-23 के लिए दूसरा संशोधित एसओआर									
परिक्षेत्र	भाव (रुपये/वर्गमीटर/माह) या उसका भाग		दर (रुपये/वर्गमीटर/ माह) या उसका भाग		दर (रुपये/वर्गमीटर/माह) या उसका भाग					
	खुला क्षेत्र	% बढ़ोतरी	पक्का बना क्षेत्र	% बढ़ोतरी	शीट	% बढ़ो तरी	आरसी सी	% बढ़ोतरी		
पणंबूर	34.58	5.07	52.95	4.29	96.39	8.3	114.15	28.25		
कस्टम बंधित परिक्षेत्र	31.69	5.07	58.24	4.28	106.02	8.3	125.54	28.25		
मार्शलिंग यार्ड	34.48	5.09	52.33	3.46	96.03	8.3	113.72	28.25		
वाणिज्यिक यार्ड	89.78	0.0	लागू नहीं	-	लागू नहीं	-	लागू नहीं	-		
तन्निर्भावी	54.84	0.0	लागू नहीं	-	लागू नहीं	-	लागू नहीं	-		
कुडुपु	58.66	0.0	लागू नहीं	-	लागू नहीं	-	लागू नहीं	-		
बोंदेल	44.20	0.0	लागू नहीं	-	लागू नहीं	-	लागू नहीं	-		

19. 28.10.2022 को आयोजित बोर्ड की बैठक के दौरान, बोर्ड ने देखा कि तिन्नर्भावी परिक्षेत्र के संबंध में खुले क्षेत्र के लिए एसओआर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जबिक पणंबूर क्षेत्र के लिए वृद्धि प्रस्तावित है। विचार-विमर्श के बाद, बोर्ड ने संकल्प संख्या 111/2022-23 के माध्यम से सिमित को सुझाव दिया कि उपर्युक्त तर्ज पर प्रस्ताव की फिर से जांच की जाए। सिमित ने 31.10.2022 को हुई अपनी बैठक में प्रस्ताव की सिमीक्षा की और तिन्नर्भावी परिक्षेत्र में खुले क्षेत्र के लिए उसके द्वारा प्रस्तावित एसओआर को सही ठहराया। सिमित की राय थी कि तन्नीरभवी परिक्षेत्र में खुले भूमि क्षेत्र के लिए प्राप्त एसओआर पंजीकृत लेनदेन के अनुसार उच्चतम भूमि मूल्य के आधार पर रु. 38.55/वर्गमीटर/माह बनता है। यह रु.54.84/वर्गमीटर/माह के अद्यतन एसओआर से काफी कम है और मैसर्स सीलॉर्ड कंटेनर लिमिटेड द्वारा भुगतान किए जा रहे रु.53.76/वर्गमीटर/माह (रु.10.00/वर्गमीटर/माह के प्रीमियम को छोड़कर) की उच्चतम लीज रेंट दर भी है। इसलिए, आधार अविध 2022-23 के लिए रु.54.84/वर्गमीटर/माह के अद्यतन एसओआर पर विचार किया जाता है। लीज 2022-23 के लिए टैरिफ भूमि मूल्य रु.963 लाख प्रति हेक्टेयर पर आधारित है और विचार करने के बाद मूल्यांकन पर 20% का डिस्काउंट फैक्टर 770.97 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर बनता है। तदनुसार मूल्यांकन के 6% की दर से किराया रु.38.55/वर्ग मीटर/माह। जबिक वर्ष 2022-23 के लिए बढ़ा हआ SOR 54.84/वर्ग मीटर/माह है। इसलिए तन्नीरभावी

परिक्षेत्र के लिए प्रस्तावित किराये में कोई वृद्धि नहीं। इसके अलावा, उच्चतम बाजार मूल्य पर 35% छूट पर विचार करने के बाद, पणंबूर परिक्षेत्र के लिए भूमि का शुद्ध मूल्यांकन रुपये 778.99 लाख प्रति हेक्टेयर है और उपरोक्त मूल्यांकन का 6% किराया @ 38.94 / वर्ग मीटर है। / माह, जिसे और घटाकर 34.58 वर्ग मीटर कर दिया गया है। / माह पोर्ट उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध और बोर्ड की सलाह के अनुसार। जबकि 2022-23 के लिए बढ़ा हुआ एसओआर 32.91/वर्ग मीटर/माह है। इसलिए, पणंबूर परिक्षेत्र के लिए वृद्धि प्रस्तावित है

20. 13.12.2022 को आयोजित बोर्ड की बैठक में प्रस्तावित "पट्टे/लाइसेंस पर पत्तन परिसर के आवंटन के लिए दरमान में संशोधन और 2022-2027 की अविध के लिए आरओडब्ल्यू अनुमित देने" पर निर्णय लेने के लिए विचार-विमर्श के लिए निम्नलिखित एसओआर प्रस्तुत किया गया था।

	आधार वर्ष 2022-23 के लिए एसओआर चक्र अवधि 2022-27 के लिए (रुपये/वर्गमीटर/माह) या उसका भाग							
परिक्षेत्र	खुला क्षेत्र	पक्का बना	ढका हुआ स्थान					
		क्षेत्र	चादर की छत	आरसीसी की छत				
पणंबूर	34.58	52.95	96.39	114.15				
कस्टम बंधित परिक्षेत्र	31.69	58.24	106.02	125.54				
मार्शलिंग यार्ड	34.48	52.33	96.03	113.72				
वाणिज्यिक यार्ड	89.78	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं				
तन्निर्भावी	54.84	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं				
कुडुपु	58.66	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं				
बोंदेल	44.20	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं				

क. प्रारंभिक एसओआर प्रस्ताव की टिप्पणियों के तहत अन्य नियमों और शर्तों का पालन किया जाएगा।

	मूल एसओआर प्रस्ताव और अंतिम प्रस्तावित एसओआर के बीच तुलनात्मक विवरण												
	खुला भूमि क्षेत्र पक्का बना			क्षेत्र ढका हुआ स्थान									
क्षेत्र						ता. % कमी	चाद	र की छत		अ	आरसीसी की छत		
Qi A	मूल	प्रस्ता.	% कमी	मूल	प्रस्ता.		मूल	प्रस्ता.	% कमी	मूल	प्रस्ता.	% कमी	
पणंबूर	38.95	34.58	11.00%	55.14	52.95	4.00%	115.1	96.39	16.00%	126.6	114.2	10.00%	
कस्टम बाउंड	35.7	31.69	11.00%	60.66	58.24	4.00%	126.6	106	16.00%	139.2	125.5	10.00%	
मार्शलिंग यार्ड	36.14	34.48	5.00%	60.66	52.33	14.00%	112.3	96.03	14.00%	123.5	113.7	8.00%	
वाणिज्यिक यार्ड	89.78	89.78	0.00%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	112.3	लागू नहीं	लागू नहीं	123.5	लागू नहीं	लागू नहीं	

	मूल एसओआर प्रस्ताव और अंतिम प्रस्तावित एसओआर के बीच तुलनात्मक विवरण											
	खुला भूमि क्षेत्र			τ	पक्का बना क्षेत्र		ढका हुआ स्थान					
क्षेत्र						_	चादर की छत			आरसीसी की छत		
	मूल	प्रस्ता.	% कमी	मूल	प्रस्ता.	प्रस्ता. % कमी	मूल	प्रस्ता.	% कमी	मूल	प्रस्ता.	% कमी
तन्निर्भावी	54.84	54.84	0.00%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं			लागू नहीं		
कुडुपु	58.66	58.66	0.00%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं			लागू नहीं		
बोंदेल	44.2	44.2	0.00%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं			लागू नहीं		

- ख. मूल एसओआर प्रस्ताव, जिसे पत्तन उपयोगकर्ताओं के समक्ष टिप्पणियों के लिए रखा गया था और अंतिम प्रस्तावित एसओआर के बीच तुलनात्मक विवरण नीचे सारणीबद्ध है:-
- ग. दर में कमी से लेन-देन की लागत प्रतिस्पर्धी हो जाएगी और इससे अतिरिक्त थ्रूपुट आएगा और पट्टा किराया अधिकतम होगा और व्यापार द्वारा प्रतिबद्ध घाटशुल्क के रूप में अतिरिक्त आय भी मिलेगी। मौजूदा पट्टा किराया पर रियायत देने के बाद प्रस्तावित वृद्धि लगभग 5% से 10% है और स्टीवडोर्स भी इसका समर्थन कर रहे हैं।
- 21. पत्तन प्राधिकरण बोर्ड ने संकल्प संख्या 127/2022-23 के तहत निम्नलिखित "पट्टे/लाइसेंस पर पत्तन परिसर के आवंटन के लिए दरमान में संशोधन और 2022-2027 की अविध के लिए आरओडब्ल्यू अनुमित देने" को मंजूरी देने का संकल्प लिया।

	आधार वर्ष 2022-23 के लिए एसओआर चक्र अवधि 2022-27 के लिए (रुपये/वर्गमीटर/माह) या उसका भाग							
क्षेत्र	खुला क्षेत्र	पक्का बना	ढका हुआ स्थान					
		क्षेत्र	चादर की छत	आरसीसी की छत				
पणंबूर	34.58	52.95	96.39	114.15				
कस्टम बाउंड परिक्षेत्र	31.69	58.24	106.02	125.54				
मार्शलिंग यार्ड	34.48	52.33	96.03	113.72				
वाणिज्यिक यार्ड	89.78	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं				
तन्निर्भावी	54.84	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं				
कुडुपु	58.66	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं				
बोंदेल	44.20	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं				

21.1 पत्तन प्राधिकरण बोर्ड ने प्रस्तावित पत्तन किराया को नियंत्रित करने वाली निम्नलिखित शर्तीं को मंजूरी दी है:

(**क**) शर्तें :

- (i) निर्धारित दरें ऐसी अधिसूचना के 30 दिनों से लागू होंगी।
- (ii) अधिसूचित एसओआर कार्यान्वयन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा। एसओआर को इसके कार्यान्वयन की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति के बाद संशोधित किया जाएगा।
- (iii) एन/ए इंगित करता है कि यह लागू नहीं है, क्योंकि पक्के/कवर्ड क्षेत्र के संबंधित परिक्षेत्रों में कोई निर्माण मौजूद नहीं है, हालांकि यदि भविष्य में कोई विकास होता है तो भूमि के विकास पर किराए पर पर बढ़ा हुआ किराया लागू किया जाएगा।
- (iv) पट्टा किराया प्रभावी तिथि के वर्ष से प्रति वर्ष 2% (कंपाउंडेबल) की दर से वृद्धि करेगा।
- (v) उपर्युक्त तालिका में कवर्ड स्थान के लिए निर्दिष्ट दर भूतल के लिए लागू है। प्रथम तल में आरसीसी कवर्ड क्षेत्र दर भूतल क्षेत्र का 90% होगी।
- (vi) कस्टम बांड क्षेत्र में एक्जिम कार्गो के लिए खुली जगह के लिए प्रस्तावित दर वाणिज्यिक क्षेत्र में पट्टे पर दिए गए क्षेत्रों के लिए लागू होगी जहां एक्जिम कार्गो को जहाज से जहाज के आधार पर संग्रहीत किया जाता है, जब तक कि क्षेत्र वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पट्टे पर नहीं दिया जाता है।
- (vii) एक महीने के लाइसेंस शुक्क के बराबर सुरक्षा जमा 11 महीने तक के लाइसेंस पर अल्पाविध आवंटन के लिए लागू होगा। भूमि के पट्टे के मामले में, दो वर्ष के पट्टा किराया के बराबर की वापसी योग्य सुरक्षा जमा राशि लागू होगी। एनएमपीए को देय किसी भी राशि को समायोजित करने के बाद भूमि को पूरी तरह से खाली करने के बाद सुरक्षा जमा राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
- (ख) पाइपलाइन/सर्विस निलका : खुले क्षेत्र के लिए दर जैसा कि ऊपर तालिका आदि, बिछाने के लिए मार्ग में दी गई जगह के लिए पाइपलाइनों/सेवा अनुमित प्रभार। नाली/कन्वेयर आदि, के कब्जे वाले क्षेत्र के लिए लागू है।

उपर्युक्त अनुसूची ख पर टिप्पणी:

(i). मार्ग अनुमित प्रभारों के प्रयोजन के लिए, एकल पाइपलाइनों के कब्जे वाले क्षेत्र की गणना उन पाइपलाइनों के व्यास और लंबाई के आधार पर की जानी चाहिए। मल्टी-

लेयर पाइपलाइन स्टैक के मामले में, मल्टीलेयर पाइपलाइन स्टैक द्वारा कब्जा किए गए भौतिक क्षेत्र पर विचार किया जाना चाहिए और संबंधित उपयोगकर्ताओं को उस क्षेत्र से गुजरने वाली उनकी पाइपलाइनों के व्यास और लंबाई के आधार पर यथानुपात क्षेत्र के लिए बिल किया जाना चाहिए। सड़क, रेल, जेट्टी आदि के साथ साझा किए गए क्षेत्र के संबंध में, संबंधित उपयोगकर्ताओं को संबंधित क्षेत्र के 50% के अनुपात में बिल किया जाना चाहिए, यह मानते हुए कि उनके पास भूमि का विशेष अधिकार नहीं है और जो उनके पास है वह केवल 'मार्ग अधिकार' है, जहां तक भूमिगत पाइपों का संबंध है, यदि उपयोगकर्ता यह स्थापित करते हैं कि भूमिगत क्रॉस-कंट्री पाइपलाइनों के ऊपर सतह क्षेत्र का कब्जा भौतिक रूप से उनके पास नहीं है, तो मार्ग अनुमित शुल्क लगाने के उद्देश्य हेतु ऐसी पाइपलाइनों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र को व्यास और लंबाई के उत्पाद का 50% गिना जाना चाहिए।

(ii). पाइपलाइन/कन्वेयर आदि बिछाने के लिए मार्ग अधिकार की अनुमित जारी करने के नियम और शर्तें बोर्ड की नीति और समय-समय पर संशोधित नीति द्वारा शासित होंगी।

(ग). जल क्षेत्र प्रभार :

जेट्टी, सबमरीन पाइपलाइन आदि के निर्माण के लिए तट से सटी भूमि के लिए लाइसेंस शुल्क का 50% और मार्ग अधिकार की अनुमित के रूप में वसूल किया जाएगा। सबमरीन पाइपलाइन के लिए, जल क्षेत्र शुल्क पाइपलाइन द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र के लिए होगा और क्षेत्र ऊपर अनुसूची ख के तहत नोट (ii) के आधार पर आंका जाना चाहिए।

सामान्य परिस्थितियां:

(i). यहां बताई गई सभी शर्तें/टिप्पणियां उस सीमा तक लागू होंगी, जो भूमि प्रबंधन के लिए नीतिगत दिशानिर्देश-2015 में निर्धारित शर्तों और समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरणों के साथ असंगत नहीं हैं। असहमति की स्थिति में भूमि नीति दिशा-निर्देशों में सरकार द्वारा निर्धारित शर्ते मान्य होंगी।

(ii). **आवंटन:**

मासिक लाइसेंस के आधार पर नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण (एनएमपीए) की सुरक्षा परिसर की दीवार के बाहर या सुरक्षा परिसर की दीवार के भीतर अपने माल के भंडारण के लिए भूमि/स्थान के आवंटन की आवश्यकता वाले व्यक्ति लाइसेंस के लिए समय-समय पर एनएमपीए द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एनएमपीए को लिखित रूप में

आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यह एनएमपीए के विवेक पर होगा कि वह इस तरह के स्थान/भूमि को आवंटित करे या आवंटित करने से मना करे, लाइसेंसशुदा परिसर को उप-पट्टे पर देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii). लाइसेंसधारी की जिम्मेदारी :

माल/कार्गों के भंडारण के लिए भूमि/स्थान के लिए आवेदन करने में, भूमि/स्थान के लिए आवेदक इस प्रकार संग्रहीत/भंडारित माल के लिए सभी जोखिम और जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे। एनएमपीए द्वारा लॉकिंग या सुरक्षा परिसर की दीवार के अंदर या बाहर लाइसेंसधारियों को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से आवंटित शेड को एनएमपीए को माल का अमानतदार बनाने के रूप में नहीं माना जाएगा, जब तक कि एनएमपीए द्वारा उन्हें इस संबंध में रसीद नहीं दी जाती है। खुली या आच्छादित भूमि/स्थान के कब्जे को लाइसेंस विलेख/परिमट/अनुबंध में पुन: प्रस्तुत किया जाएगा।

एनएमपीए की भूमि पर अतिक्रमण या अनाधिकृत कब्जा और एनएमपीए के रेलवे ट्रैक, संयंत्र, उपकरण, संपर्क मार्ग आदि पर माल/कार्गों का ढेर लगाना, जिससे लाइसेंसधारी द्वारा यातायात की आवाजाही में बाधा उत्पन्न होती है, नीचे निर्दिष्ट दंडात्मक दर का भुगतान करने का दायित्व शामिल होगा एनएमपीए की परिसंपत्तियों को हुए नुकसान को ठीक करने की लागत के अलावा यदि लाइसेंसधारी ऐसा करने के लिए नोटिस के बावजूद अतिक्रमित क्षेत्र से माल हटाने में विफल रहता है, तो एनएमपीए द्वारा माल को कहीं और हटा दिया जाएगा और लाइसेंसधारी की लागत और निम्नलिखित दर पर इस प्रकार हटाए गए माल के कब्जे वाली भूमि पर दंडात्मक लाइसेंस शुल्क लगाया जाएगा।

(क) पत्तन या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी अन्य भूमि नीति दिशानिर्देशों द्वारा खाली कब्जा प्राप्त करने तक सामान्य लाइसेंस शुल्क का तीन गुना।

(iv). अन्य शर्तें :

(क). लाइसेंस विलेख/अनुज्ञा/करार के तहत स्टोर किए गए सामान का पूरा जोखिम और जिम्मेदारी लाइसेंसधारियों की होगी। एनएमपीए छुट-पुट चोरी, चोरी, आग या उसके नुकसान के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदारी नहीं लेगा। अनुज्ञप्तिधारी अपने आबंटित स्थान पर भंडारित माल की सुरक्षा के लिए तथा

- ऐसी भूमि/स्थान पर किसी अन्य द्वारा अनाधिकृत कब्जा रोकने के लिए अपनी स्वयं की चौकी तैनात करेंगे।
- (ख). अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति विलेख/अनुज्ञा के अधीन अधिग्रहीत भूमि/स्थान पर कोई स्थायी संरचना, भवन, निर्माण या सुविधा या केंटीन का निर्माण नहीं करेगा। लाइसेंसधारी लाइसेंस अनुज्ञा के समय या समाप्ति पर भूमि/स्थान को उसकी मूल स्थिति में बहाल करेगा और यदि लाइसेंसधारी विफल रहता है, तो एनएमपीए लाइसेंसधारी की लागत जोखिम और जिम्मेदारी पर ऐसी बहाली की व्यवस्था करेगा।
- (ग). लाइसेंस शुल्क या शुल्क का भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा आवंटन पत्र प्राप्त होने या लाइसेंसधारी द्वारा भूमि/स्थान पर कब्जा करने की तिथि से, जो भी पहले हो, एनएमपीए के दरमान में निर्धारित दरों के अनुसार किया जाएगा। लाइसेंस शुल्क प्रत्येक कैलेंडर माह के लिए बाद की अवधि के लिए एनएमपीए को अग्रिम रूप से प्रेषित किया जाएगा अर्थात प्रत्येक माह की पहली तारीख से देय तिथि से पहले भुगतान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, एसबीआई (एमसीएलआर) पर दंडात्मक ब्याज + 2% प्रति वर्ष लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त संचित बकाया पर समय-समय पर संशोधित किया जाता है। [दंडात्मक ब्याज सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार परिवर्तन का विषय है। [एमसीएलआर-सीमांत लागत उधार दर]।
- (घ). यदि लाइसेंस अनुज्ञा का नवीनतम नवीनीकरण नहीं किया जाता है तो लाइसेंसधारी अपने कब्जे वाली भूमि/स्थान को खाली कर देगा। यदि लाइसेंसधारी ऐसी संरचनाओं या निर्माण स्थल को हटाने के बाद प्रदान किए गए लाइसेंस/परिमट की समाप्ति की तिथि पर खाली कब्जे में भूमि/स्थान सौंपने में विफल रहता है, तो एनएमपीए को ऐसे ढांचे और उसमें संग्रहीत सामान को हटाने का अधिकार होगा। ऐसी भूमि/स्थान को किसी अन्य वैकल्पिक भूमि/पत्तन के परिसर के किसी भी हिस्से में खुले या कवर किए गए स्थान की लागत और जोखिम और लाइसेंसधारियों की जिम्मेदारी और इसके अलावा, निम्नलिखित दरों पर इस तरह हटाए गए माल के कब्जे वाले स्थान पर जुर्मीना लाइसेंस शुल्क लगाया जाएगा।

- (i). पत्तन या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी अन्य भूमि नीति दिशानिर्देशों द्वारा खाली कब्जा प्राप्त करने तक सामान्य लाइसेंस शुल्क का तीन गुना।
- (ii). आवंटन आदेश/पट्टा/लाइसेंस विलेख में निर्धारित नियम और शर्तें।
- अनुज्ञा उस कैलेंडर माह की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जाएगी जिसके लिए (ड.) इसे जारी किया गया है। एक्जिम कार्गी (सुरक्षा कंपाउंड दीवार के अंदर और बाहर दोनों) के भंडारण के लिए जहाज से जहाज के आधार पर लाइसेंस की अधिकतम अवधि चार (4) महीने तक होगी और कार्गों के तटीय संचलन के लिए छह (6) महीने और लाइसेंस शुल्क लगाया जाता है। दरों की अधिसूचित अनुसूची के अनुसार। लाइसेंस के नवीनीकरण का कोई प्रावधान नहीं होगा। एक्ज़िम कार्गो (सुरक्षा परिसर की दीवार के अंदर और बाहर दोनों) के भंडारण के लिए जहाज से जहाज के आधार पर 4 महीने से अधिक भूमि / परिसर का कब्ज़ा और कार्गों के तटीय संचलन के लिए छह (6) महीने, बाद के आवंटन के बिना अनिधकृत कब्जे के रूप में माना जाएगा और मुआवजा सामान्य लाइसेंस शुल्क का 3 गुना भुगतान कब्जा करने वाले द्वारा किया जाएगा और शुल्क एसबीआई (एमसीएलआर)+2% प्रति वर्ष (या) पट्टा/लाइसेंस विलेख/आवंटन आदेशों के अनुसार दंडात्मक ब्याज को आकर्षित करेगा। संचित बकाया पर और लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। किसी भी मामले में लाइसेंस शुल्क अग्रिम लाइसेंस शुल्क देय होने की तारीख से 15 दिनों से अधिक के लिए संचित नहीं होना चाहिए। [सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन दंडात्मक ब्याजा
- (च). एनएमपीए की लिखित अनुमित के बिना कोई भी लाइसेंसधारी उसे/उन्हें आवंटित स्थान को निजी बंधुआ क्षेत्रों में परिवर्तित नहीं करेगा। एनएमपीए से पूर्व लिखित अनुमित प्राप्त करने में विफल रहने पर समय-समय पर प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(छ). सुरक्षा जमा राशि:

(i) एक महीने के लाइसेंस शुक्क के बराबर सुरक्षा जमा जहाज से जहाज के लिए 11 महीने तक के लाइसेंस के लिए लागू होगा। एनएमपीए को

- देय किसी भी राशि को समायोजित करने के बाद भूमि को पूरी तरह से खाली करने के बाद बिना ब्याज के जमानत राशि वापस कर दी जाएगी।
- (ii). उपर्युक्त (क) में उल्लिखित भूमि के अलावा अन्य भूमि के पट्टे के मामले में, दो वर्ष के पट्टा किरया के बराबर की वापसी योग्य सुरक्षा जमा राशि लागू होगी।
- (iii). एनएमपीए को देय किसी भी राशि को समायोजित करने के बाद भूमि को पूरी तरह से खाली करने के बाद सुरक्षा जमा राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
- (iv). यदि भूमि/स्थान को अंतिम रूप से खाली करने और लाइसेंसधारी द्वारा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की तिथि से 20 दिनों के भीतर सुरक्षा जमा राशि वापस नहीं की जाती है, तो एनएमपीए एसबीआई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर)+ 2% प्रति वर्ष यथा समय-समय पर संशोधित ऐसे विलंबित वापसी पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान करेगा।
- (ज). एनएमपीए के पास किसी भी समय पूरी तरह से या आंशिक रूप से भूमि/स्थान के कब्जे को फिर से शुरू करने का अधिकार होगा जो पत्तन द्वारा आवश्यक है/लाइसेंसधारी द्वारा कब्जा नहीं किया गया है, जिस स्थिति में लाइसेंस शुल्क में आनुपातिक कमी की अनुमित दी जाएगी। किसी भी मामले में एनएमपीए एक्जिम कार्गों के लिए चार महीने से कम और तटीय संचलन कार्गों के लिए छह महीने से कम के लाइसेंस के मामले में 7 दिनों की नोटिस अविध देगा। अनिधकृत कब्जे या अतिक्रमण या लाइसेंस अविध की सामान्य समाप्ति के मामले में, ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा और पोर्ट तुरंत पोर्ट द्वारा आवश्यक भूमि/स्थान को वापस ले लेगा। भूमि के ऐसे पुनर्ग्रहण या कब्जे के मामले में, अनुज्ञप्ति ऐसे पुनर्ग्रहण या कब्जे के कारण किसी मुआवजे का दावा करने या भूमि पर उसके द्वारा किए गए सुधारों, यदि कोई हो, को हटाने और हटाने का हकदार नहीं होगा।

- (झ). लाइसेंसधारक को आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड को भूमि की बहाली के खिलाफ अपील करने का अधिकार होगा और इसमें एनएमपीए के बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।
- (ञ). लाइसेंसधारी/आवंटी एनएमपीए द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी नियमों या निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत होंगे। यदि लाइसेंसधारी नियमों या निर्देशों का पालन करने में उपेक्षा करता है, तो एनएमपीए लाइसेंस को समाप्त कर सकता है।
- (ट). लाइसेंसधारी/आवंटी इस बात से सहमत होंगे कि लाइसेंसधारी को आवंटित भूमि/स्थान के संबंध में पत्तन को देय किसी भी प्रकार के सभी भुगतान और व्यय एनएमपीए के दरमान में निर्धारित दरों पर वसूली योग्य होंगे।
- (ठ) लाइसेंसधारी/आवंटी सभी नियमों और विनियमों का पालन करेगा जो समय-समय पर लाइसेंस/अनुज्ञा के तहत स्थानीय अधिकारियों या विस्फोटकों के निरीक्षक, विस्फोटक विभाग, सीमा शुल्क आयुक्त और भारत सरकार या जो भी माल के भंडारण से संबंधित हो, जारी किया जा सकता है।
- 21.2 पत्तन प्राधिकरण मंडल ने 13.12.2022 को संकल्प संख्या 127/2022-23 के माध्यम से आयोजित अपनी बैठक में प्रस्तावित एसओआर को शर्तों के विवरण के साथ अधिसूचित करने का भी संकल्प लिया है, जिसके तहत पत्तन परिसर तक पहुंच और पत्तन उपयोगकर्ता के लिए उपयोग की अनुमित राज्य राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद प्रभाव में आने के लिए कर्नाटक राज्य राजपत्र के माध्यम से बोर्ड द्वारा दी जा सकती है।
- 22. महा पत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021, धारा 14 (1) के साथ पठित धारा 27 (1) (ग) के अनुसार, बोर्ड सेवाओं या पत्तन की परिसंपत्ति के उपयोग के लिए दरमान को बनाने के लिए इस तरह के कार्यों के निर्वहन के उद्देश्य से समितियों का गठन कर सकता है। पत्तन न्यासी मंडल ने संकल्प संख्या 103/2021-22 के तहत पत्तन भूमि से संबंधित एसओआर तय करने के लिए एक समिति का गठन किया।
- 23. महा पत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 के पैरा 27(1)(ख) के अनुसार, महा पत्तन प्राधिकरण बोर्ड या बोर्ड द्वारा पैरा 14 के अनुसार गठित समिति, दरमान (एसओआर) तय कर सकती है, और उन शर्तों का विवरण जिनके तहत बोर्ड द्वारा पत्तन संपत्तियों तक पहुंच और उपयोग की अनुमित दी जा सकती है। महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 के पैरा-14 के अनुसार, बोर्ड समय-समय

- पर और उसके सदस्यों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, ऐसे कार्यों के निर्वहन के उद्देश्य से समिति का गठन करता है जो बोर्ड द्वारा ऐसी समिति को सौंपे जा सकते हैं।
- 24. एमओपीएसडब्ल्यू द्वारा दिनांक 22.11.2021 की राजपत्रित अधिसूचना द्वारा अधिसूचित महा पत्तन प्राधिकरण (दरमान, शुल्क और शर्तों का निर्धारण और कार्यान्वयन)नियमावली 2021 के नियम 3 के अनुसार, महा पत्तन प्राधिकरण बोर्ड समय-समय पर दरमान और शर्तों के विवरण की रूपरेखा तैयार कर सकता है जो विभिन्न पत्तन सेवाओं और पत्तन परिसंपत्तियों तक पहुंच और उपयोग पर लागू होगा।
- 25. नियमों और टैरिफ दिशानिर्देशों के अनुसार, एसओआर के संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए महा पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार नव मंगलूर पत्तन बोर्ड के समक्ष रखा जाना है। एसओआर/टैरिफ के अनुमोदन के बाद, इसे कर्नाटक राज्य सरकार के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया जाना चाहिए। तत्पश्चात् राज्य राजपत्र अधिसूचना की तिथि से 30 दिनों की समाप्ति के बाद संशोधित एसओआर प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।
- 26. भूमि प्रबंधन नीतिगत दिशानिर्देश 2015के पैरा 13 (ग) के अनुसार, अधिसूचित एसओआर 5 वर्ष की अविध के लिए वैध रहेगा, जो वार्षिक इंडेक्सेशन के अधीन होगा, जो 2% प्रति वर्ष से कम नहीं होगा। एसओआर को 5 वर्ष की समाप्ति के बाद संशोधित किया जाएगा।
- 27. टीएएमपी के आदेश संख्या टीएएमपी/43/2017-एनएमपीटी दिनांक 14 मार्च 2018 के अनुसार, टीएएमपी द्वारा अधिसूचित एसओआर 20.02.2017 से 19.02.2022 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध है। इसलिए, एसओआर 20.02.2022 से संशोधन के लिए देय था। पत्तन प्राधिकरण बोर्ड ने देय तिथि से लगभग (यानि) एक वर्ष की समाप्ति के बाद दिसंबर 2022 के महीने में कर्नाटक राज्य राजपत्र अधिसूचना में चक्रीय अवधि 2022-2027 के लिए संशोधित एसओआर को अधिसूचित करने की मंजूरी दे दी है। इसलिए आधार वर्ष 2022-2023 के लिए पत्तन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित एसओआर को भूमि प्रबंधन 2015 के नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार 2% प्रति वर्ष की दर से अनुक्रमित किया गया है और इसे 2023- 2024 की अवधि के लिए कर्नाटक राज्य राजपत्र अधिसूचना में अधिसूचित किया गया है।
- 28. परिणाम में, और ऊपर दिए गए कारणों के लिए, और सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर, बोर्ड संशोधित एसओआर को मंजूरी देता है और अनुलग्नक-1 पर, 2% की दर से वार्षिक वृद्धि के साथ शर्तों का विवरण जिसके तहत नव मंगलूर पत्तन बोर्ड द्वारा पत्तन परिसंपत्तियों तक पहुंच

और उपयोग की अनुमित दी जा सकती। संशोधित दरमान और संशोधित दरमान के अनुप्रयोग को शासित करने वाली शर्तें कर्नाटक के आधिकारिक राजपत्र में इस आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों से प्रभावी होंगी और संशोधित एसओआर के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि से 4 वर्ष की अविध के लिए लागू होंगी। इसके बाद दिया गया अनुमोदन स्वतः समाप्त हो जाएगा जब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से विस्तारित नहीं किया जाता।

(ए. वी. हरिनाथ) मुख्य अभियंता(सिविल)प्र. नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण

अनुलग्नक-1 <u>पट्टा/लाइसेंस आधार पर पत्तन परिसर के आवंटन और विभिन्न स्थानों पर मार्ग अधिकार अनुमति</u> <u>प्रदान करने के लिए दरमान (एसओआर)</u> क. विभिन्न स्थानों पर पत्तन परिसर का पट्टा/लाइसेंस/आरओडब्ल्यू किराये की दर:

आधार वर्ष 2023-24 के लिए चक्रीय अवधि 2022-2027 के लिए दरमान (रुपये/वर्गमीटर/माह) या उसका भाग परिक्षेत्र पक्के क्षेत्र खुले क्षेत्र ढके हुए स्थान आरसीसी शीट छत छत पणंबुर गांव 35.27 54.01 98.32 116.43 कस्टम बाउंड परिक्षेत्र 32.32 59.40 108.14 128.05 मार्शलिंग यार्ड 35.17 97.95 115.99 53.38 कमर्शियल यार्ड लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं 91.58 तण्णीरभावी लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं 55.94 लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं कुडुपु 59.83 बोंदेल लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं 45.08

टिप्पणियाँ:-(क) शर्तें:

- i. निर्धारित दरें ऐसी अधिसूचना के 30 दिनों के प्रभाव से लागू होंगी।
- ii. संशोधित दरमान और संशोधित दरमान को लागू करने वाली शर्तें कर्नाटक के सरकारी राजपत्र में इस आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों से प्रभावी होंगी और संशोधित एसओआर कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि से 4 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा।

- iii. एन/ए इंगित करता है कि लागू नहीं है, क्योंकि पक्के/ढके क्षेत्र के संबंधित परिक्षेत्रों में कोई निर्माण मौजूद नहीं है, हालांकि यदि भविष्य में कोई विकास होता है तो भूमि के किराए पर विकास पर बढ़ा हुआ किराया लागू किया जाएगा।
- iv. पट्टा किराया प्रभावी तिथि की वर्षगांठ से प्रति वर्ष 2% (कंपाउंडेबल) की दर से वृद्धि करेगा।
- v. उपर्युक्त तालिका में कावर्ड स्थान के लिए निर्दिष्ट दर भूतल के लिए लागू है। प्रथम तल में आरसीसी कवर्ड एरिया रेट ग्राउंड फ्लोर एरिया का 90% होगा।
- vi. कस्टम बांड क्षेत्र में एक्जिम कार्गों के लिए खुली जगह के लिए प्रस्तावित दर वाणिज्यिक क्षेत्र में पट्टे पर दिए गए क्षेत्रों के लिए लागू होगी जहां एक्जिम कार्गों को पोत से पोत के आधार पर संग्रहीत किया जाता है, जब तक कि क्षेत्र वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पट्टे पर नहीं दिया जाता है।
- vii. 11 महीने तक के लाइसेंस पर अल्पाविध आवंटन के लिए एक महीने के लाइसेंस शुक्क के बराबर सुरक्षा जमा लागू होगा। भूमि के पट्टे के मामले में, दो वर्ष के लीज रेंटल के बराबर की वापसी योग्य सुरक्षा जमा राशि लागू होगी। एनएमपीए के कारण होने वाली किसी भी राशि को समायोजित करने के बाद भूमि को पूरी तरह से खाली करने के बाद सुरक्षा जमा राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
- (ख). पाइपलाइन/सेवा नाली आदि बिछाने के लिए : खुले क्षेत्र के लिए दर जैसा कि ऊपर मार्ग अधिकार प्रभार। तालिका में दी गई जगह के लिए

खुले क्षेत्र के लिए दर जैसा कि ऊपर तालिका में दी गई जगह के लिए पाइपलाइनों/सेवा नाली/कन्वेयर आदि के कब्जे वाले क्षेत्र के लिए लागू है।

उपर्युक्त अनुसूची ख पर टिप्पणी:

- (i) मार्ग अधिकार प्रभारों के प्रयोजन के लिए, एकल पाइपलाइनों के कब्जे वाले क्षेत्र की गणना उन पाइपलाइनों के व्यास और लंबाई के आधार पर की जानी चाहिए। मल्टी-लेयर पाइपलाइन स्टैक के मामले में, मल्टीलेयर पाइपलाइन स्टैक द्वारा कब्जा किए गए भौतिक क्षेत्र पर विचार किया जाना चाहिए और संबंधित उपयोगकर्ताओं को उस क्षेत्र से गुजरने वाली उनकी पाइपलाइनों के व्यास और लंबाई के आधार पर यथानुपात क्षेत्र के लिए बिल किया जाना चाहिए। सड़क, रेल, जेटी आदि के साथ साझा किए गए क्षेत्र के संबंध में, संबंधित उपयोगकर्ताओं को संबंधित क्षेत्र के 50% के अनुपात में बिल किया जाना चाहिए, यह मानते हुए कि उनके पास भूमि का विशेष अधिकार नहीं है और जो उनके पास है वह केवल 'मार्ग अधिकार' है। मार्ग अधिकार प्रभार लगाने का उद्देश्य के लिए, जहां तक भूमिगत पाइपों का संबंध है, यदि उपयोगकर्ता यह स्थापित करते हैं कि भूमिगत क्रॉस-कंट्री पाइपलाइनों के ऊपर सतह क्षेत्र का कब्जा भौतिक रूप से उनके पास नहीं है, तो ऐसी पाइपलाइनों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र को व्यास और लंबाई के उत्पाद का 50% गिना जाना चाहिए।
- (ii) पाइपलाइन/कन्वेयर आदि बिछाने के लिए मार्ग अधिकार अनुमति जारी करने के निबंधन और शर्तें मंडल की नीति और समय-समय पर संशोधित नीति द्वारा शासित होंगी।

(ग) जल क्षेत्र प्रभार:

जेट्टी, सबमरीन पाइपलाइन आदि के निर्माण के लिए तट से सटी भूमि के लिए लाइसेंस शुल्क का 50% और मार्ग अनुमित प्रभार के रूप में वसूल किया जाएगा। सबमरीन पाइपलाइन के लिए, जल क्षेत्र शुल्क पाइपलाइन द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र के लिए होगा और क्षेत्र ऊपर अनुसूची बी के तहत नोट (ii) के आधार पर आंका जाना चाहिए।

सामान्य शर्तें:

(i). यहां बताई गई सभी शर्तें/टिप्पणियां उस हद तक लागू होंगी, जो भूमि प्रबंधन के लिए नीतिगत दिशा-निदेश-2015 में निर्धारित शर्तें और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए बाद के स्पष्टीकरणों के साथ असंगत नहीं हैं। असहमति की स्थिति में भूमि नीति दिशा-निर्देश में सरकार द्वारा निर्धारित शर्ते मान्य होंगी।

(ii). आबंटन:

मासिक लाइसेंस के आधार पर नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण (एनएमपीए) की सुरक्षा परिसर दीवार के बाहर या सुरक्षा परिसर दीवार के भीतर अपने माल के भंडारण के लिए भूमि/स्थान के आवंटन की आवश्यकता वाले व्यक्ति लाइसेंस के लिए समय-समय पर एनएमपीए को लिखित रूप में आवंदन कर सकते हैं। लेकिन यह एनएमपीए के विवेक पर होगा कि वह इस तरह के स्थान/भूमि को आवंटित करे या आवंटित करने से इंकार करे, लाइसेंसशुदा परिसर को सबलेट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii). लाइसेंसधारी की जिम्मेंदारी:

माल/कार्गों के भंडारण के लिए भूमि/स्थान के लिए आवेदन करने में, भूमि/स्थान के लिए आवेदक इस प्रकार संग्रहित/भंडारित माल के लिए सभी जोखिमों और जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे। एनएमपीए द्वारा लॉकिंग या सुरक्षा परिसर की दीवार के अंदर या बाहर लाइसेंसधारियों को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से आवंटित शेड को एनएमपीए को माल का अमानतदार बनाने के रूप में नहीं माना जाएगा, जब तक कि एनएमपीए द्वारा उन्हें इस संबंध में रसीद नहीं दी जाती है। खुली या आच्छादित भूमि/स्थान के कब्जे को लाइसेंस विलेख/ परिमट/ करार में पन: प्रस्तुत किया जाएगा।

एनएमपीए की भूमि पर अतिक्रमण या अनिधकृत कब्जा और एनएमपीए के रेलवे ट्रैक, संयंत्र, उपकरण, पहुंच मार्ग आदि पर माल/कार्गों का ढेर लगाने से लाइसेंसधारी द्वारा यातायात की आवाजाही में बाधा उत्पन्न होती है, एनएमपीए की संपत्तियों को हुए नुकसान को ठीक करने की लागत के अलावा इसमें नीचे निर्दिष्ट दंडात्मक दर का भुगतान करने का दायित्व शामिल होगा। यदि लाइसेंसधारी ऐसा करने के लिए नोटिस के बावजूद अतिक्रमित क्षेत्र से माल हटाने में विफल रहता है, तो एनएमपीए द्वारा जोखिम पर माल को कहीं और हटा दिया जाएगा और इस प्रकार हटाए गए माल के कब्जे वाली भूमि पर अनुज्ञप्तिधारी की लागत और दंडात्मक अनुज्ञप्ति शुल्क निम्नलिखित दर से लगाया जाएगा।

() पत्तन या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी अन्य भूमि नीति दिशानिदेशों द्वारा खाली कब्जा प्राप्त करने तक सामान्य लाइसेंस शुल्क का तीन गुना।

(iv). अन्य शर्तै:

(□) लाइसेंस डीड/परिमट/करार के तहत स्टोर किए गए सामान का पूरा जोखिम और जिम्मेदारी लाइसेंसधारियों की होगी। एनएमपीए लघुचोरी, चोरी, आग या उसके नुकसान के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदारी नहीं लेगा। लाइसेंसधारी अपने आबंटित स्थान पर भंडारित माल की सुरक्षा के लिए तथा ऐसी भूमि/स्थान पर किसी अन्य द्वारा अनिधकृत कब्जा रोकने के लिए अपनी स्वयं की निगरानी तैनात करेंगे।

- () लाइसेंसधारी, लाइसेंस डीड/परिमट के अधीन अधिग्रहित भूमि/स्थान पर कोई स्थायी संरचना, भवन, स्थापना या सुविधा या कैंटीन का निर्माण नहीं करेगा। लाइसेंसधारी लाइसेंस परिमट के समय या समाप्ति पर भूमि स्थान को उसकी मूल स्थिति में बहाल करेगा और यदि लाइसेंसधारी विफल रहता है, तो एनएमपीए लाइसेंसधारी की लागत जोखिम और जिम्मेदारी पर ऐसी बहाली की व्यवस्था करेगा।
- (□) लाइसेंस शुल्क या शुल्क का भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा आबंटन पत्र प्राप्त करने या लाइसेंसधारी द्वारा भूमि/स्थान पर कब्जा करने की तिथि से, जो भी पहले हो, एनएमपीए के दरमान में निर्धारित दरों के अनुसार किया जाएगा। लाइसेंस शुल्क आगामी अविध हेतु प्रत्येक कैलेंडर माह के लिए एनएमपीए को अग्रिम रूप से प्रेषित किया जाएगा यानी हर महीने की पहली तारीख से पहले। देय तिथि से पहले भुगतान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, एसबीआई (एमसीएलआर) पर दंडात्मक ब्याज + 2% प्रति वर्ष लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त संचित बकाया पर समय-समय पर संशोधित किया जाता है। [दंडात्मक ब्याज सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिदेशों के अनुसार परिवर्तन का विषय है] [एमसीएलआर-सीमांत लागत उधार दर]।
- () यदि लाइसेंस परिमट का नवीनतम नवीकरण नहीं किया जाता है तो लाइसेंसधारी अपने कब्जे वाली भूमि/स्थान को खाली कर देगा। यदि लाइसेंसधारी ऐसी संरचनाओं या निर्माण स्थल को हटाने के बाद प्रदान किए गए लाइसेंस/परिमट की समाप्ति की तारीख को खाली कब्जे में भूमि/स्थान सौंपने में विफल रहता है,तो एनएमपीए को ऐसी संरचनाओं और ऐसी भूमि/स्थान में संग्रहित सामान को किसी अन्य वैकल्पिक भूमि/पत्तन के परिसर के किसी भी हिस्से में खुले या कवर किए गए स्थान पर लागत और जोखिम पर हटाने का अधिकार होगा और लाइसेंसधारियों की जिम्मेदारी और इसके अलावा, इस तरह से हटाए गए माल के कब्जे वाले स्थान पर निम्नलिखित दरों पर जुर्माना लाइसेंस शुल्क लगाया जाएगा।
 -)i(. पत्तन या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी अन्य भूमि नीति दिशानिर्देशों द्वारा खाली कब्जा प्राप्त करने तक सामान्य लाइसेंस शुल्क का तीन गुना।
 -)ii). आवंटन आदेश/पट्टा/लाइसेंस विलेख में निर्धारित नियम और शर्तें।
- (ड.). परिमट उस कैलेंडर माह की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जाएगा जिसके लिए इसे जारी किया गया है। एक्जिम कार्गो (सुरक्षा कंपाउंड दीवार के भीतर और बाहर दोनों) के भंडारण के लिए जहाज से जहाज के आधार पर लाइसेंस की अधिकतम अविध चार (4) महीने तक होगी और कार्गों के तटीय संचलन के लिए छः (6) महीने और दरों की अधिसूचित अनुसूची के अनुसार लाइसेंस शुल्क लगाया जाता है। लाइसेंस के नवीनीकरण का कोई प्रावधान नहीं होगा। एक्जिम कार्गो (सुरक्षा परिसर की दीवार के अंदर और बाहर दोनों) के भंडारण के लिए जहाज से जहाज के आधार पर 4 महीने से अधिक भूमि / परिसर का कब्ज़ा और कार्गों के तटीय संचलन के लिए छः (6) महीने, बाद के आवंटन के बिना अनिधकृत कब्ज़े के रूप में माना जाएगा और मुआवजा सामान्य लाइसेंस शुल्क का 3 गुना भुगतान कब्ज़ा करने वाले द्वारा किया जाएगा और शुल्क एसबीआई (एमसीएलआर) + 2% प्रति वर्ष (या) पट्टा/लाइसेंस विलेख/आवंटन आदेशों के अनुसार दंडात्मक ब्याज को आकर्षित करेगा। संचित बकाया पर और लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। किसी भी मामले में लाइसेंस शुल्क अग्रिम लाइसेंस शुल्क देय होने की तारीख से 15 दिनों से अधिक के लिए जमा नहीं होना

- चाहिए। [सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दंडात्मक ब्याज विषय परिवर्तन।
- (च). एनएमपीए की लिखित अनुमित के बिना कोई भी लाइसेंसधारी उसे/उन्हें आवंटित स्थान को निजी बंधुआ क्षेत्रों में परिवर्तित नहीं करेगा। एनएमपीए से पूर्व लिखित अनुमित प्राप्त करने में विफल रहने पर समय-समय पर प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(छ). सुरक्षा जमा राशि:

-)i). एक महीने के लाइसेंस शुल्क के बराबर सुरक्षा जमा जहाज से जहाज के लिए 11 महीने तक के लाइसेंस के लिए लागू होगा। एनएमपीए को देय किसी भी राशि को समायोजित करने के बाद भूमि को पूरी तरह से खाली करने के बाद बिना ब्याज के जमानत राशि वापस कर दी जाएगी।
-)ii). उपर्युक्त (क) में उल्लिखित भूमि के अलावा अन्य भूमि के पट्टे के मामले में, दो वर्ष के लीज रेंटल के बराबर की वापसी योग्य सुरक्षा जमा राशि लागू होगी।
- (iii). एनएमपीए के कारण होने वाली किसी भी राशि को समायोजित करने के बाद भूमि को पूरी तरह से खाली करने के बाद सुरक्षा जमा राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
- (iv). यदि भूमि/स्थान को अंतिम रूप से खाली करने और लाइसेंसधारी द्वारा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की तिथि से 20 दिनों के भीतर सुरक्षा जमा राशि वापस नहीं की जाती है, तो एनएमपीए एसबीआई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर)+2% प्रति वर्ष ऐसे विलंबित वापसी पर समय-समय पर संशोधित दंडात्मक ब्याज का भुगतान करेगा।।
- (ज). एनएमपीए के पास किसी भी समय पूरी तरह से या आंशिक रूप से भूमि/स्थान के कब्जे को फिर से शुरू करने का अधिकार होगा जो पत्तन द्वारा आवश्यक है/लाइसेंसधारी द्वारा कब्जा नहीं किया गया है, जिस स्थिति में लाइसेंस शुल्क में आनुपातिक कमी की अनुमति दी जाएगी। किसी भी मामले में एनएमपीए एक्ज़िम कार्गों के लिए चार महीने से कम और तटीय संचलन कार्गों के लिए छ: महीने से कम के लाइसेंस के मामले में 7 दिनों की नोटिस अवधि देगा। अनिधकृत कब्जे या अतिक्रमण या लाइसेंस अवधि की सामान्य समाप्ति के मामले में, ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा और पत्तन तुरंत पत्तन द्वारा आवश्यक भूमि/स्थान को वापस ले लेगा। भूमि के ऐसे पुनर्ग्रहण या कब्जे के मामले में, अनुज्ञप्ति ऐसे पुनर्ग्रहण या कब्जे के कारण किसी मुआवजे का दावा करने या भूमि पर उसके द्वारा किए गए सुधारों, यदि कोई हो, को हटाने और हटाने का हकदार नहीं होगा।
- (झ) लाइसेंसधारक को आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण के मंडल को भूमि की पुनर्ग्रहण के खिलाफ अपील करने का अधिकार होगा और एनएमपीए के मंडल का निर्णय इस संबंध में अंतिम है।
- (त्र) लाइसेंसधारी/आवंटी एनएमपीए द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी नियमों या निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत होंगे। यदि लाइसेंसधारी नियमों या निर्देशों का पालन करने में उपेक्षा करता है, तो एनएमपीए लाइसेंस को समाप्त कर सकता है।
- (ट) लाइसेंसधारी/आवंटी इस बात से सहमत होंगे कि लाइसेंसधारी को आवंटित भूमि/स्थान के संबंध में पत्तन को देय किसी भी प्रकार के सभी भुगतान और व्यय एनएमपीए के दरमान में निर्धारित दरों पर वसूली योग्य होंगे।
- (ठ) लाइसेंसधारी/आवंटी सभी नियमों और विनियमों का पालन करेगा जो समय-समय पर स्थानीय अधिकारियों या विस्फोटक निरीक्षक, विस्फोटक विभाग, सीमा शुल्क आयुक्त और भारत सरकार या लाइसेंस/परिमट के तहत जो भी संबंधित हो, माल के भंडारण के संबंध में जारी किया जाए।

Ministry of Ports, Shipping and waterways New Mangalore Port Authority Panambur, Mangalore

No. CE/SE(C-II)/EST/SOR-REV/2022-23

Dated, 25.01.2023

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred under Sub-Section (1) by Section 27 of Major Port Authorities Act 2021 (1 of 2021), the Board of Major Port Authority for New Mangalore Port, hereby notifies its Scale of rates (SoR) for allotment of Port premises on lease/License basis and grant of RoW permission as in the Order appended hereto.

(A.V Harinath)
Chief Engineer (Civil) i/c
New Mangalore Port Authority

New Mangalore Port Authority No. CE/SE(C-II)/EST/SOR-REV/2022-23 ORDER

(Passed on this 13th day of December 2022)

- 1. The proposal relates to notification of Revision of Scale of Rates (SoR) for allotment of Port land on Lease/license basis and grant of RoW permission of New Mangalore Port Authority.
- **2.** Total area available with the port is 2290.43 acres as detailed below:

SI. No.	Location	Land in acres	Use of land
1.	(i)Tannirbavi, (ii)Panambur, (iii)Custom Bound area, (iv)Marshalling Yard and (v) Commercial Yard	1837.74	Port
2.	(vi) Kudupu	156.24	Quarrying Stones
3.	(vii) Bondel	296.45	Quarrying Stones

2a The lands at Kudupu and Bondel village were acquired for the purpose of stone quarry for major port works like break water and construction of berths and jetties. These are located 11 kms. and 7 kms, respectively from port limits. Presently, these

- land are hilly terrain and no development is carried out till date. As such, the land is presently not utilized by the port.
- 2b Out of the total land area of 1837.74 acres at SI No1, 565 acres is inside the security compound wall, 320 acres is water lagoon area and 952.74 acres area is outside the compound wall.
- 2c The area under port utilization inside as well as outside the security compound wall is 447.15 acres.
- 3. The TAMP Vide Order No. TAMP/43/2017-NMPT dated 14th March 2018 had notified the SoR for allotment of Port land and covered space on long term lease and short term license for the cycle period 2017-2022. The same was notified in the Official Gazette vide No. 126 dated 28th March 2018. The said SoR was implemented with effect from 20.02.2017. As per the Order, the SoR is valid for a period of 5 Years from 20th February 2017 to 19th February 2022.
- 4. As the SoR for the cycle period 2017-2022 expired on 19.02.2022, the Board of New Mangalore Port Authority in its meeting held on 4th March 2022, vide Resolution No 10/2021-22 resolved to adopt the Scale of Rates approved by the TAMP in March 2018. As per the said resolution the SoR is valid till effective date of implementation of the revised SoR 2022-2027. The SoR for the said period is as follows :-

Location	The SoR for the period from 20.02.2022 till effective date of implementation of the revised SoR 2022-2027 Per sq. meter per month						
	For open areas	For paved areas	For covered space				
Panambur	32.91						
	27.43						
	[For Storage of EXIM	50.77	89.00				
	cargo on License basis,						
	Vessel to Vessel]						
Custom Bound (incl	30.16	55.85	97.89				
10% Surcharge)							
Marshalling Yard	32.82	50.58	88.67				
Commercial Yard	89.78	129.52	214.66				
Tanuirbvi	54.84	84.59	148.34				
Kudupu	58.66	100.40	189.82				
Bondel	44.20	73.19	135.28				

For revising the Scale of rates for allotment of Port's premises on lease or license 5. basis, Port shall determine the latest Market value of its premises as per the procedure laid down in the Policy Guidelines for Land Management (PGLM) 2015. In this regard

- the Port through e-tender process had appointed M/s Adroit Technical Services Private Limited (ATSPL) as Valuator for valuation of Land / Buildings.
- 6. As per para 27 at Pg.No 10 of Major Port Authorities Act, 2021, the Board of each Major Port Authority or the Committee or Committees constituted in this behalf by the Board in accordance with section 14 may (a) frame Scale of rates at which and a statement of conditions under which any service shall be performed or made available., (b) frame Scale of rates at which and a statement of conditions under which , the access to and usage of the Port assets may be allowed by the Board, (c) frame consolidated Scale of rates for any combination of such service or services with any user or permission to use any or access to any port assets as specified in clause (b).
- 7. The Board of New Mangalore Port Authority vide Resolution No 103./2021-22 dated 25th November 2021 constituted a Committee for fixing the SoR. The Committee comprised of (i) Deputy Chair person as the Chairman of the Committee and (ii) FA&CAO, (iii) Deputy Conservator, (iv)Traffic Manager, (v) Chief Engineer (Civil) and (vi) Chief Mechanical Engineer as its other members. Further, the Board also resolved to approve the Valuation report submitted by M/s ATSPL as the basis for framing the SoR for the next cycle period 2022-2027.
- 8. In the year 2016, the erstwhile Port Trust Board in its meeting held on 28 January 2016 vide Resolution No.104/2015-2016 had approved to ascertain the Values of land in Port's vicinity as the Value of land in the villages those fell adjacent to the Port limits. The valuer engaged by the Port has ascertained the values of land of the villages in the Port vicinity and same as been considered to arrive the lease rentals.
- 9. The Board constituted Committee has considered various factors among those listed in the Policy Guidelines for Land management 2015 to determine the market value of the land.
 - **9.1** As per the procedure laid down in the guidelines, the Committee has taken into account the following applicable factors from among those listed in guidelines to determine the market value of the Port Land.
 - i. As per State Government Ready Reckoner, the land values in the areas for similar classification/ activities.
 - The Committee has considered Karnataka State Government's ready reckoner Rates for the Port's lands and land adjacent to port. The ready reckoner revised market rate of immovable property belonging to Mangalore City Corporation has been considered
 - ii. The highest rate of actual relevant transactions registered in last 3 years in the Port's vicinity, with an appropriate annual escalation rate to be approved by the Port Trust Board.

Under this option, the land valuation report gives the value of land based on actual sale deed registered with the Sub Registrar Office, Mangalore pertaining to each of the years 2018-19 to 2020-2021 covering the respective port areas and other nearby villages

iii. The highest accepted tender cum auction rate of Port land for similar transactions updated on the basis of the annual escalation rate approved by the Port Trust Board.

Under this option, the land valuation report gives the value of land based on latest tender cum action rate of port land for similar transaction based on the information furnished by the port.

- **iv.** The rate arrived at by an approved valuer appointed for the purpose by the Port as per Income Tax rule.
- **v.** Any other relevant factor as may be identified by the Port.
- **9.2** A comparative position of valuation of land under the above 4 methods for the years 2018-19, 2019-20 and 2020-21 as considered by Valuer and highest land value arrived by Valuer is given below:

_		(Rs/He	teckoner Rate ectare)	0	ction Registered ectare)	Highest Land Rate as per	Highest recommended	
Zone	Port Vicinity/Villages	Individual Highest in last 3 years	Highest	Individual Highest in last 3 years	Highest	Auction (Rs/Hectare)	Value (Rs/Hectare)	
	1.1 Panambur Colony	9,99,99,934		11,11,97,250				
Panambu r	1.2 Custom Bound area	9,99,99,934	10,99,99,927	NA	11,98,45,925	NA	11,98,45,925	
	1.3 Bykampady	10,99,99,927		11,98,45,925				
Marshalli	2.1 Kulai	9,99,99,934		NA		3,08,83,200	11,11,97,250	
ng	2.2 Bykampady Meenakalya	7,99,99,947	9,99,99,934	11,11,97,250	11,11,97,250		11,11,97,230	
Commerc	3.1 Along NH-66	9,99,99,934	9,99,99,934		11,11,97,250	8,61,88,800	11,11,97,250	
ial	3.2 Padukody	5,99,99,960	0,00,00,004	NA	11,11,97,230	0,01,00,000		
Thannirb havi	4.1 Thannirbhavi	8,49,99,944	8,49,99,944	9,63,70,950	9,63,70,950	5,16,09,600	9,63,70,950	

Kudupu	5.1 Kudupu	8,39,99,945	. 12,99,99,914	11,17,34,434	11,17,34,434	NA	12,99,99,914
	5.2 Padavu	12,99,99,914	12,00,00,01	NA			
	6.1 Mudushedde	2,59,99,983		7,66,02,550			
Bondel	6.2 Padushedde	3,09,99,980	6,49,99,957	NA	8,09,38,551	NA	8,09,38,551
	6.3 Pachanady	4,99,99,967		5,65,04,678			
	6.4 Marakada	6,49,99,957		8,09,38,551			
	6.5 Thiruvail	5,49,99,964		6,42,47,300			

9.3 The highest recommended land values arrived for the last 3 years (2018 to 2021) is as given below

Name of the Zone	Highest Market Value of Land (Rs/Hectare)
Panambur Village Zone	11,98,45,925
Marshalling Yard Zone	11,11,97,250
Commercial Yard Zone	11,11,97,250
Thannirbhavi Zone	9,63,70,950
Kudupu	12,99,99,914
Bondel	8,09,38,551

9.4 Factors Affecting Capital Value

According to Port's apex body IPA, the Cargo traffic at 12 major ports dropped by 8.80 per cent to 477.75 million tonnes (MT) during April-December this fiscal compared to 523.84 MT in the same period last financial year. As per the Indian Ports Association, the provisional traffic handled at these ports during April 2020 to March 2021 fell 4.59% year on year to 672.6 million MT. The above-mentioned statistics are a clear indication of a declining trend of port asset usability due to the prevailing economic stress. Under these circumstances considering the highest Market Value of the Land based on Clause 13 of the Policy Guidelines for Land Management -2015 may ultimately result in further reduction of marketability of the port assets. Therefore, the highest Market value of the Land assessed in the above sections may not be the true reflection of the

current market condition. Thus, based on the recommendations of the Valuer the Committee has considered certain appropriate discounts/premium based on the following parameters to assess the fair value of specified assets.

- a) COVID-19 Pandemic: It is globally observed that the adverse affect of COVID - 19 pandemic has slow downed the maritime trade, reducing shipping demand, Port traffic and Turnover. Further, the COVID - 19 related restrictions, has badly affected the logistic chain and disrupted associated production and consumption chain. Considering the current Covid-19 Scenario, the Valuer has considered 15% discount factor for Panambur Village, Marshalling Yard, Commercial Yard, Thannirbavi, Kudupu and Bondel Zone.
- b) **Physical attributes:** These include quality of location, topography, availability of water, sewer lines, etc. More and better facilities are attributed to a higher price of land. For the physical attributes, general practice for discounting/ premium is considered between 8% and 12%. The Valuator has considered 10% as an average discounting factor for Panambur Village, Marshalling Yard, Commercial Yard, and Thannirbavi and 10% premium for Bondel Zone keeping in mind for the development in nearby future.
- c) Accessibility to economic activities: The more easily economic activity is accessible, the more is the value of the land. For the accessibility to economic activities, general practice for discounting/ premium is considered between 10% and 15%. The Valuer has considered 15% as an average premium for the commercial yard and Thannirbhavi and 10% premium for Kudupu and Bondel Zone keeping in mind for the development in nearby future.
- d) Land Size: The land size plays a very important role that impacts on the property rates. It is difficult to lease the property having the larger area as compared to the smaller land parcels, which directly impacts the lease rent of the property. For the land size, general practice for discounting/ premium is considered between 5% and 10%. The Valuer has considered 10% discount for the Panambur Village, Marshalling Yard, Commercial Yard, Thannirbhavi and 5% discount for the Kudupu and Bondel Zone.

The discounts/premium applicable to various Zones are tabulated below:

Discount factor considered to derive the proposed SoR for the cycle period 2022-27, the base year from 2022 to 2023.								
Location	Physica I Attribut es	Accessib ility to economi c activity	Land Size	Covid- 19	Net Discount factor			
Panambur Village	10%		10%	15%	35%			
Marshalling Yard	10%		10%	15%	35%			
Commercial Yard	10%	-15%	10%	15%	20%			
Tannirbavi	10%	-15%	10%	15%	20%			
Kudupu	0%	-10%	5%	15%	10%			
Bondel	-10%	-10%	5%	15%	0%			

Note:- (-) indicates premium, (+) indicates Discounts

9.5 The Latest Market Value of the Port land derived after applying the net discount factor over the Market Value of Port Land arrived based on Clause 13 of the Policy Guidelines for Land Management -2015 is tabulated below:-

Zone	Highest Market Land Value as per PGLM- Clause 13 (INR/ Hectares) Rs.	Net discount factor	Discounted Highest Market Land Value (INR/ Hectares) Rs.	
Panambur	11,98,45,925	35%	7,78,99,851	
Marshaling Yard	11,11,97,250	35%	7,22,78,213	
Commercial Yard	11,11,97,250	20%	8,89,57,800	
Thannirbhavi	9,63,70,950	20%	7,70,96,760	
Kudupu	12,99, 99,914	10%	11,69,99,923	
Bondel	8,09,38,551	0%	8,09,38,551	

9.6 Based on the highest market value of the land, the Committee has arrived at the proposed lease rental at 6% rate of return on the highest market value of the land. A summary of the market value of land and the proposed lease rent recommended by Committee for open area is given below:-

The SoR of the Port land for the Base year 2022-23

		SoR for Ope Highes	en area bas st Market L (Rs/Sqm/r	Updated				
SI N o	Zone	Discounte d Land Value in Rs. / Hectares Land Value Rs/Sqm		SoR for the base year 2022 Sqm/ based on discount (6% ed Of Highest Land value) Sor The base Sor		SoR as on 20.02.202 2 based on TAMP SoR 2017-22 Rs.	Highest rates among (F) &(G) Rs.	
A	В	С	D = C/10,00 0	E= 6% of D	F = E/12	O	н	
1	Panambur Village	7,78,99,851	7789.99	467.4	38.95	32.91	38.95	
2	Marshalling yard	7,22,78,213	7227.83	433.6 7	36.14	32.81	36.14	
3	Commercial yard	8,89,57,800	8895.78	533.7 5	44.48	89.78	89.78	
4	Tannirbavi	7,70,96,760	7709.67	462.5 8	38.55	54.84	54.84	
5	Kudupu	11,69,99,92	11699	701.9 4	58.49	58.66	58.66	
6	Bondel	8,09,38,551	8093.85	485.6 3	40.47	44.20	44.20	

Note:-

(i) <u>Commercial Zone</u>: The Land Value as per Transaction registered rate works out to Rs 8,89,57,800/- after discounting. If the same value is considered for arriving at SoR, the SoR works out to Rs 44.48/Sqm/month. This is much less than the updated SoR (2017-2022) of Rs.89.78/Sqm/month. Hence the updated SoR of Rs.89.78/sqm/month has been considered as the revised SoR for the base period 2022-23. The following major land allotments have been made in the said Zone to various users through competitive bidding process;

		Applicable SoR	Premium	Total
		as on	quoted	(1)+(2)
S.No.	Lease details	20.02.2021 to 19.02.2022	(Rs/Sqm/mon th)	(Rs/Sqm/m onth)
		13.02.2022	(11)	Ontin

		(1)	(2)	3= (1) + (2)
		Rs/Sqm/month		
1	M/s Adani Total Gas Ltd-2074 Sqm	88.02	1.00	89.02
2	M/s Nayara Energy Limited-2079 Sqm	88.02	1.00	89.02
3	M/s Hindustan Colas Private Ltd(Hincolas)- 10273 Sqm	88.02	6.05	94.07
4	M/s Adani Enterprises Limited-9726 Sqm	88.02	1.05	89.07
5	M/s Ultratech Cement Ltd14917 Sqm	89.78	1.00	90.78

(ii) **Tannirbhavi Zone:** The Land Value as Per transaction registered rate works out to Rs 7,70,96,760/- after discounting. If the same value is considered for arriving at SoR, the SoR works out to 38.55/Sqm/month. This is much less than the updated SoR of Rs.54.84/sqm/month and also highest lease rent of rate Rs.53.76/sqm/month (excluding premium of Rs.10.00/sqm/month) being paid by M/s Sealord Container Ltd. So, the updated SoR of Rs.54.84/Sqm/month is considered for the base period 2022-23. The following major land allotments have been made in the said Zone to various users through competitive bidding process

S.N o.	Lease details	Applicable SoR as on 20.02.2021 to 19.02.2022 (1)	Premium quoted (Rs/Sqm/m onth)	Total (1)+(2) (Rs/Sqm/mon th) 3= (1) + (2)
		Rs/Sqm/month		
1	M/s Sealord Containers Ltd85000 Sqm	53.76	10	63.76

9.7 Revision of SoR For Paved Area And Covered Space

a) Development Cost:- The cost incurred by the Port towards construction of (i) Rigid/Flexible Pavement, (ii) Covered space with Tiled/AC Sheet/GI Sheet Roof and (iii) Covered space with RCC roof Slab has been considered as their respective development cost.

- b) The development cost incurred by the Port towards development of respective structures during the past years has been escalated at the rate of 10% per annum to arrive at the updated development cost for the year 2022. Thereafter the Updated development cost is subjected to discount factor as suggested by the Valuator to derive the latest development cost of the Port structure.
- c) The latest development cost is added to the latest Market Value of the Land to derive the Latest Market Value of the respective structures.
- d) Based on the Latest Market Value of Port Structure the SoR is arrived duly considering 6% rate of return on Value of the Port Structure.
- e) The updated development Cost/Sqm arrived is as follows:-

SI.	Name of the	Total	Start	Comp	Duratio	Updated	Total	Updated
No	Work	cost(Rs)	Date	letion date	n in days as on 20.02.2 022	Cost as on 20.02.2022 @ per annum 10%	area (Sqm)	develop Cost/ Sqm
1	Development of Truck Parking near KK Gate adjacent to existing Toilet block(WBM surface)	2,01,38,924.	16-07-2019	12-06-2021	697	2,39,84,631	15,980	1,500.92
	Providing PQC to recently developed Yard behind Berth No 17 near SJ Gate. Stage-I	9,80,14,708.	05-09-2019	04-08-2020	334	10,69,83,72 5	41,145	2,382.18
						Total (Cost/Sqm	4,101.08
2	Construction of Two No.s of Covered Storage sheds outside the security compound wall near Godown No.31 & 32 at NMP.	16,88,05,684.	12-05-2017	01-05-2019	719	20,20,58,09	10,000	20,205.81

3	Construction of	30,12,222			181	31,61,595	100	31,615.95
	Toilet Block near bagging							
	of fertilizer)20	-2021				
	Cargo sheds outside		10-10-202	4-2(
	Security		0-1	09-04				
	Compound		_)				
	wall(18.05.202							
	1)							

f) Determination of Development Cost for Paved Area- Base year period 2022-23.

SI.No	Location	Develop	Discount	Discount	6% of	Development
		ment	factor as	ed cost	Total	Cost for
		Cost	per valuer	of Paved	Value	Base year
		(Rs/Sqm		area(Rs.)		2022-23
)			(Rs.)	(Rs/Sqm/mo
						nth)
1	Panambur Village	4101.08	35%	2666	159.96	13.33
2	Marshalling Yard	4101.08	35%	2666	159.96	13.33
3	Commercial Yard	4101.08	20%	3281	196.86	16.41
4	Tannirbavi	4101.08	20%	3281	196.86	16.41
5	Kudupu	4101.08	10%	3691	221.46	18.46
6	Bondel	4101.08	0%	4101	246.06	20.51

g) Determination of Development Cost for Covered Space Mangalore-Tile/Sheet Roofing -the Base Period 2022-23.

SI.No	Location	Developm ent Cost (Rs/Sqm)	Discount factor as per valuer	Discoun ted cost of tile/shee t roof (Rs.)	6% of Total Value (Rs.)	Developme nt Cost for Base year 2022-23 (Rs/Sqm/mo nth)
1	Panambur Village	20205.81	35%	13134	788.04	65.67
2	Marshalling Yard	20205.81	35%	13134	788.04	65.67
3	Commercial Yard	20205.81	20%	16165	969.9	80.83
4	Tannirbavi	20205.81	20%	16165	969.9	80.83
5	Kudupu	20205.81	10%	18185	1091.1	90.93
6	Bondel	20205.81	0%	20206	1212.4	101.03

h) Determination of Development Cost for Covered Space RCC Roofing- Base Period 2022-2023.

SI.No	Location	Develop ment Cost (Rs/Sqm	Discount factor as per valuer	Discoun ted cost of RCC roof (Rs.)	6% of Total Value (Rs.)	Developme nt Cost for Base year 2022-23 (Rs/Sqm/mo nth)
1	Panambur Village	31615.95	35%	20550	1233	102.75
2	Marshalling Yard	31615.95	35%	20550	1233	102.75
3	Commercial Yard	31615.95	20%	25293	1518	126.5
4	Tannirbavi	31615.95	20%	25293	1518	126.5
5	Kudupu	31615.95	10%	28454	1707	142.25
6	Bondel	31615.95	0%	31616	1897	158.08

i) Proposed SoR for Paved area & Covered area:

Location	For open area, Rs/ sq. meter/ month	Paved Area in Rs/Sqm/Month		Covere	d area ir	ı Rs/Sqm	/Month	
	Basic Developmen Total Developmen Cost		•	То	tal			
	Α	В	A+B	(3	A+C		
				Sheet	RCC	Sheet	RCC	
Panambur Village	38.95	13.33	52.28	65.67	102.75	104.62	141.7	
Marshalling Yard	36.14	13.33	49.47	65.67	102.75	101.81	138.8 9	
Commercial Yard	89.78	16.41	106.1 9	80.83	126.5	170.61	216.2 8	
Tannirbavi	54.84	16.41	71.25	80.83	126.5	135.67	181.3 4	
Kudupu	58.66	18.46	77.12	90.93	142.25	149.59	200.9 1	
Bondel	44.20	20.51	64.71	101.03	158.08	145.23	202.2 8	

9.8 Revision of SoR for Custom Bound Zone.

The SoR of the Custom Bound Zone is revised as per the following methodology:

i. The updated SoR for Open space in the custom bond zone for the period from 20.2.2022 to 19.02.2023 is Rs.30.16/Sqm/month; including 10% surcharge.

- ii. The percentage increase in SoR for open area in the Panambur village is 18.35%, for paved area is 2.97% and for covered area is 17.55% (Sheet) & 59.21%(RCC) (Ref.Table (iv) below).
- iii. The SoR for Custom bond zone is revised as per the percentage increase in the SoR in Panambur Zone.
- iv. The comparative statement of SoR of the period 2017- 2022 and 2022-2027 is as detailed below:

		pen area eter per r (Rs.)			ed areas per month			For covered area per sq. meter per month(Rs.)			
Zone	Updat ed SoR from TAMP rates	Work ed out SoR for	% incre ase in	Update d SoR from TAMP rates	d SoR Worke ed Worked out S from d out % SoR for base year TAMP SoR increa from 2022		se year	% incre			
	As on 20.02. 2022	base year 2022	rate	As on 20.02. 2022	year 2022		As on 20.02. 2022				
								Sheet	RCC	Sheet	RCC
Panambur	32.91	38.95	18.35	50.77	52.28	2.97	89.00	104.62	141.7	17.55	59.21
Custom Bound Zone (incl 10% Surcharg e)	30.16	35.70	18.35	55.85	57.51	2.97	97.89	115.07	155.85	17.55	59.21
Marshallin g Yard	32.81	36.14	10.15	50.58	49.47	-1.79	88.67	101.81	138.89	14.82	56.64
Commerci al Yard	89.78	89.78	0	129.52	50.58 N/A	N/A	214.66	N/A	N/A	N/A	N/A
					71.25			135.67			
Tannirbavi	54.84	54.84	0	84.59	84.59	-15.77	148.34	148.34	181.34	-8.54	22.25
Kudupu	58.66	58.66	0	100.40	77.12	23.18	189.82	149.59	200.91		5.84
. касара	30.03	30.00		100.10	100.40		100.02	189.82	200.31	-21.19 ^{5.64}	
Bondel	44.20	44.20	0	73.19	64.71 73.19	-11.58	135.28	145.23	202.28	7.35	49.52

Note:

Further above SoR is not applicable for Cruise Terminals.

10. The Committee constituted by the Board in its first meeting held on 20.01.2022, based on the Valuation report had proposed the revised SoR for the base year 2022-2023.along with the statement of conditions under which, the access to and usage of Port assets may be allowed by the Board to the Port user's.

A comparative statement to depict the % increase in rate between the SoR approved by the Port Authority Board vide resolution No 10/2021-22 for the period from

20.02.2022 till effective date of implementation of the revised SoR 2022-2027 and the SoR recommended by the Committee are tabulated below:

SoR for the Base year 2022-23 proposed by the Committee in its meeting held on 20.01.2022									
	Open	area	Pav	ed	Cove Space (Covered Space (RCC)		
Zone			(Rs/Sqr	n/Montl	n) or part	thereof	-		
20116	Prop	%	Propos	%	Propos	%	Propos	%	
	osed	incre	ed	incre	ed	incre	ed	incre	
	SoR	ase	SoR	ase	SoR	ase	SoR	ase	
Panambur	38.95	18.35	55.14	8.61	115.06	29.28	126.57	42.2 1	
Custom Bound Zone	35.70	18.37	60.66	8.61	126.55	29.28	139.21	42.2 1	
Marshalling Yard	36.14	10.15	52.33	3.46	112.25	26.59	123.48	39.2 6	
Commercial Yard	89.78	0.00	N/A	-	N/A	-	N/A	1	
Tannirbhavi	54.84	0.00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	
Kudupu	58.66	0.00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	
Bondel	44.20	0.00	N/A	-	N/A	-	N/A	-	

The Committee has also recommended introducing rental for water area by the Port as the Policy Guidelines for Land Management-2015, envisages the waterfront charges for the purpose of construction of jetties, etc. As per the guidelines, the waterfront charges shall be 50% of the land abutting the water front. This rate is also applicable for laying submarine pipeline and the charges will be as per the "Right of Way" charges. The Committee opined that the other terms and conditions stipulated in the prevailing Land Policy Guidelines are applicable

11. The Committee had recommended the following SoR for the base year 2022-2023 of the cycle period 2022-2027:

SOR for the Base year 2022-2023 of the cycle period 2022-2027 in Rs/Sqm./month or part thereof								
Zone Open area Paved Area Covered area (Rs/Sqm/Month								
	Sheet RCC Roof roof							
Panambur	38.95	55.14	115.06	126.57				
Panambur-For EXIM cargo on License 35.70 60.66 126.55 139.2 basis								

SOR for the Base year 2022-2023 of the cycle period 2022-2027 in Rs/Sqm./month or part thereof									
Zone	Zone Open area Paved Area Covered area (Rs/Sqm/Mont								
			Sheet Roof	RCC roof					
Custom Bound Zone	35.70	60.66	126.55	139.21					
Marshalling Yard	36.14	52.33	112.25	123.48					
Commercial Yard	89.78	N/A	N/A	N/A					
Tannirbhavi	54.84	N/A	N/A	N/A					
Kudupu	58.66	N/A	N/A	N/A					
Bondel	44.20	N/A	N/A	N/A					

(A) The Committee has proposed following conditionalities governing the proposed lease rentals:

Conditions

- (i) The rates prescribed shall be applicable with effect from 30 days of such notification.
- (i) The SoR notified shall remain valid for period of 5 years from the date of implementation. The SoR would be revised after expiry of the 5 years from the date of its implementation.
- (ii) N/A indicates not applicable, since in the respective zones of Paved/Coved area no construction existed, however if any development in future escalated rent on development over the land rent shall be applied.
- (iii) The lease rent shall bear an escalation @ 2% (compoundable) per annum from the anniversary of effective date.
- (iv) The rate specified for Covered space in the above table is applicable for Ground Floor. In the First floor RCC covered area rate will be 90% of the Ground floor area
- (v) The rate proposed for open space for EXIM Cargo in custom bond area will apply for areas leased in the commercial zone where EXIM cargo is stored, on vessel to vessel basis, till the area is leased out for commercial purposes
- (vi) Security Deposit equivalent to one month's licence fee shall be applicable for Short term allotments on license upto 11 months. In case of lease of land, refundable Security Deposit of equivalent to two years lease rental will be applicable. The Security Deposit shall be refunded without interest after the land is vacated fully after adjusting any amount that may be due to the NMPA.

(B). Way leave charges for :
laying of pipelines/
service conduits etc.

The rate for open area as applicable to the location given in the table above for the area occupied by the pipelines / service conduits/Conveyors etc.

Note to Schedule B above:

- (i). For the purpose of way leave charges, the area occupied by single pipelines should be calculated based on the diameter and length of those pipelines. In case of multi-layer pipeline stacks, the physical area occupied by the multilayer pipeline stacks should be considered and the respective users should be billed for pro-rata area on the basis of the diameter and length of their pipelines passing through that area. With respect to the area shared with road, rails, jetties, etc., the respective users should be billed pro-rata for 50% of concerned area assuming that they do not have exclusive possession of land and what they have is only 'Right of Way'. As far as underground pipes are concerned if the users establish that the possession of surface area above the underground cross-country pipelines is not physically with them, the area occupied by such pipelines should be counted 50% of the product of diameter and length, for the purpose of levy of way leave charges.
- (ii). The terms and conditions for issuance of Right of Way Permission for laying Pipelines/ conveyors etc., will be governed by the Policy of the Board and as amended from time to time.

(C). Water Area Charges:

50% of the license fee for the land abutting to the waterfront for construction of jetties, submarine pipeline, etc. and will be charged as a way leave permission. For submarine pipeline, the water area charges will be for the area occupied by the pipeline and the area should be arrived at based on the note to (ii) under schedule B above.

General Conditions:

(i). All the conditions / notes stated herein shall apply to the extent they are not inconsistent with the conditions prescribed in the Policy Guidelines for Land Management -2015 and subsequent clarifications issued to it from time to time by the Government of India. In case of disagreement, the conditions prescribed by the Government in the Land Policy guidelines shall prevail.

(ii). Allotment:

Persons requiring allotment of land/ space for storage of their goods outside the security compound wall or within the security compound wall of New Mangalore Port Authority (NMPA) on monthly license basis may apply in writing to NMPA for a license in the form prescribed by the NMPA from time to time. But it shall be at the discretion of the NMPA to allot or refuse to allot such space/ land no subletting of the licensed premises shall be allowed.

(iii). Licensee's Responsibility:

In applying for land/ space for storage of goods/ cargo, the applicants for land/ space shall accept all risks and responsibility for goods so stored/ stocked. The locking by the NMPA or sheds partly or wholly allotted to the licensees whether inside or outside the security compound wall shall not be regarded as making the NMPA a bailee of the goods so stores unless a receipt in this regard is passed by the NMPA to them. The occupation of land/ space in open or under cover shall be reproduced in the license deed/ permit/ agreement.

Encroachment or unauthorized occupation of the NMPA's land and stacking of goods/ cargo on the NMPA's Railway track, plants, equipment, approach road etc., causing obstruction to the movement of traffic by the licensee will involve a liability to pay penal rate as specified below in addition to the cost of rectifying damages caused to the NMPA's properties. If the licensee fails to remove the goods from the encroached area in spite of notice to do so, the goods will be removed elsewhere by the NMPA at the risk and the cost of the licensee and penal license fee at the following rate shall be levied on the land occupied by the goods so removed.

(a). Three times the normal license fee till vacant possession is obtained by the port or any other Land Policy Guidelines notified by Government time to time.

(iv). Other Conditions:

- (a). Goods stored under the license deed/ permit/ agreement shall be at the entire risk and responsibility of the licensees. NMPA will not in any way take responsibility for pilferage, theft, fire or loss thereof. The licensees shall post their own watch to safeguard the goods stored at their allotted space and to prevent any unauthorized occupation of such land/ space by others.
- (b). The Licensee shall not construct or put up any permanent structure, buildings, erection or convenience or canteens on the land/ space occupied under the license deed/ permit. The licensee shall restore the land/ space to its original condition at the time or termination of the license permit and if the licensee fails, NMPA will arrange for such restoration at the cost risk and responsibility of the licensee.
- (c). The license fees or charges shall be paid from the date of receipt of the allotment letter by the licensee or occupation of the land/ space by the licensee, whichever is earlier, in accordance with the rates prescribed in the NMPA's Scale of Rates. The license fee shall be remitted for each calendar month for subsequent period in advance to the NMPA i.e. before 1st of every month. In case the payment is not received before the due date, penal interest at SBI (MCLR) + 2% per annum revised from time to time on the accumulated arrears in addition to the license fee. [Penal interest is subject change as per the guidelines issued from time to time by Competent Authority] [MCLR-Marginal Cost Lending Rate].
- (d). The licensee shall vacate the land/ space occupied by them if the license permit is not renewed at the latest. In case the licensee fails to hand over the land/ space in vacant possession on the date of expiry of the license/ permit granted after removing of such structures or construction put up, NMPA shall have the right to remove such structures and the goods stored in such land/ space to any other alternative land/ open or

covered space in any part of the Port's premises at the cost and risk and responsibility of licensees and in addition, penalty license fee at the following rates shall be levied on the space occupied by the goods so removed.

- (i). Three times the normal license fee till vacant possession is obtained by the port or any other Land Policy Guidelines notified by Government time to time.
- (ii). Terms and conditions as stipulated in the allotment order/lease/license deed.
- (e). The permit shall lapse automatically at the expiry of the calendar month for which it has been issued. The license shall be up to a maximum period of Four (4) months on vessel to vessel basis for storage of EXIM Cargo (both inside & outside Security Compound wall) and Six (6) months for coastal movement of cargo and license fee is levied as per the notified schedule of Rates. There shall be no provision for renewal of licence. The occupation of land/ premises exceeding 4 months on vessel to vessel basis for storage of EXIM Cargo (both inside & outside Security Compound wall) and Six (6) months for coastal movement of cargo, without subsequent allotment shall be treated as unauthorized occupation and compensation 3 times the normal license fee shall be paid by the occupant and charges will attract penal interest at the rate of SBI (MCLR)+2% per annum (or) as per the lease/ license deed/ allotment orders. On the accumulated arrears and shall be paid in addition to the license fee. In any case the license fee should not accumulate for more than 15 days from the date when advance license fee become payable. [Penal interest subject change as per the guidelines issued from time to time by Competent Authority
- (f). No licensee shall convert the space allotted to him/ them into private bonded areas except with the written permission of the NMPA. Failure to obtain the prior written permission from the

NMPA shall attract levy of penalty as per prevailing Guidelines time to time.

(g). Security Deposit:

- (i) Security deposit equivalent to one month's license fee shall be applicable for vessel to vessel for license upto 11 months. The Security Deposit without interest shall be refunded after the land is vacated fully after adjusting any amount that may be due to the NMPA.
- (ii). In case of lease of land other than those mentioned at (a) above, refundable Security Deposit of equivalent to two years lease rental will be applicable.
- (iii). The Security Deposit shall be refunded without interest after the land is vacated fully after adjusting any amount that may be due to the NMPA.
- (iv). In case, the security deposit is not refunded within 20 days from the date when land/ space is finally vacated and production of documents by the licensee, the NMPA shall pay penal interest at SBI Marginal Cost of Fund based Lending Rate (MCLR) + 2% per annum as revised from time to time on such delayed refunds.
- (h). NMPA shall have the right at any time to resume the possession of the land/ space wholly or partly which is required by the Port/ not occupied by the licensee, in which event the proportionate reduction in license fee will be allowed. In any case, the NMPA shall give a notice period of 7 days in case license is for less than four months for EXIM Cargo and six months for Coastal movement cargo. In case of unauthorized occupation or encroachment or on normal expiry of the license tenure, no such notice shall be issued and the port shall resume the land/ space required by the Port immediately. In case of such a resumption or possession of land, the license shall not be entitled to claim any compensation on account of such resumption or possession or to remove and take away improvements, if any, made by him on the land.

- (i). The licensee shall have the right to appeal against resumption of the land to the Board of the New Mangalore Port Authority within a period of 30 days from the date of receipt of the Order appealed against and the decision of the Board of NMPA is final in this regard.
- (j). The licensee / allottee shall agree to comply with all rules or directions issued by NMPA from time to time. Should the licensee neglect to comply with the rules or directions, the NMPA may terminate the license.
- (k). The licensee / allottee shall agree that all payments and expenses of whatever sort due to the Port in respect of land/ space allotted to the licensee, shall be recoverable at the rates prescribed in the Scale of Rates of NMPA.
- (I). The licensee / allottee shall comply with all rules and regulations that may from time to time be issued by the local authorities or the inspector of Explosives, the Department of Explosive, Commissioner of Customs and Government of India or whosoever concerned in relation to the storage of goods under the license/ permit.
- 12. The proposal for revision of SoR for Estate rental was circulated to the Port Users and hosted in Port website on 22.03.2022 for seeking comments/views. A meeting was held with the Stake holders on 21.03.2022 and the time period to submit additional comments on the proposed "SoR-2022-27" was extended up to 28.03.2022
- **13.** The Committee in its **second meeting** held on 28.03.2022 examined the comments received from the various Stake Holder's. The Committee noted the comments of port users and deliberated on the points raised. The points raised and the reply to the points are tabulated below:-

SI No	Port User's Comments Remarks of New Mangalore Port Authority
1(a)	NMP User's Welfare Association (Received vide Letter No NMPUWA/001 dated
	21.02.2022
	i. From Point No 1 to 4 the i. The proposal is as per PGLM-2015.
	association has raised its concerns However considering the fact that

SI	Port Hoor's Comments	Remarks of New Mangalore Port
No	Port User's Comments	Authority
	regarding how badly the COVID- 19 has affected the Trade. ii. The association has stated that for the	COVID-19 pandemic has affected the Global maritime trade, the revised SoR has been framed considering suitable discount factor over the Market value of Port Land assessed based on Clause 13 of the Policy Guidelines for Land Management 2015. ii. Considering the adverse factors, suitable
	following reasons there is decrease in General Cargo at NMP. a. Drastic increase in freight rates from 100% to 150% b. To supply of Containers for EXIM cargo by MLO's. c. As no mother Vessels are calling at Port, the EXIM containers are rerouted through Colombo at additional transhipment cost of 400 to 450 USD in addition to freight.	reductions have been considered.
	 d. The bad Road connectivity in the state is resulting in increased transportation cost. e. Due to non existence of railway connectivity between Hubli and Mangalore, the Cargo meant for NMP has to reach NMP via Goa, causing increasing in transportation cost. Also causing diversion of Cargo to JNPT and MPT. iii. In view of the above the association has made following appeal a. Not to increase land rentals until mother Vessels call NMP 	iii. Response to appeal of Association a. The issue raised with regard to non calling of mother Vessels/ reliance on South Eastern Asia's Transhipment Ports of Colombo/Singapore for routing the Containers is not a phenomenon that is exclusive and prevailing only at New Mangalore Port. Most of the Port in India relies on feeder Vessels and use the the Transhipment Port for majority of Container Exim trade. Moreover, the storage charges for Containers, which is in per TEU per day is not the scope of Estate SoR.

SI	Part Haar's Comments	Remarks of New Mangalore Port
No	For Oser's Comments	Authority
	b. Not to increase land rentals until good road/Rail Connectivity is established from Mangalore and other Northern parts of Karnataka c. Not to increase land rentals based on land transactions registered in the vicinity of Port.	•
	d. As per PGLM 2014, revision in of Tariff every 5 years is not mandatory. Hence revision of	13 of PGLM -2015.d. As per Clause 13 (C) of PGLM-2015, it's mandatory to refix the SoR once in every 5 years.

SI No	Port User's Comments	Remarks of New Mangalore Port Authority
	tariff is optional. e. Port vide Clause No 6 has accepted that Cargo handled in 12 major Ports has considerably declined due to COVID-19 pandemic.	e. Yes. As stated above, impact of COVID-19 has been duly factored while fixing the SoR.
	f. To implement New SoR prospectively and instruct concerned authorities accordingly.	f. The proposal is based on the provisions of PGLM-2015 and subsequent clarifications/orders issued by the Ministry from time to time. It will have
	g. To provide opportunity for presenting their case before the Port management in person.	prospective effect. g. The "Port user's hearing" was held on 21.03.2022 at NMP and Port Management taken note of the concerns of the users.
1(b)	New Mangalore Port User's Welfare Asso	ciation (Received vide Letter dated 28.03.2022
	As NMP does not have good Rail and Road interconnectivity with the Hinterland, the logistic and operation cost at NMP is higher when compared to neighbouring Chennai Port. Further as no mother vessels call NMPA, the Container Cargo from NMP moves through Transhipment Port through feeder vessels, making container cost increase by USD 500/- per TEU. In view of the above the Association has requested to decrease the ground rental for General Cargo till Road and Rail connectivity improves, Logistics become cheaper and mother vessels call NMP.	The issues regarding poor road and rail connectivity, mother vessels etc has been already submitted by the Association vide its earlier letter dated 21.02.2022. The same has been replied.
2	Aegis India (Received vide email dated 2	1.02.2022)
	 i. At point No 6, M/s Aegis has stated that in the case of Panambur Village and Marshalling Yard Zones, Port has adopted Valuation of the Valuator taking 	SoR to be fixed considering the highest of 5 factor. The updated SoR for this area is Rs 54.84/Sqm/month. Further the highest lease rent rate of Rs 63.76/Sqm/month (reserve price of Rs 53.76/Sqm/month + Tendered

SI No	Port User's Comments	Remarks of New Mangalore Port Authority	
NO			
	into account the current Market	Premium of Rs 10.00/Sqm/month) is being	
	reflections.	paid by M/s SeaLord Containers Ltd for the	
	Where as in the case of Tannirbavi	tendered Plot in Thannirbhavi Zone. Hence,	
	Zone, though the Valuator had	the updated SoR of Rs 54.84/Sqm/month has	
	recommended net discounting	been considered after 2% annula escalation	
	factor of 20% based on the	for the base year 2022-23.	
	current Market reflections, Port has		
	not adopted the Valuation of Rs		
	38.55/Sqm/month proposed by		
	the Valuator. But has maintained		
	the rate of Rs 54.84/Sqm/month.		
	In this regard to provide timely		
	support for the Port user to revive		
	the economic activity, M/s Aegis		
	group has requested the Port to		
	consider the net discounting factor		
	as recommended by the Valuator		
	for Thanirbhavi Zone also.		
3	Suraj Agro (Received vide Letter dated 21	.02.2022)	
	i. During the revision of SoR the	i. In the said proposal 35% depreciation	
	Valuator has recommended 35%	on Market Value of Land has been	
	depreciation on the Valuation of	recommended by the Valuator for	
	Land. But Port has not considered	Panambur and Marshalling Yard Zones.	
	the same.	The same has been considered while	
		proposing the SoR for Panambur and	
		Marshalling Yard Zones.	
	ii. To consider same discount factor	ii. The Land Value as per Transaction	
	for Commercial Yard Zone as	registered rate in the vicinity of	
	considered in case of Panambur	Commercial Zone works out to Rs	
	Village Zone.	8,89,57,800/- after applying 20%	
		discount factor as recommended by the	
		Valuator. If the same value is considered	
		for determining the SoR, the SoR works	
		out to Rs 44.48/Sqm/month. This is much	
		less than the updated SoR of	
		Rs.89.78/Sqm/month and also highest	
		k3.07.7 0/ 04m/ momin and also highest	

SI No	Port User's Comments	Remarks of New Mangalore Port
NO		lease rent rate of Rs.95.83/Sqm/month being paid by M/s Hincol (Reserve Price of Rs 89.78/Sqm/month plus Tendered premium of Rs 6.05/Sqm/month.) Hence the updated SoR of Rs.89.78/sqm/month has been considered for the base period 2022-23. The existing lease rent is one of the factor to be considered for fixation of rates.
4	Mangalore SEZ Limited (Received vide 21.02.2022)	Letter No MSEZL/NMPT/2022/TAMP/01 dated
	i. In the Panmabur Village, the updated SoR as on 20.02.2022 is Rs 32.91/Sqm/month. Whereas the SoR based on discounted highest Market Land value is Rs 38.95/Sqm/month. The Panambur Village covers Panambur Colony, Custom Bound area and Bykampady Area. The rate considered is based on Bykampady area, which is predominantly built up industrial area. Since the area allotted to M/s SEZ (2.395 Acres outside KIOCL Compound Wall) is far away from the reference area (Bykampady) considered, the User has requested the Port to further classify the area based on the usability factor in terms of access and the area extent.	i. As per Clause 13(a)(ii) of the PGLM-2015, the highest rate of actual transactions registered in last 3 years in Port's Vicinity with appropriate annual escalation is one of the factors to determine the latest Market Value of Port Land. Hence as it was observed that the transaction registered in the nearest vicinity of Panambur Village was at Bykampady area, the same has been considered as a representative sample to determine the Market Value of land in Panambur Village. The suggestion of the User to classify the areas based on the usability factors cannot be considered at this juncture.
	ii. The discount factor recommended by the Valuator for Thanirbhavi Zone has been negated by	ii. The net discount factor of 20% as recommended by the Valuator has not been considered while proposing SoR

SI	Port User's Comments	Remarks of New Mangalore Port	
No	Port User's Comments	Authority	
	reflecting the current rates. As per the discounted highest Market value rate, the SoR is Rs 38.55/Sqm/month. Whereas the SoR of Rs 58.84/Sqm/month has been proposed by the Port based on TAMP SoR 2017-22 (2%	for Thanirbhavi Zone for reasons similar as stated at SI No 3 (ii) above.	
	escalation over SoR of 2021-22). iii. In this regard the firm has requested to reduce the SoR for Panambur Village to the updated SoR as on 20.02.2022, based on TAMP SoR 2017-22. (ie) Rs 32.91/Sqm/month instead of Rs 38.95/Sqm/month. iv. To consider the discount factor as recommended by the Valuator for deriving the Revised SoR for Thanirbhavi Zone against the SoR as on 20.02.2022 derived based on TAMP SoR 2017-22 (2% escalation over SoR of 2021-22).	iii. & iv. In view of the above the request of the User to reduce the SoR for Panambur Village to the updated SoR as on 20.02.2022, (ie) Rs 32.91/Sqm/month and decrease the SoR for Thanirbhavi Zone by applying the discount factor cannot be considered.	
5 (a)	M/s HINCOLAS (Received vide email date	ed 21.02.2022)	
	 i. What is the parameter adopted as bench mark for classification as commercial zone and marshalling yard zone. Provide copy of the NMPT master plan prepared in consonance with section 25 of the Major Port Authorities Act, 2021. 	m on either side of NH-66 has been considered as commercial Zone. The Commercial Zone has been further extended to include the strip of land	
	ii. In case of Commercial yard zone, an annual rental at 6% of the market value of the land is not applied. Whereas it is considered	value of the land has not been considered while proposing SoR for	

SI	Port User's Comments	Remarks of New Mangalore Port	
No	For Oser's Comments	Authority	
	more than double of 6%. Therefore net realisation by way of annual rentals over a period of 30 years will be much more than the market value of land.	Land Value as per Transaction registered rate in the vicinity of Commercial Zone works out to Rs 8,89,57,800/- after applying 20% discount factor as recommended by the Valuator. If the same value is considered for determining the SoR, the SoR works out to Rs 44.48/Sqm/month. This is much less than the updated SoR of Rs.89.78/Sqm/month and also highest lease rent rate of Rs.95.83/Sqm/month being paid by M/s Hincolas (Reserve Price of Rs 89.78/Sqm/month plus Tendered premium of Rs 6.05/Sqm/month.) Hence the updated SoR of Rs.89.78/sqm/month has been considered for the base period 2022-	
	iii. The Way leave charges to be suitably modified in line with the commented revisions in land rent rates.	23. iii. Way leave charges shall be as per Port rules & regulation and its amendment if any time to time.	
	iv. In other Ports Viz Haldia, Land is allotted on upfront premium basis at upfront premium amounting to two years annual lease rentals and annual lease rentals at the rate of Rs 1 per Sqm. Whereas at NMPT Security deposit equivalent to two years annual lease rentals is collected from the Lessee apart from the regular annual lease rentals.	iv. Security Deposit is collected in accordance to Land Policy Guideline prevailing at that time of allotment. Lease rental can be paid either on upfront basis or on annual basis. In case the lessee opts for annual lease rent, two years lease rent is collected towards Security Deposit as per PGLM 2015.	
5 (b)	M/s HINCOLAS (Received vide letter dated	d 21.02.2022)	
	 i. In the current proposal, SoR for Panambur and Marshalling yard 	i. The net discount factor has been recommended by the Valuator based on	

SI		D. all. of C	Remarks of New Mangalore Port
No		Port User's Comments	Authority
		has been derived considering 35%	factors that influence the Market Value
		discount factor over the Highest	of Land. Viz (i) physical attributes (ii)
		Market Land Value. Whereas 20%	accessibility to economic activities (iii)
		discount factor has been	Land size (iv) COVID-19 Pandemic etc.
		considered for Commercial yard	Based on the economic stress imposed
		Zone. No standard rule has been	by the aforesaid factors on the Business
		followed for fixing the discount	at respective Zones, the Valuator has
		factor. Due to which though the	recommended discount factors to each
		market Value of Land in Panambur	zone based on physical parameters like
		Village Zone (Rs 11.98	proximity to Port/NH-66, current usage
		Crore/hectare) is higher than the	(like Commercial Space, Stockyard for
		Commercial Yard Zone (Rs 11.11	Exim Cargo) etc to assess the fair value
		Crore/Hectare) the proposed SoR	of the land. Hence 35% net discount
		for Panambur/Marshalling Yard	factor for Panambur/Marshalling Yard
		Zone is less than the Commercial	and net 20% discount factor to
		Yard Zone. The SoR fixed for	Commercial Zone has been
		Panambur, Marshalling Yard and	recommended by the Valuator and
		Commercial Yard Zones are Rs	adopted for framing SoR for the cycle
		38.95/Sqm/month, Rs	period 2022-27.
		36.14/Sqm/month and Rs	
		89.78/Sqm/month respectively.	
		This is a clear indication that the	
		proposed SoR is not in line with the	
		Market value of land and hence	
		deviation from PGLM-2015.	
<mark>5 (c)</mark>	Hindu	istan Colas Pvt Ltd (Received vide Le	etter dated 28.03.2022)
	i.	The firm has expressed its	
		grievances regarding the Reserve	i. This point has been already submitted
		Price and the Tender conditions	by the firm vide its letter dated 21.02.2022. But as it is a grievance
		stipulated in the Tender document	related with the Plot allotted to M/s
		of land area allotted to them in the	Hincolas through Tender cum Auction
		Commercial Yard zone and the	process and not a Comment on the
		recent land allotment tender	proposed SoR, the point will be treated as out of context and will be addressed
		invited by the Port for allotment of	in a separate forum.
		land in Marshalling yard Zone.	
İ	ii.	In the proposed SoR the discount	ii. This point has been already submitted
		factor of 35% on the Market value	by the firm vide its letter dated 21.02.2022. The same has been replied

SI	Port User's Comments	Remarks of New Mangalore Port	
No	For Oser's Comments	Authority	
iii.	of land has been considered for Panambur/Marshalling yard and only 20% discount factor has been considered for Market Value of Land in Commercial Yard. No standard rule has been followed to apply the discount factor. Due to which the land values which are higher in Panambur/Marshalling Yard than the Commercial yard Zone got reduced, resulting in lower SoR for these zones. The Market value of land in Panambur Village and Marshalling Yard/Commercial Yard is Rs 11.98 Cr and Rs 11.11 Cr respectively. Whereas the proposed SoR for Panambur Village, Marshalling Yard and Commercial yard is Rs 38.95/Sqm/month, Rs 36.14/Sqm/month and Rs 89.78/Sqm/month respectively. This shows that rental is not as per market value of the land and thereby deviates from PGLM. The land area allotted to M/s Hincolas and land area on the other side of the Beach road, which exist in the Panambur/Marshalling Yard have same advantages as they are located on either side of Beach Road. (ie) access to economic activity, road connectivity etc. In this SoR also the Port went by latest tender cum Auction rate and increased it from Rs 44.48/Sqm/month to Rs	iii. The proposed SoR for open space in commercial yard zone has not been framed based on the latest tender cum Auction rate. But it has been framed based on the updated SoR 2017-2022. The SoR for the base year 2022-23 has been proposed considering 2% escalation over the TAMP notified SoR for the year 2021-22. iv. The proposed SoR for open space in commercial yard zone has not been framed based on the Highest Market Value. Considering present economic stress the SoR for the base year 2022-23 has been proposed considering 2% escalation over the TAMP notified SoR for the year 2021-22 v. This point has been already submitted by the firm vide its letter dated 21.02.2022. The same has been replied. vi. The SoR has been proposed as per the provisions of PGLM-2015. The Zones in the Port estate has been based on the Board approved Land use plan and not based on any commercial activity. vii. The proposed SoR is in accordance with PGLM-2015.	

SI	Port User's Comments	Remarks of New Mangalore Port
No		Authority
	89.78/Sqm/month. This method is not in line with para 18(a) of PGLM.	viii.The notified SoR will be applicable for
	iv. Considering the COVID 19 situations, NMP should consider lease rentals for land area	RoW permissions.
	allotted to HINCOLAS in par with other Zones, including down ward revision for their land with a view to provide level playing fields to all Port User's.	ix. The Supervision charges are not part of the SoR. However, the same is as per PGLM-2015 and charged as per the RoW Policy approved by the Board.
	v. We need to know the parameter adopted as a bench mark for classification of Commercial Zone and Marshalling yard Zone.	
	vi. Zone wise revision is not scientific as the classification of Zones appears to be based on commercial activity. Commercial activity does not on actual activity. Many commercial activities of late has been online. Therefore, commercial activity cannot be taken as an index criteria for fixing land values.	
	vii. The basis of taking 6% of the market value of the land as the bench mark is on the premises of actual sale of land in Port Vicinity, which is absolutely rare as every 5 years, the ownership does not change. Therefore this basis is unscientific. In our case annual rentals at 6% the Market value of Land has not	

SI	D. J.H. J. C	Remarks of New Mangalore Port
No	Port User's Comments	Authority
viii.	been considered and it has been applied more than double the 6%. The way leave charges are requested to be suitably modified	
	in line with commented changes in the rentals for the lease hold lands. The one time supervision charges for RoW permission is not in line with the spirit of TAMP guidelines.	edores (Letter dated 10.02.2022 from Shekhar
Pujari,	President AoNMPS))	
	EXIM Cargo charges: In the said proposal the EXIM cargo rate has been exorbitantly hiked from Non Exim Cargo rate. Providing storage spaces is mandated function of Port as per MPT act 1963. Covered, Paved and open spaces are essential for handling Exim Cargo and should not be differentiated while fixing Tariff on location basis. The NMPT Land Policy does not mandate Tariff revision every 5 years. Hence revision is optional. The SoR should not be based on registered land transactions in Port's vicinity. Port has not bought land from commercial sellers, but has acquired land from general Public by Government paying compensation of less than Rs 2000 per acre.	As per the proposal the SoR for non Exim Cargo for open space in Panambur Village is Rs 38.95/Sqm/month. Whereas the same is Rs 35.70/Sqm/month for Exim Cargo. The SoR for Exim Cargo is 8.3% below the SoR for non Exim Cargo. The SoR for Paved area and Covered area is higher due to the development and maintenance cost. i. As per Clause 13 (C) of PGLM-2015, it's mandatory to refix the SoR once in every 5 years. ii. The SoR has not been revised considering the land transactions registered in the vicinity of Port as the only factor. The indication of declining trend of port asset usability due to the economic stress imposed by various factors has been considered while deriving the proposed SoR. It has been analysed that considering the highest Market Value of the Land based on Clause 13 of PGLM-2015 may not be the true reflection of the current market condition. Hence considering other factors that play

SI	Don't Hood's Commonts	Remarks of New Mangalore Port	
No	For Oser's Comments	Authority	
	iii. Input costs are reflected in the final cost to consumers. Hence artificially jacking up the costs should be avoided. The prime land at very low cost has been provided by the Government to the Port for ensuring that import/Export costs are maintained at reasonable levels, which the consumer can bear. iv. The proposed increase in SoR is from 30% to 45%, which is in addition to the annual escalation of 2%, which works out to 11% over a period of 5 years. In addition NMPT also collects 10% surcharge on rentals for allotments inside the Custom Bound Zone. These factors may be withdrawn in the new Tariff order.	an important role in deciding the Market Value of Land, like (i) physical attributes (ii) accessibility to economic activities (iii) Land size (iv) COVID-19 Pandemic etc, discount factors have been applied by the Valuator over the Market Value of Port Land determined as per Clause 13 of PGLM - 2015. iii. The revision of SoR has been carried out as per the provisions of PGLM-2015. Further, wherever applicable, the discount factors has been taken to mitigate adverse impact of relevant factors on the Market Value of the land. Hence no artificial jacking up the costs is done. It may be noted the assessment of market value was carried out through an independent third party professional Valuer. iv. The proposed increase in SoR for open space in the Panambur Village Zone and Custom Bound Zone is only 18.35%. Whereas the same is only 10.15% in the Marshalling yard Zone and 0% in Commercial, Thanirbhavi, Bondel and Kudupu Zone. The Percentage increase in SoR for Paved area in the Panambur Village Zone and Custom Bound Zone is only 8.61%. Whereas the same is only 3.46 % in the Marshalling yard Zone. The Percentage increase in SoR for Paved area in the Panambur Village Zone and Custom Bound Zone is only 8.61%.	
		Covered space in the Panambur Village Zone and Custom Bound Zone is only 29.28%. The same is only 26.59 % in the Marshalling yard Zone. No additional 10% Surcharge over the revised SoR for Custom Bound Zone has	

SI	Port User's Comments	Remarks of New Mangalore Port
No		Authority
		been proposed in the revision.
	v. The bad road conditions in	v. The rates are proposed as per PGLM-
	Karnataka and as mother vessels	2015. However, considering the COVID-
	are not calling NMP, the	19, economic and other conditions suitably
	transportation and freight charges	the proposed increase has been reduced.
	have increased.	
	vi. The increase in SoR for Exim Cargo	vi. There is no such norm for framing the SoR
	shall be within 5% over the last	as per PGLM-2015. SoR is framed strictly
~ 41 1	notified rates.	as per the parameters in the PGLM.
6(b)		redores (Letter dated 18.02.2022 from Shekhar
	Pujari, President AoNMPS))	
	i. The Association has requested to	i. As per Major Port Authorities Act 2021,
	stop the implementation of	Board of each Major Port Authority or
	provisional SoR for the period from	Committee constituted in this behalf by
	20.02.2022 to 19.02.2023 at the	the Board of Major Port Authority may
	rate of 2% over the previous	frame SoR and a statement of condition
	year's SoR. The Association has	for access to and usage of Port assets. In
	justified its request referring to the	this regard the NMP Authority Board
	Working Guidelines to	vide resolution No 103/2021-22 has
	operationalize the Tariff Policy for	constituted Committee to frame SoR and
	Major Port Authorities 2021,	the terms and condition.
	notified by the Government in	
	pursuance of Section 53 of MPA	
	Act-2021 and in compliance of	
	Clause 1.5 of the Tariff Policy for	
	Major Ports 2021.	
	ii. The validity of the existing rates,	ii. The Port has approved to effect a 2%
	have expired on 19.02.2022 and	annual escalation in ground rentals for
	the (i) MPA Act-2021 , (ii) The	the period from 20.02.2022 till the date
	Tariff Policy for Major Ports 2021	of notification of new SoR (2022-2027).
	and (iii) The working guidelines to	In the past, when SoR was pending for
	operationalize the Tariff Policy for	revision, escalation of 2% as per PGLM
	Major Port Authorities 2021 have	had been applied.
	replaced the then existing MPT Act,	
	Policy & Guidelines w.e.f	
	3.11.2021. The tariff and the	
	guidelines existing before	

SI	Port User's Comments	Remarks of New Mangalore Port					
No		Authority					
	19.02.2022 have expired. As such						
	the Port does not have any						
	mandate to effect a 2% annual						
	escalation in license fees/rentals at						
	this stage.						
	iii. The association has requested to						
	offer special concessional rates for						
	Exim Cargo/Stevedors/Exim						
	Trade.						
7	M/s Mangalore Liquid Impex (MLI) (Vide	email dated 17.02.2022)					
	The User has stated that the proposed	The proposed SoR is in accordance with					
	SoR of Rs 89.78/Sqm/month for	provisions of PGLM-2015					
	Commercial Zone for the cycle period						
	2022-27 is not in accordance with Clause						
	18 of PGLM-2014 (Market						
	Value/Reserve Price).						
8 (a)	JSW (Vide email dated 16.02.2022 from S	ri Satheesh Babu					
	i. The proposed increase in SoR for	i. The proposed SoR is in accordance with					
	Panambur/Custom Bound Zone and	the manifelant of DCIM 2015 Havener					
	ranambur/Custom bound zone and	the provisions of PGLM-2015. However					
	Marshalling yard Zone at the rate of	considering the fact that COVID-19					
	,	·					
	Marshalling yard Zone at the rate of	considering the fact that COVID-19					
	Marshalling yard Zone at the rate of 18.35% and 10.15% respectively is	considering the fact that COVID-19 pandemic has affected the Global maritime trade, the revised SoR has been framed considering suitable					
	Marshalling yard Zone at the rate of 18.35% and 10.15% respectively is high and is not affordable to any of	considering the fact that COVID-19 pandemic has affected the Global maritime trade, the revised SoR has been framed considering suitable discount factor over the Market value of					
	Marshalling yard Zone at the rate of 18.35% and 10.15% respectively is high and is not affordable to any of the Port user under the present	considering the fact that COVID-19 pandemic has affected the Global maritime trade, the revised SoR has been framed considering suitable					
	Marshalling yard Zone at the rate of 18.35% and 10.15% respectively is high and is not affordable to any of the Port user under the present scenario of slow down in the Maritime	considering the fact that COVID-19 pandemic has affected the Global maritime trade, the revised SoR has been framed considering suitable discount factor over the Market value of					
	Marshalling yard Zone at the rate of 18.35% and 10.15% respectively is high and is not affordable to any of the Port user under the present scenario of slow down in the Maritime trade due to the impact of COVID-19	considering the fact that COVID-19 pandemic has affected the Global maritime trade, the revised SoR has been framed considering suitable discount factor over the Market value of Port Land assessed based on Clause 13					
	Marshalling yard Zone at the rate of 18.35% and 10.15% respectively is high and is not affordable to any of the Port user under the present scenario of slow down in the Maritime trade due to the impact of COVID-19 pandemic.	considering the fact that COVID-19 pandemic has affected the Global maritime trade, the revised SoR has been framed considering suitable discount factor over the Market value of Port Land assessed based on Clause 13 of the Policy Guidelines for Land					
	Marshalling yard Zone at the rate of 18.35% and 10.15% respectively is high and is not affordable to any of the Port user under the present scenario of slow down in the Maritime trade due to the impact of COVID-19 pandemic. In this regard the user has requested not to increase the SoR as it would lead to further impact	considering the fact that COVID-19 pandemic has affected the Global maritime trade, the revised SoR has been framed considering suitable discount factor over the Market value of Port Land assessed based on Clause 13 of the Policy Guidelines for Land					
	Marshalling yard Zone at the rate of 18.35% and 10.15% respectively is high and is not affordable to any of the Port user under the present scenario of slow down in the Maritime trade due to the impact of COVID-19 pandemic. In this regard the user has requested not to increase the SoR	considering the fact that COVID-19 pandemic has affected the Global maritime trade, the revised SoR has been framed considering suitable discount factor over the Market value of Port Land assessed based on Clause 13 of the Policy Guidelines for Land					
8 (b)	Marshalling yard Zone at the rate of 18.35% and 10.15% respectively is high and is not affordable to any of the Port user under the present scenario of slow down in the Maritime trade due to the impact of COVID-19 pandemic. In this regard the user has requested not to increase the SoR as it would lead to further impact on the Trade. JSW Mangalore Coal Terminal (Received	considering the fact that COVID-19 pandemic has affected the Global maritime trade, the revised SoR has been framed considering suitable discount factor over the Market value of Port Land assessed based on Clause 13 of the Policy Guidelines for Land					
8 (b)	Marshalling yard Zone at the rate of 18.35% and 10.15% respectively is high and is not affordable to any of the Port user under the present scenario of slow down in the Maritime trade due to the impact of COVID-19 pandemic. In this regard the user has requested not to increase the SoR as it would lead to further impact on the Trade. JSW Mangalore Coal Terminal (Received dated 25.03.2022	considering the fact that COVID-19 pandemic has affected the Global maritime trade, the revised SoR has been framed considering suitable discount factor over the Market value of Port Land assessed based on Clause 13 of the Policy Guidelines for Land Management 2015.					
8 (b)	Marshalling yard Zone at the rate of 18.35% and 10.15% respectively is high and is not affordable to any of the Port user under the present scenario of slow down in the Maritime trade due to the impact of COVID-19 pandemic. In this regard the user has requested not to increase the SoR as it would lead to further impact on the Trade. JSW Mangalore Coal Terminal (Received	considering the fact that COVID-19 pandemic has affected the Global maritime trade, the revised SoR has been framed considering suitable discount factor over the Market value of Port Land assessed based on Clause 13 of the Policy Guidelines for Land Management 2015.					
8 (b)	Marshalling yard Zone at the rate of 18.35% and 10.15% respectively is high and is not affordable to any of the Port user under the present scenario of slow down in the Maritime trade due to the impact of COVID-19 pandemic. In this regard the user has requested not to increase the SoR as it would lead to further impact on the Trade. JSW Mangalore Coal Terminal (Received dated 25.03.2022	considering the fact that COVID-19 pandemic has affected the Global maritime trade, the revised SoR has been framed considering suitable discount factor over the Market value of Port Land assessed based on Clause 13 of the Policy Guidelines for Land Management 2015.					
8 (b)	Marshalling yard Zone at the rate of 18.35% and 10.15% respectively is high and is not affordable to any of the Port user under the present scenario of slow down in the Maritime trade due to the impact of COVID-19 pandemic. In this regard the user has requested not to increase the SoR as it would lead to further impact on the Trade. JSW Mangalore Coal Terminal (Received dated 25.03.2022 i. Periodic revision of License fee	considering the fact that COVID-19 pandemic has affected the Global maritime trade, the revised SoR has been framed considering suitable discount factor over the Market value of Port Land assessed based on Clause 13 of the Policy Guidelines for Land Management 2015. I vide Letter No JSWMCTPL/MLR/2021-22/267					
8 (b)	Marshalling yard Zone at the rate of 18.35% and 10.15% respectively is high and is not affordable to any of the Port user under the present scenario of slow down in the Maritime trade due to the impact of COVID-19 pandemic. In this regard the user has requested not to increase the SoR as it would lead to further impact on the Trade. JSW Mangalore Coal Terminal (Received dated 25.03.2022 i. Periodic revision of License fee not permissible as per the	considering the fact that COVID-19 pandemic has affected the Global maritime trade, the revised SoR has been framed considering suitable discount factor over the Market value of Port Land assessed based on Clause 13 of the Policy Guidelines for Land Management 2015. I vide Letter No JSWMCTPL/MLR/2021-22/267 (i), (ii) and (iii) In respect of the land area allotted under the provisions of Concession					

SI	Port User's Comments	Remarks of New Mangalore Port
No	Fon Oser's Comments	Authority
	Concession Agreement dated	
	27.01.2020. As per the provisions	
	of the Concession Agreement the	
	License fee has been already	
	fixed and hence periodic revision	
	of License fee is not permissible.	
	ii. Periodic revision of License fee	
	not permissible as per the	
	MOPS&W circular: Ministry As per	
	the MOPS&W circular No PD-	
	13017/2/2014-PD IV dated	
	5.11.2019, periodic revision of	
	License fee is not permissible for	
	the Land allotted under concession	
	Agreement.	
	iii. Additional Land allotted as per	
	the terms of the Concession	
	Agreement: As per Clause 9.3 of	
	the concession Agreement the	
	License fee for additional land	
	area shall be 1.2 times of the SoR	
	as applicable at the time of giving	
	additional land. The SoR may also	
	contain an escalation Clause as per	
	the bidding document , but	
	periodic revision of SoR will not be	
	applicable. iv. Land Allotment on short	(v) The revision of SoR has been carried out
	term/Long term basis for Port	as per the provisions of PGLM-2015,
	usage to Port users / Stake	based on the registered government
	holders : As the Maritime is facing	documents and other records. Further,
	challenges due to the economic	wherever applicable, the discount factors
	stress imposed by the pandemic,	to mitigate the adverse impact of relevant
	overall increase in the logistics cost,	factors on the Market Value of the land
	etc. it would be prudent to not to	have been considered.
	increase the SoR, but offer discount	
	in the rentals to support the Trade.	

SI	David Hanaria Community	Remarks of New Mangalore Port				
No	Port User's Comments	Authority				
9	Indian Ports Warehousing Company (IPW	WC) (Vide letter dated 11.02.2022)				
	The user has requested the Port not to increase the SoR as the Business has been affected very badly for the last two consecutive years due to COVID-19 pandemic.	The proposed SoR is in accordance with the provisions of PGLM-2015. However considering the fact that COVID-19 pandemic has affected the Global maritime trade, the revised SoR has been framed considering suitable discount factor over the Market value of Port Land assessed based on Clause 13 of the Policy Guidelines for Land Management 2015.				
10	Hasan Hajee & Co (Vide email dated 07.0	2.2022)				
	The user has requested not to increase the SoR for EXIM Cargo due to the adverse affect of COVID-19 pandemic on the business of many EXIM entities.	The proposed SoR is in accordance with the provisions of PGLM-2015. However considering the fact that COVID-19 pandemic has affected the Global maritime trade, the revised SoR has been framed considering suitable discount factor over the Market value of Port Land assessed based on Clause 13 of the Policy Guidelines for Land Management 2015.				
11(a)	Raftaar Terminals Pvt Ltd (Vide letter date	_				
	i. The discount factor on the Market Value of land for various zones have been unscientifically applied. The areas which have very near proximity to National Highways, (Panambur and Marshalling Yard) have been considered as areas with less economic accessibility. Whereas Thanirbhavi area which is 4 to 5 kM way from National Highway, where no infrastructure is available are charged with 20% net discount factor. In this regard the User has requested to treat Thanirbhavi Zone in par with Panambur and Marshalling yard Zones.	i.The Land Value at Thanirbahvi Zone as per transaction registered rate works out to Rs 7,70,96,760/- after discounting at netdiscouting factor of 20 %; as recommended by the Valuator. If the same value is considered for arriving at SoR, the SoR works out to Rs 38.55/Sqm/month. This is much less than the updated SoR of Rs.54.84/sqm/month. Further the highest lease rent rate of Rs.63.76/sqm/month (Reserce price of Rs 53.76 + Tendered premium of Rs.10.00/sqm/month) is being paid by M/s Sealord Container Ltd for the tendered Plot in Thanirbahavi Zone. Hence, the updated SoR of Rs.54.84/Sqm/month has been considered for the base period 2022-23.				

SI No	Port User's Comments	Remarks of New Mangalore Port
140		Authority Thanirbhavi Zone is in close proximity of Oil
		Jetty and is Port's prime land for Tank farms
		(POL/Edible oil etc). Whereas Panambur and
		Marshalling Yard is preferred by the Users
		for dry bulk Cargo. Hence considering (i) the quantum of Liquid Cargo / Dry bulk Cargo
		handled at NMP and (ii) Demand for land,
		the discount factor considered for
		Thanirbahvi Zone is less then that considered
	ii. The SoR proposed for Commercial	for Panambur and Marshalling yard Zones.
	yard, Thanirbahvi, Kudupu and	ii. & iii The proposed SoR is in accordance with
	Bondel Zones are made comparing it	PGLM-2015.
	with the update SoR as on	
	20.02.2022 based on TAMP SoR	
	2017-2022. This is unjustified as	
	there is no provision in PGLM to	
	compare it with previous SoR. Further, the TAMP SoR 2017-22 is being	
	challenged at Court of Law by the	
	aggrieved. Hence considering TAMP	
	SoR 2017-22 as the basis for	
	proposed SoR is invalid and	
	unjustified. Hence the Bidder has	
	requested to fix SoR after applying	
	the net discount factor over the	
	Market Value of Land as	
	recommended by the Valuer.	
	iii. The PGLM provides for revision of	
	SoR. Revision of SoR need not be	
	higher for every revision. The	
	intension of revision should be levying	
	fair rates as per the laid down	
	principles and should serve the	
	purpose of mutual benefit to Port as well as the user.	
11(b)		ed vide Letter dated 26.03.2022
11(0)	<u> </u>	The revision of SoR has been carried out as per
	- Constacting the various ractors	mo to islan of ook has been carried out as per

SI	Port User's Comments	Remarks of New Mangalore Port
No	ron Oser's Comments	Authority
	affecting the Capital Value of the	the provisions of PGLM-2015 based on the
	Port land, the Valuator had	registered government documents and other
	extended discounts and premium	records. Further, wherever applicable, the
	to arrive the land value for various	discount factors to mitigate the adverse impact
	zones. However the SoR of Rs	of relevant factors on the Market Value of the
	38.55/Sqm/month based on the	land have been considered.
	discounted Market Value has not	
	been considered for proposing the	
	SoR for open space in Thanirbavi	
	Zone. But the SoR of Rs	
	54.84/Sqm/month has been	
	proposed based on the TAMP SoR	
	2017-2022. Though while carrying	
	out the Valuation, it has been	
	considered that the business has	
	severely affected due to the	
	impact of COCID-19 pandemic,	
	considering the updated SoR on	
	20.02.2022 as the proposed SoR	
	for open space in Thanirbavi Zone	
	will defeat the purpose of discount	
	extended by the Valuer. Hence the	
	SoR for open space in Thanirbahvi	
	Zone may please be considered as	
	Rs 38.55/Sqm/month (based on	
	discount factor) instead of Rs	
	54.84/Sqm/month (updated SoR	
	based on SoR — 2017-2011).	
12	KIOCL Limited (Received vide Letter C&	PC/SOR/2021-22 dated 21.03.2022
	(i) NMP had extended "Custom Bound	(i) The lease rentals are demanded based on
	Zone Tariff" to KIOCL Limited during	the Board approved Zonal Plan of the
	revision of TAMP-SoR 2017-22. It is	Port. As per the prevailing Board
	requested to continue the same for the	approved Zonal Plan of the Port, the land
	Cycle period 2022-2027 also.	area leased to KIOCL exists in the Custom
		Bound Zone.
	(ii) The proposed revised SoR of Rs 35.70	(ii) The revision of SoR has been carried out
L	<u> </u>	I

SI	Port User's Comments	Remarks of New Mangalore Port				
No	ron oser's comments	Authority				
No	per Sqm per month for open space in the Custom Bound area for the base year 2022-2023 appears to be very high. The updated SoR for the base year 2022-2023, based on the TAMP notified SoR for the previous cycle period works out to Rs 30.15/Sqm/month. This effect in 18.35% increase in the rate. As Port has leased out 95.42 Acres of Land to KIOCL, increase of 18.35% over the existing rates will put a heavy financial burden on the Company. Hence it is requested to review the proposed revised SoR. (iii) As KIOCL Limited has taken over 95.42 acres of Port Land on lease, the Payment of Security Deposit equivalent to two years lease rent would be very high. Hence it is requested to waive off the Security Deposit considering KIOCL Limited to be a CPSU.	as per the provisions of PGLM-2015, based on the registered government documents and other records. Further, wherever applicable, the discount factors to mitigate the adverse impact of relevant factors on the Market Value of the land have been considered. (iii) Earlier Port used to insist the Lessees to remit Security Deposit to the Port Bank account through NEFT/RTGS etc. But subsequently the Ministry vide Letter No PD-13017/1/2020-PD. V dated 27.04.2020 has issued clarifications to Policy Guidelines for Land Management 2015, stating that if the Security Deposit is less than 1 Crore, it may be collected in Cash and if the same is equal or more				
		than 1 Crore, it may be collected in the form of Bank Guarantee. So request for				
		exemption of Security Deposit cannot be considered at this juncture.				
13	Santhoshimathaa (Received vide Letter No	o SEORPL/NMPT/010-2021-2022 dated				
	25.03.2022					
	i. The land rental will be increased	The revision of SoR has been carried out as per				
	at the rate of 2% per annum,	the provisions of PGLM-2015, based on the				
	effecting in 60% increment over	registered government documents and other				

SI No	Port User's Comments	Remarks of New Mangalore Port Authority						
	the span of 30 Years. The	records. Further, wherever applicable, the						
	proposed increment for the open	discount factors to mitigate the adverse impact						
	space in Panambur Village is	of relevant factors on the Market Value of the						
	18.35% and after every 5 years if	land have been considered.						
	the SoR is revised at the rate of							
	18.35%, the overall increase will							
	be 170%. This will affect the							
	overall business. Hence the firm has							
	requested not to increase the SoR							
	for the period 2022-2027,							
	considering the revenue port would							
	gain in the form of Vessel related							
	Charges and other Port related							
	charges.							
14	Adani Total Gas Limited	(Received vide Letter No						
	ATGL/UDP/NMPT/CONSTRUCTION/2022							
	Due to COVID-19 pandemic the grant of	Annual escalation at the rate of 2% is as per PGLM 2015.						
	permissions from various Authorities has	FGLW 2013.						
	delayed, thereby causing delay in							
	commissioning of the intended facility. In							
	this regard it is requested to waive of 2%							
	annual increase in the lease rent until SoR							
	for the cycle period 2022-2027 is							
	notified.							

14. On the request of Port User's, the Committee in its **second meeting** held on 28.03.2022 recommended to moderate the increase in SoR for Open Space and Covered Space in Panambur Village, Custom Bound Zone and Marshalling Yard at the rate of 10.15% and 16.59% respectively over the updated SoRs worked out on the basis of TAMP SoR 2017-2022. The SoR proposed by the Committee is as follows:-

SoR for the Base year 2022-23 proposed by the Committee in its meeting held on 28.03.2022										
	Open area		Paved		Cove Space (Covered Space (RCC)			
Zone			(Rs/Sq	m/Month	n) or part	thereof				
20110	Propo sed SoR	% increa se	Propos ed SoR	% increa se	Propos ed SoR	% increa se	Propos ed SoR	% incre ase		
Panambur	36.25	10.15	55.14	8.61	103.77	16.59	114.15	28.25		
Custom Bound Zone	33.22	10.15	60.66	8.61	114.13	16.59	125.54	28.25		
Marshalling Yard	36.14	10.15	52.33	3.46	103.38	16.59	113.72	28.25		
Commercial Yard	89.78	0.00	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
Tannirbhavi	54.84	0.00	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
Kudupu	58.66	0.00	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
Bondel	44.20	0.00	N/A	-	N/A	-	N/A	-		

- 15. The aforesaid SoR proposed by the Committee for the cycle period 2022-2027, was placed before the Port Authority Board in its meeting held on 29.04.2022. The Board deliberated on the proposal, based on the representations received from the Stakeholders that under the present scenario of COVID-19 pandemic, any increase in SoR would have adverse impact on the Trade. The Board after detailed discussion vide resolution No 15/2022-23, directed the Committee to re-examine the proposal based on the representations of Stakeholders and in the interest of Port.
- 16. The Committee it its third meeting held on 01.07.2022, further examined the SoR recommended by it in its second meeting held on 28.03.2022. After considering Stakeholders representations, the Committee recommended to extend a rebate of 50% of the proposed increase, to arrive at the revised SoR, for allotments on short term license basis and to continue the rates proposed for other allotments. The SoR proposed by the Committee is as follows:-

	Proposed SoR for the Base year 2022-23									
	Open (Rs/Sqm/l	Month) or	(Rs/Sqr	d Area n/Month)	Covered area (Rs/Sqm/Month) or part thereof					
Zone	For Short Term	Other than Short	For Short	Other than Short	She For Short Term	Other than Short				
	license basis Allotments	term license basis allotment	license basis Allotme nts	term license basis allotmen t	license basis Allotment s	term license basis allotmen t	RCC			
Panambur	34.58	36.25	52.95	55.14	96.39	103.77	114.15			
Custom Bound Zone	31.69	33.22	58.24	60.66	106.02	114.13	125.54			
Marshalling Yard	34.48	36.14	52.33	52.33	96.03	103.38	113.72			
Commercial Yard	89.78	89.78	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
Tannirbhavi	rbhavi 54.84 N/A		N/A	N/A	N/A	N/A				
Kudupu 58.66		58.66	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
Bondel	44.20	44.20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			

- 17. The proposal of revision of SoR was deliberated by the Board in its meeting held on 24.08.2022. The Board again directed to revisit the proposal to reduce the rates for other than short term allotments. After deliberation, the Board vide resolution No 72/2022-23 suggested the Committee to re-examine the proposal on the above lines and submit the recommendations.
- 18. The Committee, in its fourth meeting held on 26.09.2022, deliberated the matter after re-examining the proposed SoR proposed to extend the rebate of 50% of proposed rates to long term lease also. A comparative statement to depict the % increase in rate between the SoR approved by the Port Authority Board vide resolution No 10/2021-22 for the period from 20.02.2022 till effective date of implementation of the revised SoR 2022-2027 and the SoR recommended by the Committee are tabulated below:-

	Second modified SoR for the Base year 2022-23									
Zone		nte n/Month) thereof	Rate (Rs/Sqm/Month) or part thereof		Rate (Rs/Sqm/Month) or part thereof					
Zone	Open area	% increase	Paved area	% increase	Sheet	% incre ase	RCC	% increase		
Panambur	34.58	5.07	52.95	4.29	96.39	8.3	114.15	28.25		
Custom Bound Zone	31.69	5.07	58.24	4.28	106.02	8.3	125.54	28.25		
Marshalling Yard	34.48	5.09	52.33	3.46	96.03	8.3	113.72	28.25		
Commercial Yard	89.78	0.0	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
Tannirbhavi	54.84	0.0	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
Kudupu	58.66	0.0	N/A	-	N/A	-	N/A	-		
Bondel	44.20	0.0	N/A	_	N/A	-	N/A	-		

During the Board meeting held on 28.10.2022, Board observed that there is no any 19. increase in SoR for open area in respect of Tannirbhavi Zone. whereas increase is proposed for Panambur area.. After deliberation, the Board vide resolution No 111/2022-23 suggested the Committee to re-examine the proposal on the above lines. The Committee in its meeting held on 31.10.2022 reviewed the proposal and justified the SoR proposed by it for open area in Tannirbhavi Zone. The Committee opined that the SoR derived for open land area in Thannirbhavi Zone based on the Land Value as per transaction registered works out Rs.38.55/sqm/month. This is much lesser than the updated SoR of Rs.54.84/Sqm/month and also highest lease rent rate at Rs.53.76/sqm/month(excluding premium of Rs.10.00/sqm/month) being paid by M/s Sealord Container Ltd. So, the updated SoR of Rs.54.84/sqm/month is considered for the base period 2022-23. The tariff for the lease 2022-23 is based on the land value of Rs.963 Lakhs per hectare and after considering the discount factor of 20% on the valuation works out to Rs.770.97 Lakhs per hectare. Accordingly the rentals @ 6% of the valuation workout to Rs.38.55/sq.mtr./month. Whereas escalated SOR for the year 2022-23 is Rs.54.84/sq.m/month. Hence no increase in rentals proposed for Thannirbhavi Zone. Further, the net valuation of Land for Panambur Zone is Rs.778.99 Lakhs per hectare after considering 35%

discount on the highest market value and the rent @ 6% of the above valuation works out to Rs.38.94 / sq.mtr. / month, which has been further reduced to Rs.34.58 sq.mtr. / month as per the request made by the Port Users and the advise of the Board. Whereas the escalated SoR for 2022-23 is Rs.32.91/sq.mtr./month. Therefore, increase is proposed for Panambur Zone

20. The following SoR was placed before the Board in its meeting held on 1312.2022 for deliberation to take decision on the proposed "Revision of Scale of rates for allotment of Port premises on lease/license and grant of RoW permission for the period 2022-2027".

Zone	SoR for the base year 2022-23 for the cycle period 2022-27 (Rs/Sqm/Month) or Part thereof							
Zone	Open area	Paved area	Covered Space					
			Sheet Roof	RCC Roof				
Panambur	34.58	52.95	96.39	114.15				
Custom Bound Zone	31.69	58.24	106.02	125.54				
Marshalling Yard	34.48	52.33	96.03	113.72				
Commercial Yard	89.78	N/A	N/A	N/A				
Tannirbhavi	54.84	N/A	N/A	N/A				
Kudupu	58.66	N/A	N/A	N/A				
Bondel	44.20	N/A	N/A	N/A				

- a. The other terms and conditions under notes of the initial SoR proposal shall be followed.
- b. The comparative statement between the original SoR proposal, which had been placed before the Port users for comments and the final proposed SoR is tabulated below:-

compa	comparative statement between the original SoR proposal and the final proposed SoR											
	Ope	en Land	Area	F	Paved Area			Covered Space				
Zone		ig Prop	0/			0/	Sheet Roof			RCC Roof		
20110	Orig		% Reduxn	Orig	Prop	% - Reduxn	Orig	Prop	% Reduxn	Orig	Prop	% Reduxn
Panambur	38.95	34.58	11.00%	55.14	52.95	4.00%	115.1	96.39	16.00%	126.6	114.2	10.00%
Custom Bound	35.7	31.69	11.00%	60.66	58.24	4.00%	126.6	106	16.00%	139.2	125.5	10.00%

comparative statement between the original SoR proposal and the final proposed SoR												
Zone	Open Land Area			Paved Area			Covered Space					
	Orig	Prop	% Reduxn	Orig	Prop	% Reduxn	Sheet Roof			RCC Roof		
							Orig	Prop	% Reduxn	Orig	Prop	% Reduxn
Marshalling Yard	36.14	34.48	5.00%	60.66	52.33	14.00%	112.3	96.03	14.00%	123.5	113.7	8.00%
Commercial Yard	89.78	89.78	0.00%	N/A	N/A	N/A	112.3	- N/A	N/A	123.5	- N/A	N/A
Tannirbhavi	54.84	54.84	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A		
Kudupu	58.66	58.66	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A		
Bondel	44.2	44.2	0.00%	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A		

- c. The reduction in the rate would make the transaction cost competitive and that would bring additional throughput and maximize lease rental and also give additional income in form of wharfage as committed by the trade. The proposed increase after granting concession is around 5% to 10% on the existing lease rent and Stevedores are also supporting the same.
- **21.** The Port Authority Board vide resolution No **127/2022-23** resolved to approve the following "Revision of Scale of rates for allotment of Port premises on lease/license and grant of RoW permission for the period 2022-2027".

Zone	SoR for the base year 2022-23 for the cycle period 2022-27 (Rs/Sqm/Month) or Part thereof						
Zone	Open area	Paved area	Covered Space				
			Sheet Roof	RCC Roof			
Panambur	34.58	52.95	96.39	114.15			
Custom Bound Zone	31.69	58.24	106.02	125.54			
Marshalling Yard	34.48	52.33	96.03	113.72			
Commercial Yard	89.78	N/A	N/A	N/A			
Tannirbhavi	54.84	N/A	N/A	N/A			
Kudupu	58.66	N/A	N/A	N/A			
Bondel	44.20	N/A	N/A	N/A			

21.1 The Port Authority Board has approved following conditionality governing the proposed lease rentals:

(A) Conditions:

- (viii) The rates prescribed shall be applicable with effect from 30 days of such notification.
- (ix) The SoR notified shall remain valid for period of 5 years from the date of implementation. The SoR would be revised after expiry of the 5 years from the date of its implementation.
- (x) N/A indicates not applicable, since in the respective zones of Paved/Coved area no construction existed, however if any development in future escalated rent on development over the land rent shall be applied.
- (xi) The lease rent shall bear an escalation @ 2% (compoundable) per annum from the anniversary of effective date.
- (xii) The rate specified for Covered space in the above table is applicable for Ground Floor. In the First floor RCC covered area rate will be 90% of the Ground floor area
- (xiii) The rate proposed for open space for EXIM Cargo in custom bond area will apply for areas leased in the commercial zone where EXIM cargo is stored, on vessel to vessel basis, till the area is leased out for commercial purposes
- (xiv) Security Deposit equivalent to one month's licence fee shall be applicable for Short term allotments on license upto 11 months. In case of lease of land, refundable Security Deposit of equivalent to two years lease rental will be applicable. The Security Deposit shall be refunded without interest after the land is vacated fully after adjusting any amount that may be due to the NMPA.
- (B). Way leave charges for : The rate for open area as applicable laying of pipelines/ to the location given in the table above for the area occupied by the pipelines / service conduits/Conveyors etc.

Note to Schedule B above:

(i). For the purpose of way leave charges, the area occupied by single pipelines should be calculated based on the diameter and length of those pipelines. In case of multi-layer pipeline stacks, the physical area occupied by the multilayer pipeline stacks should be considered and the respective users should be billed for pro-rata area on the basis of the diameter and length of their pipelines passing through that area. With respect to the area shared with road, rails, jetties, etc., the

respective users should be billed pro-rata for 50% of concerned area assuming that they do not have exclusive possession of land and what they have is only 'Right of Way'. As far as underground pipes are concerned if the users establish that the possession of surface area above the underground cross-country pipelines is not physically with them, the area occupied by such pipelines should be counted 50% of the product of diameter and length, for the purpose of levy of way leave charges.

(ii). The terms and conditions for issuance of Right of Way Permission for laying Pipelines/ conveyors etc., will be governed by the Policy of the Board and as amended from time to time.

(C). Water Area Charges:

50% of the license fee for the land abutting to the waterfront for construction of jetties, submarine pipeline, etc. and will be charged as a way leave permission. For submarine pipeline, the water area charges will be for the area occupied by the pipeline and the area should be arrived at based on the note to (ii) under schedule B above.

General Conditions:

(i). All the conditions / notes stated herein shall apply to the extent they are not inconsistent with the conditions prescribed in the Policy Guidelines for Land Management -2015 and subsequent clarifications issued to it from time to time by the Government of India. In case of disagreement, the conditions prescribed by the Government in the Land Policy guidelines shall prevail.

(ii). Allotment:

Persons requiring allotment of land/ space for storage of their goods outside the security compound wall or within the security compound wall of New Mangalore Port Authority (NMPA) on monthly license basis may apply in writing to NMPA for a license in the form prescribed by the NMPA from time to time. But it shall be at the discretion of the NMPA to allot or refuse to allot such space/ land no subletting of the licensed premises shall be allowed.

(iii). Licensee's Responsibility:

In applying for land/ space for storage of goods/ cargo, the applicants for land/ space shall accept all risks and responsibility for goods so stored/ stocked. The locking by the NMPA or sheds partly or wholly allotted to the licensees whether inside or outside the security compound wall shall not be regarded as making the NMPA a bailee of the goods so stores unless a receipt in this regard is passed by the NMPA to them. The occupation of land/ space in open or under cover shall be reproduced in the license deed/ permit/ agreement.

Encroachment or unauthorized occupation of the NMPA's land and stacking of goods/ cargo on the NMPA's Railway track, plants, equipment, approach road etc., causing obstruction to the movement of traffic by the licensee will involve a liability to pay penal rate as specified below in addition to the cost of rectifying damages caused to the NMPA's properties. If the licensee fails to remove the goods from the encroached area in spite of notice to do so, the goods will be removed elsewhere by the NMPA at the risk and the cost of the licensee and penal license fee at the following rate shall be levied on the land occupied by the goods so removed.

(a). Three times the normal license fee till vacant possession is obtained by the port or any other Land Policy Guidelines notified by Government time to time.

(iv). Other Conditions:

- (a). Goods stored under the license deed/ permit/ agreement shall be at the entire risk and responsibility of the licensees. NMPA will not in any way take responsibility for pilferage, theft, fire or loss thereof. The licensees shall post their own watch to safeguard the goods stored at their allotted space and to prevent any unauthorized occupation of such land/ space by others.
- (b). The Licensee shall not construct or put up any permanent structure, buildings, erection or convenience or canteens on the land/ space occupied under the license deed/ permit. The licensee shall restore the land/ space to its original condition at

- the time or termination of the license permit and if the licensee fails, NMPA will arrange for such restoration at the cost risk and responsibility of the licensee.
- (c). The license fees or charges shall be paid from the date of receipt of the allotment letter by the licensee or occupation of the land/ space by the licensee, whichever is earlier, in accordance with the rates prescribed in the NMPA's Scale of Rates. The license fee shall be remitted for each calendar month for subsequent period in advance to the NMPA i.e. before 1st of every month. In case the payment is not received before the due date, penal interest at SBI (MCLR) + 2% per annum revised from time to time on the accumulated arrears in addition to the license fee. [Penal interest is subject change as per the guidelines issued from time to time by Competent Authority] [MCLR-Marginal Cost Lending Rate].
- (d). The licensee shall vacate the land/ space occupied by them if the license permit is not renewed at the latest. In case the licensee fails to hand over the land/ space in vacant possession on the date of expiry of the license/ permit granted after removing of such structures or construction put up, NMPA shall have the right to remove such structures and the goods stored in such land/ space to any other alternative land/ open or covered space in any part of the Port's premises at the cost and risk and responsibility of licensees and in addition, penalty license fee at the following rates shall be levied on the space occupied by the goods so removed.
 - (i). Three times the normal license fee till vacant possession is obtained by the port or any other Land Policy Guidelines notified by Government time to time.
 - (ii). Terms and conditions as stipulated in the allotment order/ lease/ license deed.
- (e). The permit shall lapse automatically at the expiry of the calendar month for which it has been issued. The license shall be up to a maximum period of Four (4) months on vessel to

vessel basis for storage of EXIM Cargo (both inside & outside Security Compound wall) and Six (6) months for coastal movement of cargo and license fee is levied as per the notified schedule of Rates. There shall be no provision for renewal of licence. The occupation of land/ premises exceeding 4 months on vessel to vessel basis for storage of EXIM Cargo (both inside & outside Security Compound wall) and Six (6) months for coastal movement of cargo, without subsequent allotment shall be treated as unauthorized occupation and compensation 3 times the normal license fee shall be paid by the occupant and charges will attract penal interest at the rate of SBI (MCLR)+2% per annum (or) as per the lease/ license deed/ allotment orders. On the accumulated arrears and shall be paid in addition to the license fee. In any case the license fee should not accumulate for more than 15 days from the date when advance license fee become payable. [Penal interest subject change as per the guidelines issued from time to time by Competent Authority]

(f). No licensee shall convert the space allotted to him/ them into private bonded areas except with the written permission of the NMPA. Failure to obtain the prior written permission from the NMPA shall attract levy of penalty as per prevailing Guidelines time to time.

(g). Security Deposit:

- (i) Security deposit equivalent to one month's license fee shall be applicable for vessel to vessel for license upto 11 months. The Security Deposit without interest shall be refunded after the land is vacated fully after adjusting any amount that may be due to the NMPA.
- (ii). In case of lease of land other than those mentioned at (a) above, refundable Security Deposit of equivalent to two years lease rental will be applicable.

- (iii). The Security Deposit shall be refunded without interest after the land is vacated fully after adjusting any amount that may be due to the NMPA.
- (iv). In case, the security deposit is not refunded within 20 days from the date when land/ space is finally vacated and production of documents by the licensee, the NMPA shall pay penal interest at SBI Marginal Cost of Fund based Lending Rate (MCLR) + 2% per annum as revised from time to time on such delayed refunds.
- (h). NMPA shall have the right at any time to resume the possession of the land/ space wholly or partly which is required by the Port/ not occupied by the licensee, in which event the proportionate reduction in license fee will be allowed. In any case, the NMPA shall give a notice period of 7 days in case license is for less than four months for EXIM Cargo and six months for Coastal movement cargo. In case of unauthorized occupation or encroachment or on normal expiry of the license tenure, no such notice shall be issued and the port shall resume the land/ space required by the Port immediately. In case of such a resumption or possession of land, the license shall not be entitled to claim any compensation on account of such resumption or possession or to remove and take away improvements, if any, made by him on the land.
- (i). The licensee shall have the right to appeal against resumption of the land to the Board of the New Mangalore Port Authority within a period of 30 days from the date of receipt of the Order appealed against and the decision of the Board of NMPA is final in this regard.
- (j). The licensee / allottee shall agree to comply with all rules or directions issued by NMPA from time to time. Should the licensee neglect to comply with the rules or directions, the NMPA may terminate the license.
- (k). The licensee / allottee shall agree that all payments and expenses of whatever sort due to the Port in respect of land/

- space allotted to the licensee, shall be recoverable at the rates prescribed in the Scale of Rates of NMPA.
- (I). The licensee / allottee shall comply with all rules and regulations that may from time to time be issued by the local authorities or the inspector of Explosives, the Department of Explosive, Commissioner of Customs and Government of India or whosoever concerned in relation to the storage of goods under the license/ permit.
- 21.2 The Port Authority Board in its meeting held on 13.12.2022 vide Resolution No 127/2022-23 has also resolved to notify the proposed SoR along with the statement of conditions under which, the access to and usage of Port premises may be allowed by the Board to the Port user's through the Karnataka State Gazette for the same to come into effect after expiry of 30 days from the date of notification in the State Gazette.
- 22. As per Major Port Authorities Act 2021, Section 27 (1) (c), read with Section 14(1) the Board may formulate Committees for the purpose of discharging such functions to frame Scale of Rates for the services or use of assets of Port. The Port Trust Board vide Reso.no.103/2021-22, constituted a Committee for fixing the SoR related to Port Land.
- 23. As per Para 27(1)(b) of the Major Port Authority Act 2021, the Board of Major Port Authority or Committee constituted by the Board in accordance with Para 14, may frame scale of rates (SoR) at which , and a statement of conditions under which the access to and usage of Port assets may be allowed by the Board. As per para -14 of the Major Port Authority Act 2021, the Board from time to time and among its members and any other person, constitute committee for the purpose of discharging such functions as may be delegated to such committee by the Board.
- 24. As per Rule 3 of Major Port Authorities (Fixation and Implementation of Scale of Rates, Fees and Conditions) Rules 2021 notified by the MoPSW vide Gazette notification dated 22.11.2021, the Board of Major Port Authority may from time to time, frame a scale of rates and a statement of conditions that would apply to various port services and access to and use of port assets.
- 25. As per Rules and Tariff Guidelines, the proposal for revision of SoR has to be placed before the Board of New Mangalore Port in accordance with provisions of Major Port Authorities Act, 2021 for approval. After approval of the SoR/Tariff, the same should be notified through the Karnataka State Government Gazette Notification. Thereafter the

revised SoR would be implemented with effect after expiry of 30 days from the date of State Gazette notification.

- 26. As per Para 13 (C) of the Policy Guidelines for Land Management 2015, , the SOR notified shall remain valid for period of 5 years, subject to annual indexation, which would not be less than 2% per annum. The SoR would be revised after expiry of the 5 years.
- 27. As per the TAMP Order No. TAMP/43/2017-NMPT dated 14th March 2018, the SoR notified by TAMP is valid for the period of 5 years from 20.02.2017 to 19.02.20222. Hence, the SoR was due for revision with effect from 20.02.2022. The Port Authority Board has approved to notify the revised SoR for the cycle period 2022-2027 in Karnataka State Gazette Notification in the month of December 2022 (ie) after elapse of almost one year from the due date. The SoR approved by the Port Authority Board is for the base year 2022-2023 and by the time the Board approved SoR is notified, the same would expire. Therefore the Board approved SoR is indexed at the rate of 2% per annum as per Policy Guidelines for Land Management 2015 and the same is notified in the Karnataka state Gazette Notification for the period 2023-2024.
- 28. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, the Board approves the revised SOR and a statement of conditions under which the access to and usage of Port assets may be allowed by the Board of New Mangalore Port attached at Annexure I, with annual escalation at the rate of 2%. The revised Scale of Rates and conditionalities governing the application of revised Scale of Rates will be effective from 30 days from the date of notification of this Order in the Official Gazette of Karnataka and shall be in force for a period of 4 years from the effective date of implementation of revised SoR..

(A.V Harinath)
Chief Engineer (Civil) i/c
New Mangalore Port Authority

ANNEXURE-I

SCALE OF RATES (SoR) FOR ALLOTMENT OF PORT PREMISES ON LEASE/LICENSE BASIS AND GRANT OF ROW PERMISSION AT VARIOUS LOCATIONS.

A. Lease/License/RoW rental rate of Port premises at various location:

Zone	SoR for the base year 2023-24 for the cycle period 2022-2027 (Rs/Sqm/Month) or Part thereof						
Zone	Open area	Paved area	Covered Space				
			Sheet Roof	RCC Roof			
Panambur	35.27	54.01	98.32	116.43			
Custom Bound Zone	32.32	59.40	108.14	128.05			
Marshalling Yard	35.17	53.38	97.95	115.99			
Commercial Yard	91.58	N/A	N/A	N/A			
Tannirbhavi	55.94	N/A	N/A	N/A			
Kudupu	59.83	N/A	N/A	N/A			
Bondel	45.08	N/A	N/A	N/A			

Notes:-

(A) Conditions:

- (ii) The rates prescribed shall be applicable with effect from 30 days of such notification.
- (iii) The revised Scale of Rates and conditionalities governing the application of revised Scale of Rates will be effective from 30 days from the date of notification of this Order in the Official Gazette of Karnataka and shall be in force for a period of 4 years from the effective date of implementation of revised SoR.
- (iv) N/A indicates not applicable, since in the respective zones of Paved/Coved area no construction existed, however if any development in future escalated rent on development over the land rent shall be applied.
- (v) The lease rent shall bear an escalation @ 2% (compoundable) per annum from the anniversary of effective date.
- (vi) The rate specified for Covered space in the above table is applicable for Ground Floor. In the First floor RCC covered area rate will be 90% of the Ground floor area.

- (vii) The rate proposed for open space for EXIM Cargo in custom bond area will apply for areas leased in the commercial zone where EXIM cargo is stored, on vessel to vessel basis, till the area is leased out for commercial purposes
- (viii) Security Deposit equivalent to one month's licence fee shall be applicable for Short term allotments on license upto 11 months. In case of lease of land, refundable Security Deposit of equivalent to two years lease rental will be applicable. The Security Deposit shall be refunded without interest after the land is vacated fully after adjusting any amount that may be due to the NMPA.
- (B). Way leave charges for : The rate for open area as applicable laying of pipelines/ to the location given in the table above for the area occupied by the pipelines / service conduits/Conveyors etc.

Note to Schedule B above:

- (i). For the purpose of way leave charges, the area occupied by single pipelines should be calculated based on the diameter and length of those pipelines. In case of multi-layer pipeline stacks, the physical area occupied by the multilayer pipeline stacks should be considered and the respective users should be billed for pro-rata area on the basis of the diameter and length of their pipelines passing through that area. With respect to the area shared with road, rails, jetties, etc., the respective users should be billed pro-rata for 50% of concerned area assuming that they do not have exclusive possession of land and what they have is only 'Right of Way'. As far as underground pipes are concerned if the users establish that the possession of surface area above the underground cross-country pipelines is not physically with them, the area occupied by such pipelines should be counted 50% of the product of diameter and length, for the purpose of levy of way leave charges.
- (ii). The terms and conditions for issuance of Right of Way Permission for laying Pipelines/ conveyors etc., will be governed by the Policy of the Board and as amended from time to time.

(C). Water Area Charges:

50% of the license fee for the land abutting to the waterfront for construction of jetties, submarine pipeline, etc. and will be charged as a way leave permission. For submarine pipeline, the water area charges will be for the area occupied by the pipeline and the area should be arrived at based on the note to (ii) under schedule B above.

General Conditions:

(i). All the conditions / notes stated herein shall apply to the extent they are not inconsistent with the conditions prescribed in the Policy Guidelines for Land Management -2015 and subsequent clarifications issued to it from time to time by the Government of India. In case of disagreement, the conditions prescribed by the Government in the Land Policy guidelines shall prevail.

(ii). Allotment:

Persons requiring allotment of land/ space for storage of their goods outside the security compound wall or within the security compound wall of New Mangalore Port Authority (NMPA) on monthly license basis may apply in writing to NMPA for a license in the form prescribed by the NMPA from time to time. But it shall be at the discretion of the NMPA to allot or refuse to allot such space/ land no subletting of the licensed premises shall be allowed.

(iii). Licensee's Responsibility:

In applying for land/ space for storage of goods/ cargo, the applicants for land/ space shall accept all risks and responsibility for goods so stored/ stocked. The locking by the NMPA or sheds partly or wholly allotted to the licensees whether inside or outside the security compound wall shall not be regarded as making the NMPA a bailee of the goods so stores unless a receipt in this regard is passed by the NMPA to them. The occupation of land/ space in open or under cover shall be reproduced in the license deed/ permit/ agreement.

Encroachment or unauthorized occupation of the NMPA's land and stacking of goods/ cargo on the NMPA's Railway track, plants, equipment, approach road etc., causing obstruction to the movement of traffic by the licensee will involve a liability to pay penal rate as

specified below in addition to the cost of rectifying damages caused to the NMPA's properties. If the licensee fails to remove the goods from the encroached area in spite of notice to do so, the goods will be removed elsewhere by the NMPA at the risk and the cost of the licensee and penal license fee at the following rate shall be levied on the land occupied by the goods so removed.

(a). Three times the normal license fee till vacant possession is obtained by the port or any other Land Policy Guidelines notified by Government time to time.

(iv). Other Conditions:

- (a). Goods stored under the license deed/ permit/ agreement shall be at the entire risk and responsibility of the licensees. NMPA will not in any way take responsibility for pilferage, theft, fire or loss thereof. The licensees shall post their own watch to safeguard the goods stored at their allotted space and to prevent any unauthorized occupation of such land/ space by others.
- (b). The Licensee shall not construct or put up any permanent structure, buildings, erection or convenience or canteens on the land/ space occupied under the license deed/ permit. The licensee shall restore the land/ space to its original condition at the time or termination of the license permit and if the licensee fails, NMPA will arrange for such restoration at the cost risk and responsibility of the licensee.
- (c). The license fees or charges shall be paid from the date of receipt of the allotment letter by the licensee or occupation of the land/ space by the licensee, whichever is earlier, in accordance with the rates prescribed in the NMPA's Scale of Rates. The license fee shall be remitted for each calendar month for subsequent period in advance to the NMPA i.e. before 1st of every month. In case the payment is not received before the due date, penal interest at SBI (MCLR) + 2% per annum revised from time to time on the accumulated arrears in addition to the license fee. [Penal interest is subject change as

- per the guidelines issued from time to time by Competent Authority] [MCLR-Marginal Cost Lending Rate].
- (d). The licensee shall vacate the land/ space occupied by them if the license permit is not renewed at the latest. In case the licensee fails to hand over the land/ space in vacant possession on the date of expiry of the license/ permit granted after removing of such structures or construction put up, NMPA shall have the right to remove such structures and the goods stored in such land/ space to any other alternative land/ open or covered space in any part of the Port's premises at the cost and risk and responsibility of licensees and in addition, penalty license fee at the following rates shall be levied on the space occupied by the goods so removed.
 - (i). Three times the normal license fee till vacant possession is obtained by the port or any other Land Policy Guidelines notified by Government time to time.
 - (ii). Terms and conditions as stipulated in the allotment order/lease/license deed.
- (e). The permit shall lapse automatically at the expiry of the calendar month for which it has been issued. The license shall be up to a maximum period of Four (4) months on vessel to vessel basis for storage of EXIM Cargo (both inside & outside Security Compound wall) and Six (6) months for coastal movement of cargo and license fee is levied as per the notified schedule of Rates. There shall be no provision for renewal of licence. The occupation of land/ premises exceeding 4 months on vessel to vessel basis for storage of EXIM Cargo (both inside & outside Security Compound wall) and Six (6) months for coastal movement of cargo, without subsequent allotment shall be treated as unauthorized occupation and compensation 3 times the normal license fee shall be paid by the occupant and charges will attract penal interest at the rate of SBI (MCLR)+2% per annum (or) as per the lease/ license deed/ allotment orders. On the accumulated arrears and shall be paid

in addition to the license fee. In any case the license fee should not accumulate for more than 15 days from the date when advance license fee become payable. [Penal interest subject change as per the guidelines issued from time to time by Competent Authority]

(f). No licensee shall convert the space allotted to him/ them into private bonded areas except with the written permission of the NMPA. Failure to obtain the prior written permission from the NMPA shall attract levy of penalty as per prevailing Guidelines time to time.

(g). Security Deposit:

- (i) Security deposit equivalent to one month's license fee shall be applicable for vessel to vessel for license upto 11 months. The Security Deposit without interest shall be refunded after the land is vacated fully after adjusting any amount that may be due to the NMPA.
- (ii). In case of lease of land other than those mentioned at (a) above, refundable Security Deposit of equivalent to two years lease rental will be applicable.
- (iii). The Security Deposit shall be refunded without interest after the land is vacated fully after adjusting any amount that may be due to the NMPA.
- (iv). In case, the security deposit is not refunded within 20 days from the date when land/ space is finally vacated and production of documents by the licensee, the NMPA shall pay penal interest at SBI Marginal Cost of Fund based Lending Rate (MCLR) + 2% per annum as revised from time to time on such delayed refunds.
- (h). NMPA shall have the right at any time to resume the possession of the land/ space wholly or partly which is required by the Port/ not occupied by the licensee, in which event the proportionate reduction in license fee will be allowed. In any case, the NMPA shall give a notice period of 7 days in case license is for less than four months for EXIM Cargo and six months for Coastal

movement cargo. In case of unauthorized occupation or encroachment or on normal expiry of the license tenure, no such notice shall be issued and the port shall resume the land/ space required by the Port immediately. In case of such a resumption or possession of land, the license shall not be entitled to claim any compensation on account of such resumption or possession or to remove and take away improvements, if any, made by him on the land.

- (i). The licensee shall have the right to appeal against resumption of the land to the Board of the New Mangalore Port Authority within a period of 30 days from the date of receipt of the Order appealed against and the decision of the Board of NMPA is final in this regard.
- (j). The licensee / allottee shall agree to comply with all rules or directions issued by NMPA from time to time. Should the licensee neglect to comply with the rules or directions, the NMPA may terminate the license.
- (k). The licensee / allottee shall agree that all payments and expenses of whatever sort due to the Port in respect of land/ space allotted to the licensee, shall be recoverable at the rates prescribed in the Scale of Rates of NMPA.
- (I). The licensee / allottee shall comply with all rules and regulations that may from time to time be issued by the local authorities or the inspector of Explosives, the Department of Explosive, Commissioner of Customs and Government of India or whosoever concerned in relation to the storage of goods under the license/ permit.